खण्ड–497, अंक–2
मंगलवार, 01 भाद्रपद, शक संवत् 1938
(23 अगस्त, 2016 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2016)

(खण्ड 497 में 7 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2016

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था के प्रकरण पर भाजपा सहित अन्य विपक्षी दलों का सदन में धरना	7
सदन की वेल में आये सभी सदस्यों को इंगित कर बाहर किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	7-9
गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किये जाने विषयक प्रकरण को सुने जाने का अनुरोध	10
श्री अध्यक्ष द्वारा वेल में उपस्थित सदस्यों के बाहर किये जाने के निर्णय की सराहना	10-11
गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किये जाने का प्रकरण	11-13
प्रश्नोत्तर	13-55
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	56-57
जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आई भीषण बाढ़ से जलमग्न कतिपय ग्राम सभाओं में नाव, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	57
जनपद वाराणसी में गंगा एवं वरुणा नदी में आई भीषण बाढ़ के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	57-58
जनपद फिरोजाबाद में चन्द्रवार क्षेत्र में यमुना नदी पर एक बैराज/चेकडैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	58
जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत गांव टेहरी के निकट बिल्सण्डा में सेतु एवं मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	58-59
जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में मुंसिफ कोर्ट एवं ग्रामीण न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	59
जनपद मथुरा-वृन्दावन में बन्दरों के आतंक से छुटकारा दिलाये जाने हेतु बन्दर जनसंख्या नियंत्रण परियोजना के तहत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	59-60
जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत खरीद दरौली घाट पर पक्का पुल बनाये जाने हेतु धन अवमुक्त कर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	60
जनपद बांदा के निर्वाचन क्षेत्र नरैनी का अधिकांश भू-भाग असिंचित होने से कृषकों की उपजाऊ बंजर भूमि में सिंचाई व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	61

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद सीतापुर की सीतापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की वित्तीय स्वीकृति शासन स्तर पर न जारी होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	61-62
जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा के कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद इलाहाबाद, मिर्जापुर राजमार्ग पर टोंस नदी पर स्थित कटका पुल एवं पनासा पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	62
जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड भावरकोल के दर्जन भर गांवों में आई भीषण बाढ़ से लोगों को खाने-पीने एवं पशुओं के चारे तथा क्षतिग्रस्त लोगों को क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	62-63
जनपद सहारनपुर के गांव मवई कला की भूमि में उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा पीड़ितों को उनकी अर्जन मुक्त भूमि पर निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले अधिकारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	63
जनपद कानपुर छावनी विधान सभा के 21 वार्डों की विद्युत समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	63-64
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र शहर में शहरी विद्युत सप्लाई हेतु ट्रांसफार्मर एवं खम्भा लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	64
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	64-65
आज की कार्य-सूची में 12.20 बजे के बाद अंकित अन्य मदें बजट से पूर्व लिये जाने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	65
बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उ0 प्र0 अध्यादेश, 2016 (उ0 प्र0 अध्यादेश संख्या-01 सन् 2016) (सदन के पटल पर रखा गया)	65
आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश, अध्यादेश, 2016 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-02 सन् 2016) (सदन के पटल पर रखा गया) ...	66
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	66
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन, 2003-2004 (सदन के पटल पर रखा गया)...	66
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2004-2005 (सदन के पटल पर रखा गया)...	66

विषय	पृष्ठ-संख्या
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन, 2005-2006 (सदन के पटल पर रखा गया)...	66
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन, 2006-2007 (सदन के पटल पर रखा गया)...	66
दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन, 2007-2008 (सदन के पटल पर रखा गया)...	67
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन एवं निगम लिमिटेड का वार्षिक लेखा, 2012-2013 (सदन के पटल पर रखा गया)	67
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन एवं निगम लिमिटेड की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट (सदन के पटल पर रखी गयी)...	67
उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन एवं निगम लिमिटेड की 35वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2014-2015 (सदन के पटल पर रखी गयी)	67
उ0 प्र0 उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-13-2016 (उ0 प्र0 लो0 आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) (सदन के पटल पर रखी गयी)	67
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 12वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1985-1986 (सदन के पटल पर रखी गयी)	67-68
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 13वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1986-1987 (सदन के पटल पर रखी गयी)	68
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 14वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1987-1988 (सदन के पटल पर रखी गयी)	68
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 15वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1988-1989 (सदन के पटल पर रखी गयी)	68
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 16वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1989-1990 (सदन के पटल पर रखी गयी))	68
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 17वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1990-1991 (सदन के पटल पर रखी गयी)	68
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 18वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1991-1992 (सदन के पटल पर रखी गयी)	69
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 19वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1992-1993 (सदन के पटल पर रखी गयी)	69
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 20वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1993-1994 (सदन के पटल पर रखी गयी)	69

विषय	पृष्ठ-संख्या
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 21वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1994-1995 (सदन के पटल पर रखी गयी)	69
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 22वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1995-1996 (सदन के पटल पर रखी गयी)	69
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 23वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1996-1997 (सदन के पटल पर रखी गयी)	70
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 24वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1997-1998 (सदन के पटल पर रखी गयी)	70
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 25वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1998-1999 (सदन के पटल पर रखी गयी)	70
उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 26वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1999-2000 (सदन के पटल पर रखी गयी)	70
दिनांक 16 फरवरी, 2016 को विधान मण्डल के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का आभार-पत्र	70-71
उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय का संदेश	71-72
राज्य भवन में लम्बित उ0 प्र0 नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 व उ0 प्र0 नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री के उद्‌गार	73-75
उ0 प्र0 वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	75
आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 (सदन के पटल पर रखा गया)	75
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विधेयक, 2015 (सदन के पटल पर रखा गया)	75-76
संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 (सदन के पटल पर रखा गया)	76
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	76
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	76
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	76
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	77

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	77
उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	77
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	77
उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	77
उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	78
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	78
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना) ...	78
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	78
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	79
उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	79
उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	79
उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	79
उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	79-80
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	80
उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	80
उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	80
उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	80-81
उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 (राज्यपाल की अनुमति की सूचना)	81
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-2016) का छत्तीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)... ...	81

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-2016) का सैंतीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)... ...	81
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-2016) का अड़तीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)... ...	81-82
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-2016) का उन्तालिसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया) ...	82
उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-2016) का चालीसवां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)... ...	82
पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति वर्ष (2015-2016) का पंचम् प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)... ...	82
सदन से बाहर किये गये सदस्यों को पुनः सदन में बुलाये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	82-83
श्री रामपाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा उनके भवनों को गिराये जाने विषयक निजी प्रकरण को उठाने का प्रयास	83-84
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	84-85
माननीय सदस्य श्री अजय कुमार लल्लू एवं श्री बंशी सिंह पहाड़िया को बेइज्जत कर मार्शल द्वारा सदन से बाहर किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर पीठ से निर्णय लिये जाने की मांग	85-87
उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)	87
वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण ...	87
उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)	88
उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित) ...	88
उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)	88-89
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 (पुरःस्थापित)	89
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	89-94
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	94-95
नत्थी	96-98

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त, 2016 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-353

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद़
2. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
3. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
4. अजय, श्री — वाराणसी
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुल हक पहलवान, हाजी — अम्बेडकरनगर
10. अताउररहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
14. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
20. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
21. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
22. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
23. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
24. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अराधना मिश्रा 'मोना', श्रीमती — प्रतापगढ़
29. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
30. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
31. अरूण कुमारी कोरी, श्रीमती — कानपुर नगर
32. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
33. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
34. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
35. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
36. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
37. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
38. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
39. आदिल शेख, श्री — आजमगढ़
40. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
41. *आनन्द सेन, श्री — फैजाबाद
42. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
43. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
44. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
45. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
46. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा

---

* उप चुनाव में निर्वाचित।

47. आशीष यादव, श्री बदायूं
48. आशुतोष उपाध्याय, श्री देवरिया
49. आशुतोष टण्डन (गोपाल जी), श्री लखनऊ
50. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री बदायूं
51. इकबाल महमूद, श्री सम्भल
52. इन्दल कुमार, श्री लखनऊ
53. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
54. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
55. इन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
56. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
57. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
58. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
59. उदयराज, श्री उन्नाव
60. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
61. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
62. उमाशंकर, श्री बलिया
63. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
64. उर्मिला देवी, श्रीमती महोबा
65. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
66. ओम कुमार, श्री बिजनौर
67. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
68. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
69. *कपिल देव अग्रवाल, श्री मुजफ्फरनगर
70. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
71. कमाल युसुफ मलिक, श्री सिद्धार्थनगर
72. काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, नवाब रामपुर
73. काली चरन सुमन, श्री आगरा
74. किसमतिया, श्रीमती गाजीपुर
75. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
76. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
77. कृष्ण गोपाल पटेल, श्री लखीमपुर खीरी
78. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
79. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
80. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
81. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
82. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
83. गजराज सिंह, श्री हापुड़
84. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
85. गयाचरण दिनकर, श्री बांदा
86. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
87. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
88. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्री इलाहाबाद
89. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
90. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
91. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
92. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
93. गोमती यादव, श्री लखनऊ
94. गोरख पासवान, श्री बलिया
95. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
96. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
97. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
98. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
99. जगदीश सोनकर, श्री जौनपुर
100. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
101. जगपाल सिंह, श्री सहारनपुर
102. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
103. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
104. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
105. जय प्रकाश निषाद, श्री गोरखपुर
106. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया

* उप चुनाव में निर्वाचित।

107. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
108. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
109. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
110. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
111. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
112. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
113. तसलीम, श्री बिजनौर
114. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
115. तेजपाल सिंह, श्री मथुरा
116. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
117. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
118. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
119. दलजीत सिंह, श्री बांदा
120. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
121. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
122. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
123. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
124. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज
125. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
126. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
127. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
128. धर्मराज, श्री बाराबंकी
129. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
130. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
131. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
132. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
133. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
134. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
135. नाहिद हसन, श्री शामली
136. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
137. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
138. नूर सलीम राणा, श्री मुजफ्फरनगर
139. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
140. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
141. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
142. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
143. पीटर फैन्थम, श्री नाम-निर्देशित
144. पीतमराम, श्री पीलीभीत
145. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
146. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
147. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
148. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
149. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
150. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
151. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
152. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
153. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
154. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
155. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
156. फसीहा मंजर ''गजाला लारी'', श्रीमती देवरिया
157. फेरन लाल, श्री ललितपुर
158. बंशीधर बौद्ध, श्री बहराइच
159. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
160. बदलू खां, श्री उन्नाव
161. बब्बन सिंह चौहान, श्री चन्दौली
162. बाबू खां, श्री हरदोई
163. बाबूलाल, श्री गोण्डा
164. बावन सिंह, श्री गोण्डा

165. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
166. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
167. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
168. बैजनाथ, श्री मऊ
169. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
170. भगवत सरन गंगवार, श्री बरेली
171. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
172. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
173. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
174. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
175. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
176. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
177. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
178. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
179. मनबोध, श्री देवरिया
180. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
181. मनीष रावत, श्री सीतापुर
182. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
183. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
184. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
185. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
186. महबूब अली, श्री अमरोहा
187. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
188. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
189. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
190. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री सीतापुर
191. महेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
192. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
193. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
194. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
195. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
196. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
197. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
198. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
199. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
200. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
201. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
202. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
203. मूलचन्द्र चौहान, ठा0 बिजनौर
204. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
205. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
206. *मो0 फईम, श्री मुरादाबाद
207. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
208. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
209. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
210. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
211. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
212. मौहम्मद इकबाल, श्री बिजनौर
213. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
214. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
215. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
216. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री कानपुर नगर
217. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
218. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
219. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
220. रणजीत सुमन, श्री एटा
221. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
222. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
223. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
224. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
225. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
226. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
227. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
228. रवि शर्मा, श्री झांसी

229. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
230. राकेश कुमार, श्री अलीगढ़
231. आर0 के0 वर्मा, डा0 प्रतापगढ़
232. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
233. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
234. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
235. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
236. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
237. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
238. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
239. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
240. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
241. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
242. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
243. राधे श्याम, श्री अमेठी
244. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
245. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
246. राम करन आर्य, श्री बस्ती
247. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री सम्भल
248. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
249. राम गोविन्द, श्री बलिया
250. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
251. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद
252. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
253. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
254. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
255. राम मगन, श्री बाराबंकी
256. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
257. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
258. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
259. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
260. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
261. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
262. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
263. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
264. रियाज अहमद, श्री पीलीभीत
265. रीता बहुगुणा जोशी, प्रो0 लखनऊ
266. रुचिवीरा, श्रीमती बिजनौर
267. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
268. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
269. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती सम्भल
270. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
271. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
272. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
273. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
274. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
275. वाचस्पति, श्री कौशाम्बी
276. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
277. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
278. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
279. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
280. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
281. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
282. विजय सिंह, श्री रामपुर
283. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
284. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
285. विनोद तिवारी, श्री महराजगंज
286. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
287. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
288. विमला बाथम, श्रीमती गौतमबुद्धनगर
289. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
290. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
291. वीरपाल राठी, श्री बागपत
292. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
293. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
294. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्धनगर
295. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
296. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
297. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
298. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद

299. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
300. शाकिर अली, श्री देवरिया
301. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
302. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
303. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
304. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
305. शिव चरन प्रजापति, श्री हमीरपुर
306. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
307. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
308. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
309. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
310. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
311. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी
312. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
313. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
314. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
315. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
316. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
317. संजय कपूर, श्री रामपुर
318. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
319. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
320. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
321. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्धनगर
322. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
323. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
324. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
325. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
326. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
327. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
328. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
329. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
330. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
331. सियाराम सागर, डा0 बरेली
332. सीमा, श्रीमती जौनपुर
333. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
334. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
335. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
336. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
337. सुधाकर, श्री मऊ
338. सुधीर कुमार, श्री उन्नाव
339. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
340. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
341. सुब्बा राम, श्री गाजीपुर
342. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
343. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
344. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
345. सुरेश राणा, श्री शामली
346. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
347. सुल्तान बेग, श्री बरेली
348. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
349. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
350. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
351. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
352. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
353. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन), माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी), पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग जन विकास मंत्री (श्री साहब सिंह सैनी) तथा खेल एवं युवा कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री राम सकल गूर्जर) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था के प्रकरण पर भाजपा सहित अन्य विपक्षी दलों का सदन में धरना

(सदन की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व ही बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी समेत विपक्ष के अनेक सदस्य नारे लिखी हुयी टोपी पहन कर और हाथों में बैनर लेकर सदन के वेल में आ गये और सरकार विरोधी नारे लगाने लगे, जिससे घोर व्यवधान की स्थिति उत्पन्न हो गयी।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्यगण आप लोग अपना-अपना स्थान ग्रहण करें।

(विपक्ष के माननीय सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते रहे-''कानून विरोधी यह सरकार, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी'' ''बेगुनाह मुसलमानों पर अत्याचार, बन्द करो, बन्द करो'' ''दलितों पर अत्याचार, बन्द करो, बन्द करो'' ''गुण्डा-गर्दी बन्द करो, बन्द करो, गुण्डाराज बन्द करो, बन्द करो'' ''कानून व्यवस्था ध्वस्त, बिजली आती नहीं, जनता त्रस्त, उ0प्र0 सरकार मस्त'' ''खाद्य सुरक्षा का कानून, ना राशन कार्ड, ना सस्ता अनाज, गरीब जनता त्रस्त, उ0प्र0 सरकार मस्त'' ''बुलन्दशहर के बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो''।)

बहुत हो गया, अब आप लोग अपनी सीट पर जाकर स्थान ग्रहण करें। भदौरिया जी फिर कूदने लगे, पहाड़िया जी पीछे जाओ, इसे उठा कर फेंक दो।

[11:02] सदन की बेल में आए सभी सदस्यों को इंगित कर बाहर किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करें, यह लोग साम्प्रदायिक माहौल बनाना चाहते हैं, दंगे कराना चाहते हैं और अपने राजनैतिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए उत्तर प्रदेश का माहौल खराब करने पर तुले हैं। मान्यवर, इंगित करिये और सदन से बाहर करिये। मान्यवर, कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के वेल में आना पूरे सदन की अवमानना है, कार्यवाही शुरू होने से पहले जो माननीय सदस्य सदन के वेल में आये हैं, आपके सदन के अन्दर दाखिल होने से पहले जो माननीय सदस्य सदन के वेल में आये हैं, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। इन सभी को इंगित कर के सदन से बाहर करना चाहिए। मान्यवर, यह लोग प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं, बात कहनी नहीं है, दंगा करना है बस, माहौल खराब करना है सदन का और सदन के बाहर का। मान्यवर, अपनी बात कहने से पहले सदन के अन्दर आ जाना, वेल के अन्दर, आपके प्रवेश से पहले, जिन माननीय सदस्यों ने आपके आने से पहले दंगा शुरू किया है, उनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, ज्यादातर यह लोग वही हैं जिन्होंने मुजफ्फरनगर, दादरी जैसे दंगे किये हैं। मान्यवर, यह लोग प्रदेश का माहौल खराब करना चाहते हैं। यह बसपा और भाजपा का मिला हुआ गठजोड़ है। जब से बहुजन समाज पार्टी के नेता प्रतिपक्ष भाजपा में गये हैं, दोनों दल भाई-भाई हो गये हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर चलें, अब बहुत हो गया।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, देखिये यह बसपा के लोग आपको बैनर दिखाने के बजाय प्रेस को दिखा रहे हैं, यह सिर्फ प्रेस के लिए कर रहे हैं, ये प्रदेश या जनता के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, देखिये आप ये अपनी होर्डिंग्स प्रेस को दिखा रहे हैं। यह हल्ला प्रेस के अन्दर घटिया मानसिकता और सस्ती शोहरत पाने के लिए हो रहा है। ये सब माहौल खराब करने वाले लोग हैं मान्यवर।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग अपनी-अपनी सीट पर जायें नहीं तो सदस्यता चली जायेगी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं इन सबको सदन से बाहर करने का प्रस्ताव करता हूं। मान्यवर, मैं इनके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने का प्रस्ताव करता हूं। इन्हें बाहर करिये।

(भाजपा और बसपा के सदस्यगण सदन के वेल में खड़ें होकर नारे लगाते रहे जिससे घोर व्यवधान जारी रहा)

(घोर व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं, इन्हें सदन से बाहर करें। यह जो माननीय सदस्य सदन शुरू होने से पहले वेल के अंदर आ गए हैं इन्हें सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने जो प्रस्ताव किया है कि जो माननीय सदस्यगण सदन के वेल के अंदर हैं उनको सदन से बाहर किया जाये, से यह सदन सहमत है?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

ठीक है, अब इन्हें बाहर किया जाये।

(तत्पश्चात् सदन के वेल में उपस्थित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गए)

(इसके बाद सदन के वेल में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सदस्यगण सरकार विरोधी नारे लगाते हुए सदन से बाहर चले गए)

(इसके बाद सदन के वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आज भाजपा और बसपा का मिला एजेंडा है।

श्री अध्यक्ष-

चलिए, बहुजन समाज पार्टी के लोग अब आप लोग भी जाइए। वह प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ था और पास हो गया। अब जाइए। सदाशयता से आप चले जाइए।

(इसके बाद भी सदन के वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के सदस्य सरकार विरोधी नारे लगाते रहे)

मार्शल, सदन के वेल में उपस्थित सदस्यों को सदन से बाहर ले जाएं।

(घोर व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न काल का समय केवल पक्ष और विपक्ष का नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की जन समस्याओं का समय होता है। मान्यवर, इस समय को इस तरह से बर्बाद करने का किसी राजनीतिक दल को अधिकार नहीं होना चाहिए। मान्यवर, इन सदस्यों ने यह समझ रखा है कि चुनाव करीब होने की वजह से सदन के अंदर वह गुण्डागर्दी का माहौल बनाए हुए हैं, इससे संदेश बुरा जाएगा और माहौल खराब होगा। यह लोग सदन से लेकर बाहर तक उपद्रव फैला कर जनता के अंदर यह माहौल पैदा करना चाहते हैं कि वह जैसे चाहे सरकार को चलाएंगे। सरकार विकास के कामों से रूक जाए और उसकी तवज्जों विकास के कामों से रूक कर इन राजनीतिक दलों की तरफ चली जाए, महज इनकी ऐसी मंशा है। मान्यवर, ऐसे हालात का मजबूती से मुकाबला करना होगा। ऐसे तत्वों से सदन के अंदर और सदन के बाहर दोनों जगह इन लोगों से मुकाबला सरकार को करना होगा वरना प्रदेश के तमाम कमजोर लोगों के साथ बड़ा अहित होगा। विपक्ष में बैठने का बुनियादी कारण यही है।

(बहुजन समाज पार्टी के कई सदस्य सदन की वेल से ''गुण्डा माफियाओं की यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, बुलन्दशहर के बलात्कारियों को फॉसी दो, दलित विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, किसान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी'' इत्यादि नारे लगाते रहे और सरकार विरोधी नारे लिखे पोस्टर, बैनर दिखाते रहे।)

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों को सदन से बाहर करने की कार्रवाई में ब0स0पा0 के सदस्यों द्वारा विधानसभा मार्शल से धक्का-मुक्की करने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

देखिए मान्यवर, देखिए ये माननीय सदस्य मारपीट कर रहे हैं। मान्यवर, मार्शल को मारा है। मान्यवर, जो आज तक नहीं हुआ, सदन में आज तक किसी बड़े-से-बड़े ताकतवर व्यक्ति ने भी मार्शल पर हाथ नहीं उठाया। ये आप देखिए ये मा0 सदस्य मार्शल के साथ मारपीट की है। बहुजन समाज पार्टी के सदस्य ने मार्शल के साथ मारपीट की है। ये ताकत की बुनियाद पर अगर मार्शल को मार सकते हैं तो हाउस के बाहर प्रदेश के अंदर ये क्या माहौल बनाएंगे। देखिए मान्यवर, आप ये किस तरह मार्शलस् को मार रहे हैं। देखिए मान्यवर, ये मार्शल को मार रहे हैं। मान्यवर, ये बिल्कुल खुली गुण्डागर्दी पर उतरे हैं, खुली गुण्डागर्दी पर उतरे हैं, सदन में मार्शलस् को ये लोग मार रहे हैं। क्या आप लोग संदेश दे रहे हैं। ये माफिया लोग, ये बदमाश लोग आप इनका इतिहास तो देखिए जो यहां पर चुनकर आए हैं, जो दूसरे दलों से आपके यहां आए हैं। दूसरे दलों को छोड़कर बसपा में आने वाले लोग बसपा में किस गुण्डागर्दी पर उतरे हैं।

(मार्शल तथा उनके सुरक्षा सहायक ने सदन के वेल में उपस्थित बहुजन समाज पार्टी के कतिपय सदस्यों से अनुरोध करके उनको सदन से बाहर ले गए तत्पश्चात् मा0 नेता प्रतिपक्ष तथा उनके दल के सदस्य स्वयं सदन से बाहर चले गए।)

[11:13] गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किये जाने विषयक प्रकरण को सुने जाने का अनुरोध

श्री अध्यक्ष-

अब एजेण्डा लिया जाए।

(लोकदल के सदस्य 'किसानों के बिजली बिल तथा गन्ना बकाया भुगतान करो' के नारे लगाते तथा बनैर दिखाते हुए सदन की वेल में आ गए।)

श्री अध्यक्ष-

अब आप लोग आ गए। अब आप चलें जो काम साढ़े चार साल में नहीं हुआ, आप लोगों ने अपनी जिद करके करा दिया, जो मैं नहीं चाहता था कि कभी हो, वह आप लोगों ने जिद करके कराया, अब आप चलिए। जाइये आप लोग भी जाइये।

(श्री दलवीर सिंह तथा राष्ट्रीय लोकदल के कतिपय सदस्य सदन से बाहर चले गए)

श्री वीरपाल राठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं गन्ने के बारे में बातें रखना चाहता हूं। (वेल से)

श्री अध्यक्ष-

अब गन्ने की बात आप अपनी सीट पर जाकर कहेंगे कि यहां कहेंगे। वहां से तो आपने बात कही नहीं। आप वहीं से अपनी सीट से कहिए यहां पर वेल में कुछ नहीं होगा। चलिए अपनी सीट में चलिए। चलिए आप लोग निकाले नहीं गए आप लोग वेल में नहीं आए थे, इसलिए आप लोग निकाले नहीं गए, जो वेल में आए थे आज उनको निकाल दिया गया है।

[11:15] श्री अध्यक्ष द्वारा वेल में उपस्थित सदस्यों के बाहर किये जाने का निर्णय की सराहना

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने जो निर्णय लिया है, जाहिर है आपके जीवन का यह पहला निर्णय है इस तरह का बहुत सख्त निर्णय है लेकिन बहुत जरूरी था यह। जिस तरह का माहौल आज सदन में पैदा हुआ। हाउस में आपके आने से पहले बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सदस्यों ने पूरे वेल और मार्शल के खड़े होने की जगह, स्टाफ के बैठने की जगह सब पर कब्जा कर लिया और जो कभी नहीं हुआ, कम-से-कम इन 10 सालों में कि मार्शलस् के साथ कोई मार-पीट नहीं करता, बल्कि शायद यह विधान सभा के इतिहास में पहली बार हुआ है। एक-आध बार आपस में तो यहां पर माननीय सदस्यों के बीच हाथापाई हुई है, लेकिन मार्शलस् को मारा गया हो ऐसा पहली बार हुआ है। इसकी निन्दा होनी चाहिए, इसकी रोक होनी चाहिए और इस बात से कतई नहीं डरना चाहिए कि अमुक दल के लोगों ने सदन के अंदर क्या माहौल बनाया, क्योंकि इन लोगों की बहुत हिम्मतें बढ़ गईं।.....

मुजफ्फरनगर से लेकर दादरी तक इन्होंने कानून व्यवस्था को खराब करने में एक अहम रोल अदा किया और उससे कम से कम भारतीय जनता पार्टी को बहुत फायदा हुआ। नफरत की जो खेती बोई गयी थी उसे बहुत अच्छी तरह से काटा गया और बड़ी तादाद में पार्लियामेन्ट की सीटे जीत ली गयी। जनता में इसका दुःख भी है आपकी बड़ी जिम्मेदारी है मान्यवर, सिर्फ उस कुर्सी पर बैठने की नहीं बल्कि एक लम्बा राजनैतिक जीवन आपका रहा है और बहुत साफ-सुथरा जीवन रहा है उसके

लिए हम सबको आपके उस राजनैतिक जीवन पर फख्र होना चाहिए। बार-बार आपके कहने के बावजूद और यह आश्वासन कल दिये जाने के बावजूद कि सदन को अच्छी तरह से चलाया जायेगा उसको चलाने में अगर कहीं कोई विवाद होता है, अपनी बात कहनी है तो आज जो तरीका अख्तियार हुआ आपके आने से पहले तमाम कब्जा कर लेना ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। सदन में यह देखा गया कि दो दलों में बाकायदा जैसे घोड़ों की रेस होती है उस तरह से माहौल था। लोग अपनी चेयर से कूदकर बाहर आये आगे आने के लिए बहुजन समाज पार्टी उतावली, भारतीय जनता पार्टी उतावली थी। मान्यवर, इस कुश्ती में किसकी खबर बनेगी, कौन पहले वेल में आयेगा, कौन ज्यादा बेहूदगी करेगा, कौन ज्यादा अराजकता फैलायेगा, अगर इसकी बुनियाद पर खबर बनेगी तो मान्यवर, यह बहुत अहित होगा प्रदेश का। आप यह खुद देख रहे थे कि जो होर्डिग्स, हाथ में थे, जो बैनर्स हाथ में थे वह आपको नहीं दिखाये जा रहे थे, वह सत्तापक्ष को भी नहीं दिखाये जा रहे थे वह सारे बैनर्स गैलरी की तरफ, प्रेस गैलरी की तरफ दिखाये जा रहे थे। मन्शा सिर्फ इतनी थी कि प्रेस उनकी इस खबर को बाहर दे इसमें कोई शक नहीं कि प्रेस को खबर बाहर देनी चाहिए, किन्तु प्रेस अगर सदन के इस माहौल की खबर बाहर देगा तो लोगों का लोकतंत्र से बहुत भरोसा उठेगा। अभी पिछले दिनों मेयर का चुनाव हुआ है। मुरादाबाद के मेयर का देहान्त हो गया था, उसके बाद चुनाव हुआ। जो परसेन्टज पोल है मान्यवर, जितना कम लोग बाहर निकले उससे लोगों को चेत जाना चाहिए कि लोकतंत्र और अपने उन नुमाइन्दों के खिलाफ जो लोग चुने जाने वाले हैं उनके लिए लोगों के दिल में कोई बहुत दिलचस्पी नहीं है। आने वाले चुनाव में भी अगर लोगों की दिलचस्पी इसी तरह रही और 25-30 परसेन्ट लोग बाहर निकले तो लोकतंत्र खुद बखुद नाकाम हो जायेगा, घुटने टेक देगा लोकतंत्र और बुरे लोगों की ताकत उभरकर सामने आयेगी।

(मेजों की थपथपाहट)

बहुत मान्यवर, विचार करने की जरूरत है सिर्फ कुछ लोगों का सदन के बाहर चले जाना ही काफी नहीं है बल्कि हम यह देखें कि पिक्चर हाल में जब फिल्म देखते हैं और नेता को विलेन मारता है और विलेन नेता के बारे में डायलाग बोलता है तो पूरा हाउस तालियां बजाता है, लोग खड़े हो जाते हैं आवाजे लगाते हैं यानि नेताओं के खिलाफ, राजनैतिक माहौल के खिलाफ जो आम लोगों में उनके कारनामें हैं उसके खिलाफ जनता में बहुत नफरत है। इस तरह मान्यवर, किसी फिल्म की कामयाबी या नाकामयाबी का सवाल नहीं है बल्कि सवाल यह है कि लोग क्या सोचते हैं। इस तरह का माहौल जब सदन में होगा, इस तरह लोग अराजकता फैलायेंगे उनका मिजाज यह होगा कि अपने ताकतवर शरीर की बुनियाद पर या बहुत दौलतमन्द विधायक होने की बुनियाद पर अगर वह गरीब मार्शल्स को मारेंगे, उनसे हाथापाई करेंगे, उनकी टोपी उतारेंगे, वह टोपी जो इस सदन की इज्जत है मान्यवर, जो सबकी शान है तो इससे लोकतंत्र कमजोर होगा और ऐसे लोग ताकतवर होंगे। जो भी सदस्य यहां हैं हम चाहेंगे मान्यवर, कि प्रश्नकाल को चलाया जाय और इस बात की इजाजत हो आपकी तरफ से कि कुछ बहुत अहम सवालात हैं अगर विपक्ष के लोग नहीं है तो पक्ष का भी यह प्रदेश है, सवाल करने की इजाजत पक्ष के लोगों को भी मिलना चाहिए।

[11:20] गन्ना किसानों का बकाया भुगतान किये जाने का प्रकरण

(नत्थी ''क'' प्रश्न संख्या 1 पुकारे जाने के उपरान्त श्री वीरपाल राठी तथा श्री पूरन प्रकाश द्वारा अपनी बात कहने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अभी रुक जाओ, प्रश्न खत्म हो जाने दो, आपको नियम 56 का समय आयेगा तब बोलियेगा, आपका है, बैठिये।

*श्री वीर पाल राठी-

मान्यवर, जो यह प्रदर्शन कर रहे थे विपक्ष के लोग उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाह रहे थे। हम भी मानते हैं जो संसदीय कार्य मंत्री जी ने अपनी बात रखी इससे हम भी सहमत हैं। लोकतंत्र रहना चाहिए, व्यवस्था रहनी चाहिए, कानून रहना चाहिए, मार्शल से जो हाथापाई हुई हम भी उसके विरुद्ध हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन जहॉ तक गन्ने के पेमेन्ट का सवाल है उस पर भी हमें 5 साल हो गये विधायक बने और यहॉ तक कि हमने अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन कर लिया लेकिन सरकार को भी चेतना चाहिए।

...उस गरीब किसान की, जो किसान अपनी गाढ़ी कमाई को लेकर, गन्ने को लेकर जाता है और उसका पेमेंट न हो, तो यह तो सरकार की भी नाकामी है, इस पर मैं एक छोटा सा सवाल यह करना चाहूॅगा कि जो आज गन्ने के अधिकारी बने बैठे हैं चाहे वह आपका गन्ना कमिश्नर हो, चाहे आपका प्रमुख सचिव हो, यह सब मिल की लाबी से मिले हुये हैं और यह लोग पैसे का लेनदेन करते हैं और उस किसान का खून चूसने का काम करते हैं। मैं सरकार के लोगों से निवेदन करूॅगा कि हम सब किसान के हिमायती हैं, आप भी हिमायती हैं और हम भी हिमायती हैं और हमारा सबका यह कर्तव्य है कि गन्ने का पेमेंट हो और कोई एक्शन हो या न हो, जो तीन साल तक का पेमेंट अधूरा पड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं, वास्तव में उनके जो प्रधानमंत्री हैं कहते हैं कि हमने 99.5 प्रतिशत गन्ने का पेमेंट कर दिया, वह इतना सफेद झूठ बोलने का काम करते हैं, आप देखिये कि हकीकत क्या है। मैं हकीकत को बताने के लिये आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मेरा आपसे निवेदन है कि गन्ने के पेंमेंट को तुरन्त करें। अभी मैनें मुख्य मंत्री जी से एक आदेश कराया मैनें कहा कि मेरे यहां का गन्ना डी0सी0ओ0 भ्रष्टाचार में लिप्त है और यह डी0सी0ओ0 मेरे बराबर के जिले का है, यह राजनीति कर रहा है, इसको हटाइये। मुख्य मंत्री जी ने यह आदेश कर दिया और प्रमुख सचिव इसे रोके पड़े हैं और उसका तबादला नहीं कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि यहॉ संसदीय कार्य मंत्री जी हैं कि जब एक जनप्रतिनिधि उसकी नाकामी पर, उसके खिलाफ लिख चुका है तो उसके ट्रांसफर की घोषणा उनके द्वारा इस सदन में होनी चाहिये, यह मेरा आपसे निवेदन है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, यह काफी गंभीर मामला है और माननीय सदस्य बहुत संजीदा भी है और कभी कोई ऐसी बात वह सदन में नहीं करते कि उससे किसी तरह का माहौल खराब करने की शिकायत हुई हो। उन्होंने खुद ही अपने भाषण में कहा कि देश के बादशाह ने क्या कहा है। कैसा गलतबयानी की है और जनता को भ्रमित किया है और केन्द्र की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। आपकी शिकायत सिर ऑखों पर, लेकिन इसके बावजूद कम से कम इस सच को भी आप मानेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों का बहुत पैसा अदा भी किया है। जो पैसा बाकी है मान्यवर,

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसके लिये हम बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि बजट में प्रावधान करके उस पैसे की अदायगी की जाय और जिस पैसे की अदायगी के लिये आप किसी अधिकारी को जिम्मेदार समझ रहे हैं यह उस अधिकारी की वजह से नहीं हुआ है, इस सिलसिले में, मुख्यमंत्री जी तशरीफ लाने वाले हैं, उन तक आपकी इस भावना को पहुंचाया जायेगा।

[11:22] प्रश्नोत्तर

नत्थी 'क'

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के महानगरों में भारी बारिश से हो रहे जल-भराव की समस्या से निदान दिलाये जाने हेतु कार्य योजना बनाये जाने की मांग

*01-डा0 धर्मपाल सिंह-

(अनुपस्थित)

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई 2016 से प्रदेश के महानगरों आगरा, कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद एवं अन्य महानगरों में हो रही भारी बारिश से इन महानगरों की जनता भयंकर जल-भराव की समस्या से जूझ रही है जिसके कारण इनका जन-जीवन पूर्ण रूप से अस्त-व्यस्त हो चुका है तथा भयंकर जल-भराव से व्यापारियों को भी भारी नुकसान हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार जल-भराव की समस्या से निदान दिलाये जाने की कोई योजना बनायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

नगर निगम लखनऊ/आगरा/गाजियाबाद/कानपुर से प्राप्त सूचना के आधार पर अवगत कराना है कि लखनऊ महानगर में वर्षा के कारण किसी भी क्षेत्र में जल-भराव एवं उसके कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होने तथा व्यापारियों को नुकसान होने की सूचना अथवा शिकायत लखनऊ नगर निगम को प्राप्त नहीं हुई है। माह जुलाई, 2016 में गाजियाबाद नगर में अभी तक जल भराव की कोई विशेष समस्या नहीं हुई है। आगरा में इस वर्ष अत्यधिक वर्षा हुई है। अत्यधिक वर्षा होने पर शहर में निचले स्थानों पर जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कानपुर नगर में भारी वर्षा होने पर कुछ समय तक जल भराव की स्थिति उत्पन्न होती है परन्तु शीघ्र ही जल निकासी हो जाती है। लगभग यही स्थिति अन्य महानगरों की भी है। प्रदेश के नगर निकायों, जिनमें महानगर भी सम्मिलित हैं द्वारा वर्षा ऋतु प्रारम्भ होने के पूर्व निकाय क्षेत्र में स्थित नालों/नालियों की सफाई करायी जाती है तथा इस सम्बन्ध में शासन द्वारा भी निर्देश जारी किये जाते हैं। कतिपय शहरी क्षेत्रों में निचले स्थानों को चिन्हित कर वहां वर्षा का पानी एकत्र होने पर आवश्यकतानुसार पम्प की सहायता से जल निकासी की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

[श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (क) तारांकित प्रश्न संख्या-1 पुकारे जाने पर डा0 धर्मपाल सिंह उपस्थित नहीं थे।]

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न खत्म, अब जीरो आवर शुरू।

(नियम-301 पुकारे जाने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां-

अध्यक्ष जी, यह सही है कि यह लोग नहीं हैं लेकिन सदन को एक बात की सूचना होनी चाहिये क्योंकि यह प्रश्न बहुत गंभीर हैं और बहुत अहम हैं।

श्री अध्यक्ष-

अगर आप सूचना देना चाहते हैं तो दे दीजिये।

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी मान्यवर, यह लखनऊ के नालों के सिलसिले में प्रश्न नं0-1 है, नगर विकास का। इसमें पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रदेश में वाटर लॉगिग जहां पर भी है, जहां पर भी पानी खड़ा है पूरे प्रदेश में, उस पानी को लेविल निकालकर बाहर करने का प्रावधान किया गया है और आप चाहे जानकारी ले लें। उत्तर प्रदेश में मच्छरों की तादाद जो आम मच्छर होता है उसकी तादाद बहुत कम हुयी है। मान्यवर, डेंगू गन्दे पानी में नहीं होता डेंगू साफ पानी में और आम तौर पर गमलों में या कूलर्स वगैरह में होता है। हमने गन्दे पानी को निकालने के लिये 125 करोड़ के ऐसे नाले बनाये जाने का प्रावधान किया है, यह केवल प्रावधान नहीं है बल्कि काम चल रहा है और यह नाले मान्यवर, ईंट के नहीं बन रहे हैं, बल्कि आर0सी0सी0 के बन रहे हैं जिसकी छतें पड़ती हैं सरिये के साथ, यह नाले उसके बन रहे हैं। गाजियाबाद में 145.16 लाख के, मुरादाबाद में 100, मेरठ में 209 बड़ी तादाद में बहुत बड़ा धन खर्च करके पूरे प्रदेश में मान्यवर, इन नालों को बनाये जाने का काम चल रहा है और लखनऊ में मेरी जानकारी के एतबार से शायद 18 या 19 करोड़ के नाले बन रहे हैं, जो तकरीबन मुकम्मल होने वाले हैं।

प्रदेश के थानों में सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने की मांग

श्री मनीष असीजा (अनुपस्थित)-

*02-क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सभी थानों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी कार्य संस्कृति विकसित कराने हेतु सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रदेश पुलिस के थानों में सी0सी0टी0वी0 स्थापना की कार्यवाही चरणबद्ध रूप से की जा रही है। प्रथम चरण में प्रदेश के 262 थानों में सी0सी0टी0वी स्थापित कराये जा चुके हैं। द्वितीय चरण में प्रदेश के 786 थानों में सी0सी0टी0वी0 की स्थापना हेतु दिनांक 27-05-2016 को कार्यादेश निर्गत कर दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

(श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (क) तारांकित प्रश्न संख्या-2 पुकारे जाने पर श्री मनीष असीजा उपस्थित नहीं थे।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

दूसरे प्रश्न में मान्यवर, सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाने का प्रश्न है इसमें जहां सी0सी0टी0वी0 कैमरे लग गये हैं उन थानों की तादाद 262 है। 262 ऐसे थाने हैं जहां सी0सी0टी0वी0 कैमरे लग गये हैं। मान्यवर, इनमें कनेक्टिविटी चेक हो रही है ताकि इन लगाये हुए सी0सी0टी0वी0 कैमरों से क्राइम कन्ट्रोल किया जा सके। मैंने अभी गृह विभाग से जानकारी प्राप्त की यह जानने के लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाने के लिए ये कैमरे लगाये गये हैं इसलिए हमने इनकी कम्पनी जाननी चाही तो मान्यवर, बॉस कम्पनी दुनिया की मानी हुई कम्पनियों में से एक है जिनके ये कैमरे हैं और पूरा सिस्टम ही बॉस का है ऐसा नहीं है कि सिर्फ कैमरा बॉस का है और बाकी डिब्बा वगैरह लोकल लगाये गये हों। मान्यवर, यह एक बड़ा काम है और इसके बाद 786 थाने हैं जिनके अन्दर दूसरे चरण में कैमरे लगने हैं। मान्यवर, 477 थाने जिनमें से 25 महिला थाने और 65 जी0आर0पी0 के थाने हैं, 13 करोड़ 15 लाख रुपए की मालियत से ये भी लगने हैं। इन सारे कैमरों के लिए तकरीबन 35 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। मान्यवर, यह सिर्फ प्रश्न ही नहीं है बल्कि समाज के लिए एक अच्छी सूचना भी है। जिन मा0 सदस्यों ने ये प्रश्न लगाये थे अगर वह सदन में रहे होते तो यह सन्देश उनके पक्ष में जाता क्योंकि यह प्रश्न उनका था, उनके नाम से था, उनके बारे में लोगों को अखबारों और टी0वी0 पर देखने को मिलता, हो सकता है कि इतना बड़ा और बेहतर काम उनके प्रश्न के दबाव में ही हुआ हो। इस प्रकार से उन्होंने अपना और प्रदेश का नुकसान किया है लेकिन मैं चाहता था कि यह बात सामने आये और आपके जरिये सदन को मालूम हो, प्रदेश को मालूम हो कि सरकार किस तरह से काम कर रही है।

प्रदेश में बढ़ती अपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए बनायी गयी ठोस कार्य योजना की जानकारी

*03-श्री सतीश महाना तथा श्री सुरेश राणा (अनुपस्थित)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 15 मार्च, 2016 से दिनांक 18 जुलाई, 2016 तक लूट, डकैती, बलात्कार, महिला उत्पीड़न की कितनी घटनाएं प्रदेश में पंजीकृत हुई हैं ? क्या सरकार ने इन अपराधों को रोकने के लिए कोई ठोस कार्य योजना बनायी है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (अखिलेश यादव)-

प्रदेश में दिनांक 15-03-2016 से दिनांक 18-07-2016 तक लूट-1386, डकैती-86, बलात्कार-1012 एवं महिला उत्पीड़न-4520 अभियोग पंजीकृत हुए हैं।

उक्त अपराधों के नियंत्रण हेतु प्रत्येक जनपद में अपर पुलिस अधीक्षक, अपराध के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच की स्थापना की गयी है। वैज्ञानिक विधि एवं तकनीकी तरीके से साक्ष्य संकलन करने की कार्यवाही की जाती है। सशक्त पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने का प्रयास किया जाता है।

वेब बेस्ड क्राइम मैपिंग सिस्टम में हॉट स्पॉट चिन्हित कर सुनियोजित गश्त/पिकट व चेकिंग कराकर इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त प्रकार के अपराधों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध रा0सु0का0, गैंगस्टर एक्ट, गुण्डा एक्ट के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही नियमानुसार की जाती है। हिस्ट्रीशीट खोलकर निगरानी करायी जाती है।

वर्तमान में महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं के रोकथाम हेतु पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन **''महिला सम्मान प्रकोष्ठ''** का गठन किया गया है। महिलाओं के विरुद्ध घटित घटनाओं की रोकथाम हेतु **''1090 वूमेन पावर लाइन''** विकसित किया गया है, इसके अभिनव प्रयास से इस प्रकार की घटनाओं पर अंकुश लगा है। महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु प्रदेश के समस्त जिलों में महिला थानों की स्थापना की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (क) तारांकित प्रश्न संख्या-3 पुकारे जाने पर श्री सतीश महाना तथा श्री सुरेश राणा उपस्थित नहीं थे।]

*04-श्री दलवीर सिंह-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत गरीब छात्र-छात्राओं को निजी स्कूलों में प्रवेश दिलाने के लिए नियमावली में सुधार की मांग

*05-श्री सुरेश कुमार खन्ना (अनुपस्थित)-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत शिक्षण-सत्र वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक प्रतिवर्ष कितने-कितने छात्र इस योजना के अन्तर्गत लाभान्वित होकर निजी पब्लिक स्कूलों में प्रवेश पा चुके हैं एवं वर्तमान शैक्षिक-सत्र 2016-17 में निजी पब्लिक स्कूलों में कितने छात्रों ने प्रवेश प्राप्त किया है ? क्या सरकार इस कानून के अन्तर्गत गरीब छात्र-छात्राओं को निजी स्कूलों में अधिक से अधिक प्रवेश का लाभ दिलाने के लिए नियमावली में सुधार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री अहमद हसन)-

प्रदेश में निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के कार्यान्वयन हेतु उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली, 2011 दिनांक 27-07-2011 को प्रख्यापित की गयी। तत्क्रम में अधिनियम, 2009 के अनुच्छेद 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायतित निजी विद्यालयों में प्रवेश दिलाने की कार्यवाही शासनादेश दिनांक 03-12-2012 द्वारा शैक्षिक सत्र 2013-14 से प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत प्रवेश लेने वाले बच्चों की वर्षवार संख्या निम्नवत है :-

2013-14	60
2014-15	54
2015-16	3824

2016-17 में अब तक 10741 बच्चों को प्रवेश दिलाया जा चुका है। जनपदों में प्रवेश की कार्यवाही गतिमान है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

योजना का लाभ अधिक से अधिक बच्चों को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से नियमावली में प्राविधानित व्यवस्था में समय-समय पर यथा आवश्यकता शासनादेशों के माध्यम से संशोधन किया गया है, जिसके फलस्वरूप प्रवेश लेने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है।

[श्री अध्यक्ष द्वारा नत्थी (क) तारांकित प्रश्न संख्या-5 पुकारे जाने पर श्री सुरेश कुमार खन्ना उपस्थित नहीं थे।]

अतारांकित प्रश्न

जनपद ललितपुर के दूरस्थ कतिपय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी की जाँच कराकर, शिक्षकों की उचित व्यवस्था करते हुए विद्यालयों को पूर्ण रूप से संचालित कराने की माँग

01-श्री फेरन लाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर में दूरस्थ विद्यालय जैसे वारई, वड़वार, वि0ख0 भडावरा सहित लगभग 45 विद्यालय बन्द हैं एवं एक या दो अध्यापकों द्वारा विद्यालय चलाया जाता है वहीं राहर के समीप जैसे रजवारा, बनारी मसौरा मिर्चवारा आदि में स्थित लगभग 30 विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक अध्यापक तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों की जांच कराकर एंव शिक्षकों की समुचित व्यवस्था कर विद्यालयों को पूर्ण रूप से संचालित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जनपद ललितपुर में दूरस्थ विद्यालय वारई, वडवार सहित विकास खण्ड-भडावरा में कोई भी विद्यालय बन्द नहीं है। विकास खण्ड भडावरा में कुल 146 प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं, जिसमें 25 विद्यालय एकल अध्यापकीय एवं 121 विद्यालयों में दो या दो से अधिक अध्यापक कार्यरत हैं। शहर के समीप के विद्यालय जैसे प्राथमिक विद्यालय रजवारा में 09, प्राथमिक विद्यालय मिर्चवारा में 02 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय मिर्चवारा में 02, अध्यापक कार्यरत हैं।

शिक्षा निदेशक, बेसिक उ0प्र0 को प्रकरण की मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, झांसी से जांच कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। जांचोपरान्त अग्रेतर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के कमला नगर में वैभव इन्क्लेव फेस-ई तथा शुभम धाम की जर्जर आन्तरिक सड़क व नाली का निर्माण करवाने की माँग

02-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के कमला नगर में वैभव इन्क्लेव फेस-ई तथा शुभम धाम की आंतरिक सड़क व नाली विगत कई वर्षों से जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आंतरिक सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट-नत्थी (क) के तारांकित प्रश्न संख्या-5 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

सड़क व नाली क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग का हॉटमिक्स द्वारा सुधार एवं नाली निर्माण कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। उक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के के0के0 नगर की जर्जर सड़क व नाली के निर्माण की माँग

03-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के सिकन्दरा क्षेत्र में जैन विहार कालोनी के निकट के0के0 नगर की सड़क व नाली विगत कई वर्षों से जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी हाँ। सड़क व नाली क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु के0के0 नगर तिराहे से भावना रोड तक हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार का आगणन तैयार कराया गया है। उक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के अमर बाग के फेस-2 की जर्जर सड़क व नाली के निर्माण की माँग

04-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के दयालबाग क्षेत्र में अमर बाग के फेस-2 में म0नं0-1 से 72 तक की सड़क व नाली विगत कई वर्षों से जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का जनहित में निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी हाँ। सड़क व नाली क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग अमरबाग फेज-2 मकान नम्बर-1 से 72 तक सड़क निर्माण एवं नाली मरम्मत के कार्य का आगणन धनांक रु0 83.08 लाख का तैयार करा लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के बोदला क्षेत्र में गेंदा नगर की जर्जर सड़कों व नालियों का जनहित में निर्माण कराये जाने की माँग

05-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के बोदला क्षेत्र में गेंदा नगर के 44ए/208 वेदी के मकान से प्रेम पंडित के मकान तक सड़क व नाली वर्षों से जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का जनहित में निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी हाँ। सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु लोहामण्डी वार्ड कक्ष संख्या-78 गेंदा नगर में वेदी के मकान से प्रेम पण्डित के मकान तक नाली व इण्टरलॉकिंग सड़क के निर्माण कार्य का आगणन धनांक रु0 8,99,600.00 का तैयार करा लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के सिकन्दरा के जर्जर चर्च रोड, लिंक गलियों व नालियों के निर्माण की माँग

06-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

06-क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के सिकन्दरा के चर्च रोड की 10 लिंक गलियां जर्जर होने के कारण लोगों को आवागमन में काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गलियों व नालियों का जनहित में निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्नगत गलियां आवागमन हेतु सुगम हैं। इन गलियों के निर्माण कार्य की आवश्यकता नहीं है।

जनपद शामली के कैराना से हो रहे पलायन को रोकने एवं पलायन कर गये लोगों को पुनः स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा की जा रही ठोस कार्रवाई की जानकारी की माँग

07-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भय, आतंक, रंगदारी, गुण्डागर्दी के कारण जनपद शामली के कैराना से हो रहे पलायन की सरकार को जानकारी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पलायन को रोकने और पलायन करके गये लोगों को जनपद में वापस लाने की कोई ठोस कार्य योजना तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हाँ।

समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपी खबरों कि शामली के कैराना कस्बे से पलायन सम्बन्धित सूचनायें ज्ञात होने पर पुलिस अधीक्षक, शामली से आख्या प्राप्त की गयी। आख्यानुसार उपजिलाधिकारी कैराना एवं क्षेत्राधिकारी कैराना की संयुक्त टीम उक्त घटना के सम्बन्ध में जाँच की गयी, जिसमें मा0 सांसद श्री हुकुम सिंह द्वारा दी गयी कैराना से पलायन किये गये 346 व्यक्तियों की सूची का सत्यापन किया गया, जिसमें निम्नवत् स्थिति पायी गयीः-

1-56 लोग ऐसे हैं, जो लगभग 10 वर्ष पूर्व कैराना छोड़कर जा चुके हैं।

2-178 लोग ऐसे हैं, जो पिछले लगभग 04-05 वर्ष कैराना से जा चुके हैं।

3-52 लोग ऐसे हैं, जो पिछले तीन वर्षों के अन्दर गये हैं, परन्तु यह लोग विभिन्न कारणों से यथा-रोजगार, व्यवसाय, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, विभिन्न सेवा के कारण पानीपत, सोनीपत, करनाल, दिल्ली एवं सूरत आदि शहर में चले गये हैं।

4-24 परिवार ऐसे हैं, जो अभी भी कैराना में निवास कर रहे हैं।

5-04 परिवार तस्दीक नहीं हुए हैं, जिनके बारे में किसी के द्वारा कोई जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

6-सूची में सत्यापन के उपरान्त 17 व्यक्तियों की मृत्यु होनी पायी गयी, जिसमें 04 व्यक्तियों के परिवार वर्तमान में कैराना में ही रह रहे हैं तथा शेष के परिवार कई वर्षों पूर्व अपने रोजगार आदि के कारण कैराना छोड़कर जा चुके हैं।

7-07 परिवार के नाम डबल अर्थात् डुप्लीकेट मिले हैं।

8-05 लोग ऐसे पाये गये, जो सरकारी सेवा जैसे नगरपालिका आदि में कार्यरत थे, जो सेवानिवृत्त होने के बाद अन्यत्र/मूलस्थान पर जाकर बस गये हैं।

9-03 प्रकरण ऐसे पाये गये, जिनके परिवारों से रंगदारी की घटना घटित हुई है, उनमें पुलिस द्वारा समय रहते समुचित कार्यवाही की गयी है। इन तीनों परिवारों की सम्पत्ति कैराना में ही है। जाँच के दौरान कोई ऐसी सम्पत्ति नहीं मिली, जो सम्प्रदाय विशेष द्वारा छोड़ी गयी हो और दूसरे सम्प्रदाय विशेष द्वारा खरीद की गयी हो।

अतः जाँच से कैराना छोड़कर जाने का मुख्य कारण कैराना में बड़े प्रतिष्ठान और रोजगार के अवसर न होना पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

मथुरा में जवाहर बाग काण्ड में, निर्दोष व्यक्तियों के विरुद्ध की गयी कार्रवाही की जाँच की माँग

08-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा में जवाहर बाग काण्ड में जो निर्दोष लोग धार्मिक आस्था के कारण घटना वाले दिन गये थे और वहां हुई हिंसात्मक घटना में फंसाये गये हैं, के

विरुद्ध की गयी कार्यवाही का परीक्षण कराकर सरकार समाप्त कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जवाहर बाग, मथुरा में उद्यान विभाग की सरकारी जमीन पर रामबृक्ष यादव के नेतृत्व में अतिक्रमणकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों के अनुपालन में जिला प्रशासन, मथुरा द्वारा उक्त जमीन को खाली कराये जाने हेतु अभियान चलाया गया। विवेचना में नामजद एवं प्रकाश में आये अभियुक्तगण के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को नहीं फंसाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लागू सर्किल रेट के फार्मूले की समीक्षा करके इसको जनोपयोगी तथा सुविधायुक्त बनाने के विषय में सरकार के दृष्टिकोण की जानकारी

09-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

09-क्या स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सम्पत्ति की खरीद फरोख्त के लिये निर्धारित सर्किल रेट का फार्मूला जनहित में समीक्षा करके इसको जनोपयोगी तथा सुविधायुक्त बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

स्टाम्प, पंजीयन एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह) ''राजा भइया''-

जी नहीं। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 में सर्किल रेट निर्धारण करने की व्यवस्था पूर्व से विद्यमान थी, जिसके संगत नियमों में सम्यक् विचारोपरान्त अधिसूचना संख्या-29/2015/1322/94-स्टा0नि0-2-2015-700(81)/2013 टी0सी0 दिनांक 01 दिसम्बर, 2015 द्वारा सरलीकरण करते हुए यथावश्यक संशोधन किये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर जनपद के थाना निगोही में एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत हुए मुकदमों एवं उनके ऊपर की गयी समस्त कार्रवाई की जानकारी

10-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर जनपद के थाना निगोही में कितने मुकदमें एस0सी0एस0टी0 ऐक्ट के अन्तर्गत दिनांक 01-01-2016 से 16-07-2016 तक पंजीकृत हुए तथा इन मुकदमों में अभी तक कितनों में सी0एस0 फाइल की गयी तथा कितनों में तफतीश पेन्डिंग है ? क्या सरकार उक्त से सम्बन्धित विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जनपद शाहजहांपुर के थाना निगोही में 01-01-16 से दिनांक 16-07-16 तक कुल 12 अभियोग पंजीकृत हुए जिनमें से 07 अभियोगों में सी0एस0, 04 अभियोगों में फाइनल रिपोर्ट एवं 01 अभियोग विवेचना हेतु लम्बित है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट की ग्राम पंचायत वियावल की कतिपय आन्तरिक कच्ची व क्षतिग्रस्त सड़कों के पुनर्निर्माण की माँग

11-श्री ओम कुमार-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ की ग्राम पंचायत वियावल के मजरे काशीनाथ का पुरवा, जमना का डेरा, चन्देलपुर, मेडिया का डेरा की आंतरिक सड़कें पूर्णतया कच्ची एवं क्षतिग्रस्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मजरों की आन्तरिक सड़कों को पक्का करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

जी हां।

जी हां।

प्रश्नगत कार्य को ग्राम पंचायत की वर्ष 2016-17 की कार्ययोजना में सम्मिलित कर लिया गया है। प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कार्य करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट की ग्राम पंचायत वियावल में सामुदायिक भवन बनवाये जाने की माँग

12-श्री जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विकास खण्ड मऊ की ग्राम पंचायत वियावल की आबादी 8000 के लगभग है किन्तु वहां पर एक भी सामुदायिक भवन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त ग्राम सभा में सामुदायिक भवन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जनपद-चित्रकूट के विकास खण्ड-मऊ की ग्राम पंचायत वियावल की आबादी जनगणना 2011 के अनुसार 3608 है। सामुदायिक भवन का निर्माण पंचायतीराज विभाग से नहीं कराया जाता है और न ही इसके लिए कोई बजट प्राविधान है। ग्राम पंचायत वियावल में पंचायत भवन/सचिव आवास निर्मित है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मुख्य मंत्री द्वारा 08-03-2016 को की गयी घोषणा के अनुरूप शहरी क्षेत्र के विधायकों की संस्तुति पर 100-100 इंडिया मार्का नल लगवाने की माँग

13-श्री सुरेश कमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत विधान सभा सत्र के अन्तिम दिन दिनांक 08-03-2016 को मुख्य मंत्री द्वारा घोषणा की गयी थी कि 100-100 इण्डिया मार्का नल एवं

100-100 रि-बोर नल मा0 विधायकों की संस्तुति पर उनके क्षेत्र में दिये जायेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि शहरी क्षेत्र के विधायकों को अभी तक नल नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार शहरी क्षेत्र के विधायकों को भी 100-100 इण्डिया मार्का नल उनकी संस्तुति पर लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हां।

जी हां।

जी हां।

उक्त का वित्त पोषण आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा क्रियान्वित 'प्रदेश के विभिन्न नगरों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास' मद से किया जाना निर्णीत हुआ है तथा इस हेतु अग्रेतर कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर की कालोनी पुष्पद्वीप एन्क्लेव फेस-1 व 3 पश्चिमीपुरी बोदला की जर्जर सड़क व नाली के निर्माण की माँग

14-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में हेमा पेट्रोल पम्प के पास कालोनी पुष्पद्वीप एन्क्लेव फेस-1 व 3 पश्चिमीपुरी बोदला की सड़क व नाली जर्जर होने के कारण नालियों का गन्दा पानी घरों में भर जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ। सड़क व नाली क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत कालोनी पुष्पदीप एन्क्लेव फेज-1 व 3 पश्चिमीपुरी-बोदला प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा विकसित की गयी है। उक्त कालोनी नगर निगम, आगरा को हस्तान्तरित नहीं की गयी है। नगर निगम, आगरा को कालोनी हस्तान्तरित न होने के फलस्वरूप उक्त कालोनी में विकास कार्य कराये जाने का दायित्व संबंधित कालोनाइजर का है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

आगरा नगर के ओम विहार कालोनी नटराज्पुरम् के पीछे की आन्तरिक जर्जर सड़कें, गली व नाली का जनहित में निर्माण कराये जाने की माँग

15-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के कमलानगर क्षेत्र में ओम विहार कालोनी नटराजपुरम् के पीछे तक की आन्तरिक सड़कें, गली व नाली जर्जर हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त आन्तरिक सड़कों, गली व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ। सड़क व नाली क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग ओम विहार कालोनी नटराजपुरम के पीछे आंतरिक सड़क निर्माण एवं नाली मरम्मत कार्य का आगणन तैयार करा लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के किशोरपुरा गली-24, 25 व 26 के पीछे दूषित जलापूर्ति के कारण उक्त स्थान पर हैण्ड पम्प लगवाने की माँग

16-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के किशोरापुरा गली-24, 25 व 26 के पीछे वहां वाटरवर्क्स द्वारा आपूर्ति किये जाने वाला पानी गन्दा एवं दूषित व बदबूदार होने के कारण पीने योग्य नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर हैण्ड पम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

आगरा शहर की जलापूर्ति जल संस्थान आगरा द्वारा की जाती है। आगरा शहर में वाटर वर्क्स द्वारा आपूर्ति किया जा रहा जल पूर्ण रूपेण स्वच्छ एवं पीने योग्य है। किशोरपुरा गली नं0 24, 25 व 26 के पीछे सिकन्दरा स्थित द्वितीय जलकल के एम0वी0वी0आर0 ट्रीटमेन्ट प्लान्ट से जलापूर्ति की जाती है। किशोरपुरा गली नं0 24, 25 व 26 में कम दबाव पर जलापूर्ति हो रही है।

मा0 सदस्य, विधान सभा जी की संस्तुति पर 70 नये हैण्डपम्प नगरीय क्षेत्र में अधिष्ठापित किये जा चुके है। जायका सहायतित आगरा जलसम्पूर्ति योजना का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के कार्य पूर्ण होने पर आगरा शहर में समुचित रूप से जलापूर्ति हो सकेगी।

आगरा में वैशाली नगर की जर्जर सड़क व नाली की मरम्मत की माँग

17-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के बोदला क्षेत्र में वैशाली नगर की सड़क व नाली जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खाँ-

जी हाँ। सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु हॉटमिक्स द्वारा सड़क सुधार, साइड पटरी पर इण्टरलॉकिंग एवं नाली मरम्मत के कार्य का आगणन धनांक रु0 9,99,500.00 का तैयार करा लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 नगर निगम अधिनिय 1959 तथा संपत्तिकर नियमावली, 2013 की गृहकर तथा वाणिज्यिक कर में विसंगतियों को दूर करने संबंधी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 08-03-2016 पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

18-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 8 मार्च 2016, उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम 1959 तथा संपत्तिकर नियमावली 2013 की गृहकर तथा वाणिज्यिक कर में विसंगतियों को दूर करने सम्बन्धित है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गृहकर तथा वाणिज्य कर में संशोधन के सुझावात्मक ज्ञापन विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न पार्षदगण के पत्र दिनांक 08-03-2016 पर की गई कार्यवाही की जानकारी

19-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ संलग्न पार्षदगण सर्वश्री शिवसेवक सिंह, आनन्द घिल्डियाल, कमलेश सिंह, उत्तम कुमार (पूर्व पार्षद) का पत्र प्रदेश में गृहकर तथा वाणिज्यिक कर में संशोधन के सुझावात्मक ज्ञापन विषयक दिनांकित 8 मार्च 2016, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी हां।

कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली नगर निगम में भी कानपुर नगर निगम की भाँति आवासीय एवं अनावासीय भवनों पर प्रति वर्ग फुट दर को निर्धारित करने की माँग

20-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के नगर निगमों द्वारा प्रतिवर्ग फुट किराये के दर के नियम पूरे प्रदेश में होने के बावजूद बरेली नगर निगम में किराया कानपुर नगर

निगम से दुगना होने की वजह से बरेली में हाउस टैक्स अधिक है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में कानपुर की भांति ही बरेली में भी आवासीय एवं अनावासीय भवनों के प्रति वर्ग फुट दर को निर्धारित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0प्र0 नगर निगम सम्पत्ति कर नियमावली, 2000 की धारा-4(क) में दिये गये प्राविधानों के अनुसार मुख्य नगर अधिकारी, वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार, यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिये कारपेट एरिया की प्रति वर्ग फिट न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के लिये क्षेत्रफल की प्रतिवर्ग फुट लागू मासिक किराये की दर-(एक) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर, और (दो) ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्र का वर्तमान किराये का न्यूनतम दर को ध्यान में रखते हुए नियत करेगा।

नगर निगम, बरेली द्वारा उक्त नियमावली के प्राविधानों के अन्तर्गत स्वःकर निर्धारण की प्रक्रिया को अपनाते हुए 02 वर्ष में दरों का पुनरीक्षण किया जाता है। नगर निगम बरेली द्वारा सम्पतिकर निर्धारण की प्रस्तावित दरों का प्रकाशन प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से करते हुए लिखित आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये, प्राप्त कुल 71 आपत्तियों पर सुनवाई करने के उपरान्त दरों का निर्धारण गुण दोष के आधार पर नियमानुसार किया गया है। उक्त पुनरीक्षित दरें 01 अप्रैल, 2015 से प्रभावी है। इस प्रकार नगर निगम, बरेली में आवासीय भवनों पर करारोपण की कार्यवाही नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-174 (2) एवं नगर निगम सम्पत्तिकर नियमावली, 2000 के अनुसार तथा अनावासीय भवनों पर करारोपण नगर निगम, 1959 की धारा-174 (1) एवं उ0प्र0 नगर निगम (सम्पत्तिकर) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2013 के प्राविधानों के अनुसार किया जाता है।

जनपद फिरोजाबाद में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचालयों को चिन्हित कर सघन एवं प्रभावी अभियान चलाने की माँग

21-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत नगर निगम फिरोजाबाद में व्यक्तिगत शौचालय के चयन प्रक्रिया में अनेक मलिन बस्तियों में आवास चयनित होने से वंचित रह गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार नगर निगम फिरोजाबाद में व्यक्तिगत शौचालयों को चिन्हित करने हेतु एक सघन एवं प्रभावी अभियान चलायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर निगम, फिरोजाबाद में सघन जांच कराकर यह सुनिश्चित किया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में शहर के मलिन बस्तियों सहित अन्य बस्तियों में कोई भी आवास चयनित रहने से वंचित न रह जाय।

बरेली शहर की पुरानी एवं चोक सीवर लाइन के स्थान पर नई सीवर लाइन के निर्माण की माँग

22-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में लगभग 30 वर्ष से अधिक पुरानी सीवर लाइन अक्सर चोक एवं ध्वस्त हो जाती है जिससे शहर के विभिन्न हिस्सों में अक्सर गन्दे पानी का ठहराव होता रहता है ? यदि हां, तो क्या सरकार पुरानी व ध्वस्त सीवर लाइन के स्थान पर वर्तमान जनसंख्या की आवश्यकतानुसार नई सीवर लाइन का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

बरेली शहर की सीवर लाइन का रख-रखाव नगर निगम, बरेली द्वारा किया जा रहा है। सीवर लाईन पुरानी होने के कारण सीवर लाईन के चोक होने अथवा ध्वस्त होने की शिकायत प्राप्त होने अथवा संज्ञान में आने पर नगर निगम बरेली द्वारा तत्परता से कार्यवाही की जाती है।

भारत सरकार के निर्देशानुसार अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत बरेली नगर में नई सीवर लाइन बिछाने हेतु शहर को चार जोन सेन्ट्रल सिटी, नार्थ डेवलेपमेन्ट, ट्रान्स रेलवे एवं सुभाषनगर जोन में विभक्त किया गया हैं। योजना के आवश्यकतानुसार भूमि की उपलब्धता के सापेक्ष सेन्ट्रल सिटी जोन की डी0पी0आर0 रु0 501.00 करोड़ एवं नार्थ डेवलपमेन्ट जोन की डी0पी0आर0 रु0 370.54 करोड़ के विरचन की कार्यवाही की जा रही है। अन्य दो जोन्स की डी0पी0आर0 के विरचन का कार्य भी प्रगति पर है। योजना की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त होने तथा धनराशि प्राप्त होने के उपरान्त कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बरेली के बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र में सिद्धार्थनगर (परतापुर) कतिपय क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों के निर्माण की माँग

23-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र में सिद्धार्थनगर (परतापुर), किला छावनी, डेलापीर आदि क्षेत्रों में सड़कों एवं नालियों की स्थिति काफी क्षतिग्रस्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्रों की सड़क एवं नाली बनवाने का कार्य करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी हां।

धन उपलब्धता के आधार पर क्षतिग्रस्त सड़कों एवं नालियों की मरम्मत का कार्य कराया जाता है। नगर निगम सदन द्वारा विकास कार्य हेतु वार्डवार धन आवंटित किया गया है, जिसके सापेक्ष वार्ड के पार्षदों के द्वारा प्राथमिकता पर अपने क्षेत्र के विकास कार्य की सूची उपलब्ध करायी जा रही है, उसी के आधार पर विकास कार्य किये जा रहे हैं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा के दयालबाग में जयराम बाग के दीप इन्क्लेव कालोनी की जर्जर सड़क व नाली का जनहित में निर्माण की माँग

24-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा के दयालबाग में जयराम बाग के दीप इन्क्लेव कालोनी के मकान नम्बर-18 से 26 तक की सड़क व नाली वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त सड़क व नाली निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी हां। सड़क व नाली क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण एवं नाली मरम्मत के कार्य का आगणन धनांक रु0 11.44 लाख का तैयार करा लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के सौरभ नगर दहतोरा के जर्जर खड़न्जा व नाली के निर्माण की माँग

25-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के बोदला क्षेत्र में सौरभ नगर दहतोरा की खड़न्जा व नाली वर्षों से जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त खड़न्जा व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु लोहामण्डी वार्ड सौरभनगर में रमेश के मकान से मनोज के मकान तक मार्ग पर इण्टरलॉकिंग सड़क व नाली मरम्मत कार्य का आगणन तैयार कराया गया है। उक्त कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर के हरीपर्वत क्षेत्र में बजीरपुरा की जर्जर सड़क, खड़न्जा व नाली का जनहित में निर्माण कराये जाने की माँग

26-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर के हरीपर्वत क्षेत्र में बजीरपुरा की खड़ंजा, सड़क व नाली वर्षों से जर्जर हैं ? जनहित में यहां खड़ंजा, सड़क व नाली निर्माण की अति आवश्यकता है। यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त खड़ंजा, सड़क व नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी हाँ। सड़क क्षतिग्रस्त है।

प्रश्नगत मार्ग के निर्माण एवं नाली मरम्मत के कार्य का आगणन धनांक रु0 24.41 लाख का तैयार करा लिया गया है। धन की उपलब्धता के आधार पर कार्य कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के स्थानीय निकायों हेतु चौदहवें वित्त आयोग वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत बजटीय एवं अवमुक्त धनराशि के विवरण की माँग

27-श्री सतीश महाना

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चौदहवें वित्त आयोग वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत प्रदेश के स्थानीय निकायों में कितनी धनराशि का प्राविधान किया गया है और उसमें से कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? क्या सरकार उसका सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 में नगरीय निकायों हेतु सामान्य बुनियादी अनुदान के रूप में कुल धनराशि रु0 983.60 करोड़ का प्राविधान है। उक्त प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के आदेश संख्या-8/8780/171/14वें सी0एफ0सी0/ 2015-16, दिनांक 04-09-2015 एवं आदेश संख्या-8/129/171/14वें वि0आ0/2015-16, दिनांक 09 मई, 2016 द्वारा क्रमशः रु0 491.80 करोड़ की प्रथम किश्त एवं रु0 491.80 करोड़ की द्वितीय किश्त कुल धनराशि रु0 983.60 करोड़ अवमुक्त की जा चुकी है।

जी हाँ। उक्त विवरण की 05 प्रतियाँ सदन के पटल पर रख दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद में नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत कतिपय सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के कतिपय दिनांकित पत्रों पर की गयी कार्यवाही की जानकारी

28-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में नगरीय सड़क सुधार योजना के अन्तर्गत कतिपय सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित क्रमशः 8-06-2016, 09-06-2016, 15-06-2016 तथा 29-06-2016 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

उल्लिखित पत्रों में से दिनांक 08-06-2016 एवं 09-06-2016 के पत्र प्राप्त हुए हैं।

उल्लिखित पत्र सड़कों के निर्माण/पुनर्निर्माण से संबंधित हैं, जिन्हें आवश्यक कार्यवाही हेतु नगर निगम, इलाहाबाद को प्रेषित कर दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

इलाहाबाद की मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार व अवस्थापना निर्माण सूडा द्वारा कराने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 8 जून, 2016 पर की कार्यवाही की जानकारी

29-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 8 जून, 2016 जो कि इलाहाबाद की मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार व अवस्थापना निर्माण सूडा द्वारा कराने सम्बन्धी उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खाँ-

जी हां।

राजापुर, गंगानगर नेवादा, नेवादा-अशोक नगर, मऊ सर्रैया, शंकरघाट पीताम्बर नगर, तेलियरगंज, जोधवल पश्चिमी, फुलरिया रोड-इन्दिरा नगर कालोनी-दारागंज, सर्रैया दलित बस्ती-दारागंज, बूचड़खाना व कंगाल बस्ती कर्नलगंज एवं राम वाटिका के पीछे परेड बस्ती से सम्बन्धित प्रस्ताव जिला नगरीय विकास अभिकरण (डूडा), इलाहाबाद द्वारा उपलब्ध कराये गये थे। उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में कमियां होने के कारण राज्य नगरीय विकास अभिकरण के पत्र संख्या-2280/03/10/छः/विविध/इलाहाबाद दिनांक 11.08.2016 द्वारा डूडा को वापस कर दिया गया है। इंगित कमियों के निराकरण के उपरान्त डी0पी0आर0 प्राप्त होने पर बजट की उपलब्धता के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद की अल्पसंख्यक बाहुल्य व मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार व अवस्थापना निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 17 मार्च, 2016 पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

30-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 17 मार्च, 2016 जो कि इलाहाबाद की अल्पसंख्यक बाहुल्य व मलिन बस्तियों में पर्यावरण सुधार व अवस्थापना निर्माण सम्बन्धी है, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

बी0एस0यू0पी0 योजनान्तर्गत मातादीन का पुरा तथा फाफामऊ गांव में स्वीकृत आवासों में से 322 आवास पूर्ण हो चुके हैं एवं 23 आवास प्रगति पर हैं। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0 के परियोजना प्रबन्धक द्वारा अवगत कराया गया है कि माह सितम्बर, 2016 तक परियोजना पूर्ण कर कम्प्लीशन सर्टीफिकेट प्रेषित कर दिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को सम्पूर्ण धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है। आवास पूर्ण हो जाने के उपरान्त आवास आवंटन की कार्यवाही यथाशीघ्र पूर्ण कर ली जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बनारस के दीनापुर के सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट हेतु कास्तकारों से अधिग्रहीत की गयी जमीन का मुआवजा दिलाये जाने की मांग

31-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बनारस के दीनापुर के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अधिग्रहीत 49.5 एकड़ जमीन का मुआवजा कास्तकारों को कई वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा भू-स्वामी को दिलायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

गंगा एक्शन प्लान फेज-1 के अन्तर्गत दीनापुर में 80 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु वर्ष 1986 में नगर निगम, वाराणसी द्वारा 49.68 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया था। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित कुल 42 किसानों को तत्कालीन सर्किल रेट के आधार पर प्रतिकर रु0 31.106 लाख का भुगतान कर दिया गया था। उक्त 42 प्रभावित किसानों में से 19 किसानों द्वारा जिला न्यायालय, वाराणसी में अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि की मांग हेतु वाद योजित किये जाने पर 17 वादों में जिला न्यायालय वाराणसी द्वारा अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील योजित की गयी।

15 वादों में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 23 मार्च, 2015 के अनुपालन में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), वाराणसी द्वारा सम्बन्धित 15 किसानों को देय अतिरिक्त प्रतिकर की गणना दिनांक 14-08-2015 को विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), वाराणसी की गणना के अनुसार रु0 5,30,62,539.00 (रु0 पांच करोड़ तीस लाख, बांसठ हजार, पांच सौ तिरानवे मात्र) का भुगतान किया जाना था, जिसके सापेक्ष जमा आयकर की कटौती के उपरान्त शेष धनराशि का भुगतान दिनांक 14-08-2015 को सम्बन्धित न्यायालय को कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त अपील सं0-156/2010 अमर बहादुर सिंह बनाम उ0 प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-08-2015 एवं वाद सं0-एल0ए0आर0 345/1989 लालमन व छोटे बनाम उ0 प्र0 सरकार व अन्य में जिला न्यायालय, वाराणसी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-11-2015 के अनुपालन में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), वाराणसी द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 08-03-2016 को सदन में की गयी घोषणा के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 04-07-2016 पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

32-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 08 मार्च, 2016 को सदन में प्रत्येक विधायक को विधान सभा क्षेत्र में 08 कि0मी0 सड़क देने की घोषणा के क्रम में प्रश्नकर्ता का

पत्र दिनांक 04-07-2016 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्र के विधायकों के लिए गैर लोक निर्माण विभाग की सड़कों का निर्माण कराये जाने सम्बन्धी शासनादेश जारी करायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर विकास खण्ड के कतिपय कच्चे एवं क्षतिग्रस्त मार्ग का जनहित में निर्माण/मरम्मत कराने की मांग

33-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर विधान सभा क्षेत्र तिलहर विकास खण्ड-निगोही में बरैचा से बुदानगर तक, रेलवे स्टेशन निगोही से कटैया उस्मानपुर तक एवं बिलसण्डा रोड पर ईशापुर से बहादुरपुर तक के मार्ग कच्चे गड्ढ़ायुक्त ऊबड़-खाबड़ मार्ग होने के कारण जनता को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण/मरम्मत कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र तिलहर विकास खण्ड निगोही में बरैंचा से बुढ़ानपुर तक रेलवे स्टेशन निगोही से कटैया उस्मानपुर तक एवं बिलसण्डा रोड ईशापुर से बहादुरपुर तक के मार्ग ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायत निगोही एवं जिला पंचायत, शाहजहांपुर के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं।

नगर निगम फिरोजाबाद में कूड़ा/कचरा (ठोस अपशिष्ट) के निस्तारण हेतु स्वीकृत स्थायी ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के निर्माण हेतु आवंटित बजट/धनराशि की जानकारी

34-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर निगम फिरोजाबाद में कूड़ा/कचरा (ठोस अपशिष्ट) के निस्तारण हेतु स्वीकृत स्थायी ट्रैंचिंग ग्राउंड (खत्ता घर) के निर्माण हेतु बजट/धनराशि का आवंटन कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

शासनादेश संख्या-364/2015/6200/नौ-5-2015-178सा/2014 टी0सी0, दिनांक 05 जनवरी, 2016 द्वारा फिरोजाबाद नगर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्लान्ट की स्थापना के अन्तर्गत स्थायी ट्रेंचिंग ग्राउन्ड के लिये भूमि अर्जन हेतु रु0 10,74,06,000/- की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली नगर में सांलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट प्रोजेक्ट के निर्माण का कार्य पुनः चालू कराने के सम्बन्ध में की गयी कार्रवाई की जानकारी

35-डा0 अरुण कुमार-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली नगर में नितान्त आवश्यक सांलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का निर्माण विवादित भूमि पर शुरू होने के कारण बन्द हो गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार अन्य किसी जगह पर भूमि लेकर उक्त प्रोजेक्ट का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

बरेली एयरफील्ड के अन्तर्गत कूड़े के वैज्ञानिक पद्धति से निस्ताराणार्थ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना के निर्माण हेतु ग्राम रजऊ परसपुर में 21.20 एकड़ भूमि नगर निगम, बरेली द्वारा उपलब्ध करायी गयी थी। इस भूमि पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट योजना लागत रु0 1386.00 लाख कार्य दिनांक 19-01-2006 को प्रारम्भ कराकर दिनांक 31-03-2013 को पूर्ण करा दिया गया। तत्पश्चात् इस योजना को बरेली नगर निगम द्वारा हस्तगत कर विधिवत् रूप से दिनांक 30-05-2014 तक संचालित किया गया। मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नई दिल्ली के स्थगनादेश के कारण इसका संचालन बन्द है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत परसाखेड़ा इन्डस्ट्रियल एरिया से निकलने वाले अर्धनिर्मित नाले को पूरा करवाने की मांग

36-डा0 अरुण कुमार

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत परसाखेड़ा इंडस्ट्रियल एरिया से निकलने वाले अर्धनिर्मित नाले को सरकार पूरा करायेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत नाले के बनाये जाने के लिये नगर निगम, बरेली द्वारा वन विभाग से मांगी गयी अनापत्ति अभी प्राप्त नहीं हुई है। वांछित अनापत्ति प्राप्त होने पर नाले का निर्माण नगर निगम, बरेली द्वारा कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर में बेसिक शिक्षा परिषद् के जर्जर भवन व बाउण्ड्रीवाल विहीन विद्यालयों के जीर्णोद्धार करवाने की मांग

37-श्री सुरेश कुमार खन्ना

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर में बेसिक शिक्षा परिषद् के कितने जूनियर व प्राइमरी विद्यालय भवन जर्जर अवस्था में हैं तथा कितने बाउण्ड्रीवाल विहीन हैं ?

क्या सरकार जनहित में उक्त विद्यालयों के जर्जर भवन तथा बाउण्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

शाहजहांपुर नगर में बेसिक शिक्षा परिषद् का कोई भी जूनियर हाई स्कूल भवन जर्जर अवस्था में नहीं है। 09 प्राथमिक विद्यालय किराये के भवनों में संचालित हैं, जिनके भवन जर्जर हैं। एक प्राथमिक विद्यालय चहारदीवारी विहीन है। किराये के भवनों में संचालित विद्यालयों का निर्माण राजकीय कोष से सम्भव नहीं है। इन विद्यालयों को अन्यत्र स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायेगा। चहारदीवारी निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2016-2017 में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। जिसके कारण वर्तमान वर्ष में चहारदीवारी का निर्माण सम्भव नहीं है।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

इलाहाबाद के कर्नलगंज कोतवाली के अन्तर्गत हुयी चोरियों की रिपोर्ट दर्ज करने में शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 6 मई, 2016 पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

38-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांकित 6 मई, 2016 जो कि इलाहाबाद के कर्नलगंज कोतवाली के अन्तर्गत ममफोर्डगंज में हुई चोरियों की प्राथमिक रिर्पोट सही समय पर दर्ज न करने तथा विवेचना में जानबूझकर शिथिलता बरतने के सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक (कानून व्यवस्था) को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

सन्दर्भित-पत्र को अपर पुलिस महानिदेशक, (कानून-व्यवस्था), उ0 प्र0 लखनऊ के पत्रांक-डी0जी0-पांच-17(ए-28) 2016, दिनांक 06 मई, 2016 द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद, को प्रेषित करते हुए पत्र में उल्लिखित घटनाओं के सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कराकर नियमानुसार कार्यवाही कराये जाने के निर्देश दिये गये।

उक्त निर्देश के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इलाहाबाद की आख्या के अनुसार :-

1-दिनांक 04-04-2015 को वादी श्री अभिषेक श्रीवास्तव निवासी 221ए/191 फव्वारा चौराहा, ममफोर्डगंज, थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद की तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-254/15 धारा-457/380 आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1-बबलू यादव, 2-सुमित भारतीय, 3-अभिषेक कुमार को गिरफ्तार करते हुए आरोप-पत्र संख्या-150, दिनांक 16-9-2015 को प्रेषित किया गया है।

2-श्री आर0डी0 यादव निवासी म0 नं0-33बी ममफोर्डगंज की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-446/15 धारा-454/380 आई0पी0सी0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। विवेचना से प्रकाश में आये अभियुक्तगण। 1-बबलू यादव, 2-सुमित भारतीय, 3-अभिषेक कुमार को गिरफ्तार करते हुए आरोप-पत्र संख्या-155, दिनांक 16-9-2015 को प्रेषित किया गया है।

3-श्री महेन्द्र कुमार सिंह निवासी-219ए/189 पुराना ममफोर्डगंज की तहरीरी सूचना के आधार पर मु0अ0सं0-212/15 धारा-380 भादवि पंजीकृत करते हुए विवेचनोपरान्त पर्याप्त साक्ष्य न पाये जाने पर अन्तिम रिपोर्ट संख्या-282, दिनांक 20-7-2015 को प्रेषित की गयी है।

4-श्री कृष्ण चन्द्र जायसवाल निवासी 30बी बलरामपुर हाउस, थाना कर्नलगंज, इलाहाबाद की तहरीर पर मु0अ0सं0-229/16 धारा-380 आई0पी0सी0 पंजीकृत किया गया। विवेचना से अभियुक्तगण 1-सूरज सिंह, 2-चन्दन पटेल, 3-शशिकान्त निषाद, 4-दिनेश कुमार गुप्ता, 5-सोम भारतीय एवं 6-आशीष सिंह के नाम प्रकाश में आये। अभियोग में धारा-411 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी करते हुए अभियुक्तगण 1-सूरज सिंह, 2-चन्दन पटेल, 3-शशिकान्त निषाद, 4-दिनेश कुमार के विरुद्ध आरोप-पत्र संख्या-1, दिनांक 09-05-2016 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है। शेष दो अभियुक्तों के विरुद्ध विवेचना प्रचलित है।

5-श्री ऋषभ जायसवाल पुत्र श्री प्रकाश जायसवाल निवासी 279 पुराना ममफोर्डगंज, इलाहाबाद की लिखित तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-242/16 धारा-380 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। विवेचनोपरान्त अभियुक्त रोहित कुमार को गिरफ्तार करते हुए अभियोग में धारा-411 भा0द0वि0 की बढ़ोत्तरी की गयी एवं आरोप-पत्र संख्या-1 दिनांक 28-05-2016 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

6-श्री वी0 के0 वर्मा, रिटायर्ड विंग कमाण्डर के घर पर घटित चोरी की घटना के सम्बन्ध में दिनांक 27-4-16 को तहरीर प्राप्त होने पर मु0अ0सं0-341/16 धारा-380 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया। अभियोग की विवेचना प्रचलित है।

7-देवेन्द्र कुमार सिंह पुत्र श्री वीरबल सिंह निवासी फरेहटूपुर, कुण्डा, प्रतापगढ़ की तहरीर पर दिनांक 17-2-16 को मु0अ0सं0-167/16, धारा-379 भा0द0वि0 पंजीकृत कराया गया है। विवेचनोपरान्त चोरी गये वाहन को बरामद करते हुए अभियुक्त को जेल भेजा गया है।

8-श्री अमित सिन्हा पुत्र श्री लाल कृष्ण सिन्हा निवासी 186 पुराना ममफोर्डगंज, थाना-कर्नलगंज, इलाहाबाद की तहरीरी सूचना पर मु0अ0सं0-203/16, धारा-379 आई0पी0सी0 पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मथुरा के जवाहर बाग को खाली करवाने में हुयी मौतों की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग

39-श्री पूरन प्रकाश-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में दिनांक 02-06-2016 को उद्यान विभाग की सरकारी जमीन जो जवाहर बाग, मथुरा में स्थिति है, को खाली कराने में जिला प्रशासन के आपसी सहयोग सामंजस्य न होने के कारण दो पुलिस अधिकारी एवं 28 अन्य व्यक्तियों की मौतें हुई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या-1164/ छः पु0-12-2016-4(13)डी/16, दिनांक 07-06-16 एवं अधिसूचना संख्या-1606/ छः पु0-12-2016-4(13)डी/16, दिनांक 05-08-16 द्वारा श्री मिर्जा इम्तियाज मुर्तजा, (सेवानिवृत्त) मा0 न्यायमूर्ति, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग का गठन कर दिया गया है। मा0 आयोग द्वारा जांच की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

आगरा नगर में आवास विकास कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण की मांग

40-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में आवास विकास कालोनी की जर्जर व गड्ढायुक्त हो गई सड़कों का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

आगरा नगर निगम द्वारा समय-समय पर धन की उपलब्धता के आधार पर आवास विकास कालोनी की क्षतिग्रस्त सड़कों का सुधार एवं नाली मरम्मत का कार्य कराया जाता है। उक्त के अतिरिक्त आवास एवं विकास परिषद्, आगरा द्वारा भी आवास विकास कालोनी की सड़कों का सुधार व नाली मरम्मत का कार्य कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016-2017 में धन की उपलब्धता के आधार पर नगर निगम द्वारा आवास विकास कालोनी में सड़क सुधार व नाली मरम्मत हेतु 09 कार्य धनांक रु0 77.04 लाख के स्वीकृत हैं तथा 19 कार्यों के आगणन तैयार कराये गये हैं।

उक्त कार्यों को धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् क्षेत्र के मोहल्ला वजीरगंज से अटा चौराहा के चौड़ीकरण का कार्य पूर्ण करवाने की मांग

41-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में मोहल्ला वजीरगंज से अटा चौराहा जाने वाला मार्ग चौड़ीकरण हेतु पिछले 6 माह से खुदा है, जिसके

कारण आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का चौड़ीकरण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

जी हां।

माह दिसम्बर, 2016 तक कार्य पूर्ण करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गाजियाबाद के थाना कविनगर में दहेज अधिनियम की धारा-3/4 के अन्तर्गत वर्ष 2015 में पंजीकृत हुए मुकदमों पर अब तक की गयी कार्रवाई की जानकारी

42-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजियाबाद के थाना कविनगर में कितने मुकदमें वर्ष 2015 में दहेज अधिनियम में धारा-3/4 के अन्तर्गत पंजीकृत हुए तथा इनमें से कितनों में अब तक चार्जशीट दाखिल की गयी ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि मु0अ0सं0-429/15 धारा-498 (ए), 323, 504, 506 तथा दहेज अधिनियम की धारा-3/4 के मामले में अभी तक मुल्जिमों की गिरफ्तारी में विलम्ब का क्या कारण है ?

श्री अखिलेश यादव-

थाना कविनगर, जनपद गाजियाबाद पर वर्ष 2015 में धारा-3/4 दहेज अधिनियम के अन्तर्गत कुल 05 अभियोग पंजीकृत हुए हैं, जिनमें से 02 में आरोप-पत्र, 02 में अन्तिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी है तथा 01 अभियोग विवेचनाधीन है।

थाना कविनगर, जनपद गाजियाबाद में पंजीकृत मु0अ0सं0-429/15 धारा-498ए 323, 504, 506 भादवि तथा ¾ दहेज अधिनियम का कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है। वर्ष 2015 में थाना कविनगर, जनपद गाजियाबाद पर मु0अ0सं0-429/15 पर धारा-110जी द0प्र0सं0 अंकित है, जिसकी चालानी रिपोर्ट प्रेषित की गयी है।

जनपद लखनऊ के कतिपय क्षेत्रों की कालोनियों की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत की मांग

43-श्री पूर्णमासी देहाती-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के अन्तर्गत सीतापुर रोड, लखनऊ में गायत्री नगर, नौबस्ती खुर्द, हरिहरनगर, भरतनगर के कालोनियों को क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

जी हां।

प्रश्नगत कालोनियां नगर निगम, लखनऊ के फैजुल्लागंज वार्ड प्रथम व द्वितीय के अन्तर्गत आती है। वर्तमान समय में इन वार्डों के अन्तर्गत आने वाली कालोनियों में समग्र विकास योजना के अन्तर्गत धनांक रु0 1162.58 लाख के कार्य सड़कों के निर्माण/मरम्मत के कराये जा रहे हैं। इनके

अतिरिक्त नगर निगम अपने संसाधनों से भी उक्त बस्तियों में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य कराता रहता है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित तथा संचालित सी0डब्लू0आर0 (क्लीयर वाटर रिजर्वायर) के सम्बन्ध में की गई कार्रवाई की जानकारी

44-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत कितने सी0डब्लू0आर0 (क्लीयर वाटर रिजर्वायर) बनाया जाना प्रस्तावित था तथा उनमें से कितने संचालित है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो सी0डब्लू0आर0 संचालित नहीं हो सके हैं, उनको कब तक संचालित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित 76 सी0डब्लू0आर0 में से 19 सी0डब्लू0आर0 की टेस्टिंग व कमीशनिंग का कार्य पूर्ण कर आंशिक रूप से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है तथा 17 सी0डब्लू0आर0 की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

शेष 40 सी0डब्लू0आर0 में से 17 सी0डब्लू0आर0 कैण्ट क्षेत्र एवं 23 सी0डब्लू0आर0 दक्षिणी क्षेत्र व सिटी क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, की टेस्टिंग और कमीशनिंग का कार्य चरणबद्ध रूप से मार्च, 2017 तक किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित एवं संचालित ओवर हेड टैंकों की जानकारी

45-श्री सतीश महाना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 योजना के अन्तर्गत कितने ओवरहेड टैंक बनाये गये हैं और उनमें से कितने संचालित हैं ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि जो ओवरहेड टैंक संचालित नहीं हैं, उनको कब तक संचालित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

कानपुर महानगर में जे0एन0एन0यू0आर0एम0 कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल प्रस्तावित 45 ओवर हेड टैंक में से 22 की टेस्टिंग व कमीशनिंग का कार्य पूर्ण कर आंशिक रूप से जलापूर्ति प्रारम्भ कर दी गई है तथा 9 ओवर हेड टैंक की टेस्टिंग का कार्य प्रगति पर है।

शेष 14 ओवर हेड टैंक में से 10 ओवर हेड टैंक कैण्ट क्षेत्र एवं 04 ओवर हेड टैंक दक्षिणी क्षेत्र से सम्बन्धित हैं, की टेस्टिंग और कमीशनिंग का कार्य चरणबद्ध रूप से मार्च, 2017 तक किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में व्यापारियों पर हो रहे अपराधों को रोकने के सम्बन्ध में व्यापारी सेल गठित करने की मांग

46-श्री सुरेश राणा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में जनवरी, 2016 से 28 जुलाई, 2016 तक कितने व्यापारियों से आपराधिक तत्वों द्वारा रंगदारी की मांग की गयी है तथा इस दौरान रंगदारी न देने पर कितने व्यापारियों की हत्या की गई है ? क्या सरकार ऐसे उत्पीड़न को रोकने के लिये व्यापारी सेल का गठन करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

अखिलेश यादव-

प्रदेश में दिनांक 01-01-2016 से दिनांक 28-07-2016 के मध्य आपराधियों तत्वों द्वारा 75 व्यापारियों से रंगदारी मांगने तथा रंगदारी न देने पर 02 व्यापारियों की हत्या किये जाने की घटनाएं हुई हैं।

प्रदेश में व्यापारियों से रंगदारी मांगने सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के आदेश दिनांक 13-11-2014 द्वारा जनपदों में ''एण्टी एक्सटोर्सन सेल'' का गठन किया गया है।

व्यापारिक प्रतिष्ठानों, सराफा बाजारों में पिकेट/गश्त की व्यवस्था की जाती है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के जनपदों में उद्योग बन्धुओं एवं व्यापारियों की सुरक्षा हेतु समय-समय पर जनपद स्तर पर बैठक आयोजित कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था/समस्याओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की जाती है और तद्नुसार उनके उत्पीड़न रोकने व रंगदारी वसूलने व घटनाओं की रोकथाम व उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/थाना प्रभारियों द्वारा सम्यक् वैधानिक कार्यवाही की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में नदियों को प्रदूषण मुक्त कराने के लिए सरकार द्वारा बनायी गयी ठोस कार्य योजना में शामली जनपद की नदियों को सम्मिलित किए जाने की मांग

47-श्री सुरेश राणा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने की कोई ठोस कार्य योजना सरकार तैयार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि उक्त योजना में शामली जनपद की काली एवं हिण्डन नदियों को भी सम्मिलित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां। प्रदेश में नदियों के प्रदूषण को मुक्त करने हेतु भारत सरकार के नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत गंगा नदी के किनारे स्थित विभिन्न नगरों में बहने वाले नालों के इण्टरसेन्शन/डायवर्जन तथा सीवेज शोधन संयंत्र कार्य हेतु कुल 36 परियोजनायें विरचित कर एन0एम0सी0जी0, भारत सरकार को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है।

जी नहीं।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद शामली सम्मिलित नहीं है।

48-श्री पूरन प्रकाश-

(1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

जनपद लखनऊ के हजरतगंज स्थित नरही बाजार से यू0पी0टेक0 (दैनिक जागरण) चौराहे तक के क्षतिग्रस्त मार्ग का जनहित में मरम्मत करवाने की मांग

49-श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के हजरतगंज स्थित नरही बाजार होते हुए यू0पी0टेक0 (दैनिक जागरण) चौराहा मार्ग जर्जर एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की जनहित में मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

जी हां।

सड़क पर गड्ढ़ों को जी0एस0बी0 से भराकर गड्ढ़ामुक्त कर दिया गया है। डामरीकरण का कार्य वर्षा ऋतु के उपरान्त कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ नगर में स्थित चिड़ियाघर के गेट नं0-1 से गेट नं0-2 को जाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क का जनहित में मरम्मत करवाने की मांग

50-श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के हजरतगंज स्थित चिड़ियाघर के गेट नं0-1 से गेट नं0-2 (चिड़ियाघर के किनारे-किनारे डी0जी0पी0 आवास की तरफ) को जाने वाला मार्ग क्षतिग्रस्त एवं गड्ढायुक्त होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

जी हां।

धन की उपलब्धता पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पंचायत बड़हलगंज की सीमा से सटे नारकोटिक्स की भूमि पर फायर स्टेशन बनाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-02-2016 पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

51-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-02-16 के क्रम में आपके पत्रांक सं0-464/वी0आई0पी0मा0मं0सं0/न0वि0-2016 (29-02-2016) नगर पंचायत

बड़हलगंज की सीमा से सटे नारकोटिक्स की भूमि पर फायर स्टेशन बनाने विषयक प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर के बड़हलगंज स्थित मुक्तिपथ को नगर पंचायत बड़हलगंज से जोड़े जाने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-02-2016 पर की गयी कार्रवाई

52-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-02-16 के क्रम में आपके पत्रांक सं0-463/वी0आई0पी0मा0सं0/न0वि0-2016 (29-02-2016) द्वारा गोरखपुर के बड़हलगंज स्थित मुक्तिपथ को नगर पंचायत बड़हलगंज की देख-रेख एवं संचालन हेतु सौंपने विषयक था, सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

आपके उक्त पत्र पर जिलाधिकारी, गोरखपुर से आख्या मांगी गयी। जिलाधिकारी से प्राप्त आख्यानुसार नगर पंचायत बड़हलगंज का सीमा विस्तार किये जाने के उपरान्त मुक्तिपथ नगर पंचायत बड़हलगंज की सीमा में स्वयं आ जायेगा। नगर पंचायत बहड़हलगंज के सीमा विस्तार/उच्चीकरण की कार्यवाही प्रचलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज में सरयू नदी के किनारे वॉल और सीढ़ियां बनाने के विषय में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-06-2016 पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

53-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 24-06-16 के क्रम में आपका पत्र संख्या-462/वी0आई0पी0मा0अं0सं0/न0वि0-2016 गोरखपुर जो जनपद के बड़हलगंज में सरयू नदी के किनारे वाल और सीढ़ियां बनाने विषयक है, पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, नगर विकास को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

जिलाधिकारी के माध्यम से सम्बन्धित निकाय द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराये जाने पर धनराशि की उपलब्धता एवं कार्य की आवश्यकता के आधार पर अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ नगर के कल्याणपुर में कन्चना बिहारी मार्ग पर जनहित में अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए यातायात को सुगम बनाने की मांग

54-श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के कल्याणपुर में कन्चना बिहारी मार्ग पर हर समय जाम की स्थित से यातायात बाधित रहने के कारण रोगियों को अस्पताल ले जाने वाली एम्बुलेन्स समय से रोगी को अस्पताल नहीं पहुंचा पाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त मार्ग पर अवैध अतिक्रमण हटाते हुए यातायात सुगम बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी नहीं।

कोई स्थायी अतिक्रमण हटाने का कार्य समय-समय पर अभियान चलाकर किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर स्थित कल्याणपुर में कंचना बिहारी मार्ग के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों का जनहित में मरम्मत करवाने की मांग

55-श्री सिनोद कुमार शाक्य (दीपू)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित कल्याणपुर में कन्चना बिहारी मार्ग पर श्री रामदेव जयसवाल के मकान से श्री शर्मा जी के मकान तक बरसात के समय में जलभराव के कारण आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी नहीं। अतिवृष्ट के समय कभी-कभी कुछ समय के लिये जल भराव रहता है।

जी हां। समय-समय पर आवश्यकतानुसार पैच मरम्मत का कार्य कराया जाता है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई की जानकारी

56-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु सिंचाई विभाग एवं जल निगम, नगर निगम के मध्य अपेक्षित एम0ओ0यू0 साइन कर लिया गया है ? यदि हां, तो कब तथा इसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

फिरोजाबाद पेयजल पुनर्गठन योजना के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु सिंचाई विभाग एवं उ0प्र0 जल निगम/नगर निगम के मध्य अपेक्षित एम0ओ0यू0 निष्पादित करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

जनपद फिरोजाबाद के नगर निगम में स्थायी एवं संविदा कर्मचारियों की अधिक नियुक्ति के बावजूद उनकी लापरवाही से थोड़ी बरसात में ही नगर वासियों को हुयी परेशानी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई सम्बन्धी प्रकरण

57-श्री मनीष असीजा-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में नगर निगम फिरोजाबाद के स्वास्थ्य यूनिट एवं सीवर यूनिट में कुल कितने-कितने कर्मचारी स्थायी रूप से एंव कितने संविदा/ठेका पर नियुक्त हैं एवं इनको कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान प्रतिमाह किया जा रहा है ? क्या सरकार अवगत है कि इतनी बड़ी धनराशि के भुगतान के बावजूद माह जुलाई, 2016 में थोड़ी सी बरसात में नगर के अधिकांश मोहल्ले जलमग्न हो गये और मकानों/दुकानों आदि में पानी भरने के कारण नगर की जनता को काफी क्षति हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद द्वारा अवगत कराया गया है कि नगर निगम के स्वास्थ्य यूनिट में 717 एवं सीवर यूनिट में 03 कुल 20 कर्मचारी स्थायी रूप से कार्यरत हैं, जिन पर लगभग रु0 160.68 लाख व्यय किया जा रहा है।

स्वास्थ्य यूनिट में 119 संविदा कर्मचारी कार्यरत हैं तथा सीवर यूनिट कोई संविदा कर्मचारी कार्यरत नहीं है। इन कर्मचारियों का एक महीने में लगभग रु0 18.74 लाख व्यय किया जा रहा है।

स्वास्थ्य यूनिट में 627 एवं सीवर यूनिट में 15 कुल 642 ठेका मजदूर ठेकेदार के माध्यम से रखे गये हैं, जिन्हें रु0 64.96 लाख का भुगतान किया जा रहा है। उक्त तीनों मदों में नगर निगम से कुल धनराशि रु0 244.38 लाख प्रतिमाह व्यय किया जाता है।

माह जुलाई, 2016 में नगर निगम, फिरोजाबाद में किसी भी भाग में चार घण्टे से ज्यादा पानी का रूकाव नहीं हुआ है तथा नगर का कोई भाग जलमग्न की श्रेणी में नहीं आया है।

जलमग्न न होने के कारण कोई भी अधिकारी उत्तरदायी नहीं है और उनके विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद फिरोजाबाद के लोकतंत्र सेनानियों की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान राशि के सम्बन्ध में जिलाधिकारी को प्रेषित पत्र पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

58-श्री मनीष असीजा-

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में अब तक घोषित कुल 64 लोकतंत्र सेनानियों में से 4 की मृत्यु हो जाने के कारण सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 संख्या-587/79-वि0-1-16-1(क) 14-2016, दिनांक 22 मार्च, 2016 में इनके पति अथवा पत्नी को उक्त सम्मान राशि प्रदान करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, फिरोजाबाद का निदेशक/सचिव, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद् अनुभाग को दिनांक 02 जुलाई, 2016 को वित्तीय वर्ष 2016-17 में फिरोजाबाद के कुल 64 लोकतंत्र सेनानी एवं

उनके आश्रितों को सम्मान राशि उपलब्ध कराये जाने हेतु कुल 55 लाख 80 हजार की धनराशि आवंटित करने सम्बन्धी प्रेषित-पत्र (लोकतंत्र सेनानियों की सूची पत्र सहित) प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)-

शासन की अधिसूचना संख्या-587/79-वि-1-16-1(क)14-2016 दिनांक 22-03-2016 की धारा-6(1) में यह व्यवस्था है कि लोकतंत्र सेनानी की मृत्यु की दशा में, लोकतंत्र सेनानी की यथास्थिति, पत्नी या पति सम्मान राशि और सुविधायें प्राप्त करेगी/करेगा। उक्त व्यवस्था अधिसूचना निर्गत होने की तिथि 22-03-2016 से ही प्रभावी है।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2016-17 में लोकतंत्र सेनानी सम्मान राशि मद में प्रावधानित धनराशि में से जनपद-फिरोजाबाद को रु0 70,00,000/- (रु0 सत्तर लाख मात्र) की धनराशि आवंटित की गयी है। अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान अनुपूरक मांग के माध्यम से कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वाई-53, स्वर्ण जयंती विहार के एम0आई0जी0-3146 के सामने पार्क के सुन्दरीकरण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-07-16 पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

59-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-738/16, दिनांक 28-07-16 जो कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड-53, स्वर्ण जयन्ती विहार में एम0आई0जी0-3/146 के सामने पार्क का सुन्दरीकरण कराये जाने विषयक है, उपाध्यक्ष, कानपुर विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

स्वर्ण जयंती विहार योजना फेस-1, 3 व 4 विकास प्राधिकरण, कानपुर द्वारा नगर निगम, कानपुर को दिनांक 09-06-2014 को हस्तान्तरित किया गया है। पार्क के सौन्दर्यीकरण हेतु व्ययानुमान तैयार किया जा रहा है। पार्क के सौन्दर्यीकरण का कार्य कराया जाना नगर निगम के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 की कतिपय सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-07-16 पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

60-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-752/16, दिनांक 28-07-16 जो कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 राधापुरम् में

तीन सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक है, आयुक्त, नगर निगम कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र अनधिकृत कालोनी (प्राइवेट सोसाइटी) के अन्तर्गत आता है। उक्त कालोनियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य कराये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर में छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 के कतिपय क्षेत्रों की क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-07-16 पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

61-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-742/16, दिनांक 28-07-16 जो कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 दहेली सुजानपुर में एन0एच0ए0 हाई-वे से बसेरा बिल्डर होते हुए सनसाइन स्कूल से किशन कुमार गुप्ता के मकान तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक है, आयुक्त, नगर निगम कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र अनधिकृत कालोनी (प्राइवेट सोसाइटी) के अन्तर्गत आता है। उक्त कालोनियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य कराये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-95 में जल निकासी हेतु बड़े नाले के निर्माण सम्बन्धी प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 27-07-16 पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

62-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-712/16, दिनांक 27-07-16 जो कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-95 सुजातगंज क्षेत्र की जल निकासी हेतु एक बड़े नाले का निर्माण कराये जाने विषयक है, पत्र आयुक्त नगर निगम कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-95 सुजातगंज क्षेत्र की जल निकासी हेतु नाले का निर्माण कार्य 14वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-54 बाबूपुरवा से बन्दरों को पकड़ने विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-07-16 पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

63-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्रांक-717/16, दिनांक 28-07-16 जो कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-54 बाबूपुरवा क्षेत्र में व्याप्त कटहे बन्दरों को पकड़ने विषयक है, आयुक्त नगर निगम, कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

उ0प्र0 नगर निगम अधिनियम, 1959 एवं उ0प्र0 नगरीय स्थानीय निकाय नियमावली, 2004 में अपदूषण कारक पशुओं की अनुसूची में बन्दर नहीं हैं। बन्दर वन्य जीव हैं तथा इसका सम्बन्ध वन्य विभाग से है। इन्हें पकड़ने और नियंत्रित करने के लिए वन्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जाती है।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के कल्यानपुर कन्चना बिहारी मार्ग पर सोडियम लाइट लगाये जाने की मांग

64-श्री पूरन प्रकाश-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर स्थित कल्यानपुर कन्चना बिहारी मार्ग पर श्री रामदेव जयसवाल के मकान से श्री शर्मा जी के मकान तक बिजली के पोलों पर लगी स्ट्रीट लाइट खराब होने के कारण रात में लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर मरकरी लाइट लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

कल्याणपुर कंचना बिहारी मार्ग पर श्री रामदेव जायसवाल के मकान से श्री शर्मा के मकान तक स्थापित समस्त प्रकाश बिन्दुओं का अनुरक्षण कार्य कराते हुए प्रकाशित करा दिया गया है, जो कि वर्तमान में प्रज्जवलित है। उक्त स्थल पर सोडियम लाइट लगाये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

मंत्रि-मण्डल के सदस्यों द्वारा खर्च की गयी पाकेट मनी की जानकारी

65-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान मंत्रि-मण्डल के सदस्यों ने कितना-कितना पाकेट मनी लेकर खर्च किया ? क्या सरकार बतायेगी कि मितव्ययता की दृष्टि से पाकेट मनी कम खर्च हो, के लिये क्या उपाय किये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान मंत्रि-मण्डल के सदस्यों द्वारा पाकेट मनी लेकर खर्च की गई धनराशि का विवरण संलग्न[†] है।

मितव्ययता की दृष्टि से पाकेट मनी कम खर्च हो, के लिए गोपन अनुभाग-1 की अधिसूचना सं0-2/1/1/87-सी0 एक्स0 (1), दिनांक 25 मार्च, 2013 द्वारा उप मंत्री से भिन्न कोई मंत्री, चाहे उत्तर प्रदेश में या उसके बाहर, किन्तु भारत के भीतर हो, अपने पदीय कर्तव्यों के पालन के सम्बन्ध में की गयी यात्रा के लिए उत्तर प्रदेश के भीतर के लिए रु0 2,500/- प्रतिदिन और उत्तर प्रदेश के बाहर किन्तु भारत के भीतर रु0 3,000/- प्रतिदिन की दर से फुटकर खर्च की सीमा निर्धारित की गई है।

जी नहीं, प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड-53 के कतिपय क्षेत्रों की सड़क व नाली के निर्माण सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-07-16 पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

66-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड-53 आदर्श विहार में सोहन लाल राजपूत के मकान से चन्द्रपाल प्रजापति के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का मण्डलायुक्त कानपुर मण्डल कानपुर को दिनांक 28-7-16 का पत्रांक-749/16 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र अनधिकृत कालोनी (प्राइवेट सोसाइटी) के अन्तर्गत आता है। उक्त कालोनीयों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य कराये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड-19 के कतिपय क्षेत्र की सड़क व नाली के निर्माण से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 28-07-16 पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

67-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के वार्ड-19 तिस्तीनगर में 60 फिट रोड से कादरी मस्जिद होते हुए रेनू विद्या मन्दिर तक सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का आयुक्त, नगर निगम, कानपुर को दिनांक 28-07-16 का पत्रांक-749/16 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

[†] (देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 96-98 पर)

प्रश्नगत क्षेत्र अनधिकृत कालोनी (प्राइवेट सोसाइटी) के अन्तर्गत आता है। उक्त कालोनियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य कराये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-77 के कतिपय क्षेत्रों की सड़क व नाली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

68-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-77 गंगानगर में 180 फिट रोड पर दौलतराम पटेल के मकान से म0 नं0-90 मनोज वर्मा के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर नगर को दिनांक 28-07-16 का पत्रांक-751/16 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र अनधिकृत कालोनी (प्राइवेट सोसाइटी) के अन्तर्गत आता है। उक्त कालोनियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य कराये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 के कतिपय क्षेत्रों की सड़क व नाली के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

69-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 आदर्श विहार में सोहनलाल राजपूत के मकान से चन्द्रपाल प्रजापति के मकान तक सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर नगर को दिनांक 28-07-16 का पत्रांक-740/16 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

प्रश्नगत क्षेत्र अनधिकृत कालोनी (प्राइवेट सोसाइटी) के अन्तर्गत आता है। उक्त कालोनियों के नियमितीकरण के उपरान्त ही विकास कार्य कराये जाने की व्यवस्था है। यहां के विकास का दायित्व कानपुर विकास प्राधिकरण का है।

उपरोक्तानुसार।

विगत वर्षों में सरकार द्वारा सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से विज्ञापनों पर खर्च की गयी धनराशि का ब्योरा

70-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2014-15, 2015-16 तथा 2016-17 में दिनांक 02-08-16 तक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से सरकारी विज्ञापनों पर प्रदेश सरकार द्वारा कितना धन खर्च किया गया है ? क्या सरकार आगामी बजट में विज्ञापनों के बजट को कम करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से वर्ष 2014-15 में रु0 1,27,09,05,591/- (रुपये एक सौ सत्ताईस करोड़ नौ लाख पांच हजार पांच सौ इक्नानवे मात्र) वर्ष 2015-16 में रु0 2,09,30,56,324/- (रुपये दो सौ नौ करोड़ तीस लाख छप्पन हजार तीन सौ चौबीस मात्र) तथा 2016-17 में दिनांक 02-08-2016 तक रु0 1,25,48,80,096/- (रुपये एक सौ पच्चीस करोड़ अड़तालिस लाख अस्सी हजार छियानवे मात्र) व्यय कर प्रिन्ट/इलेक्ट्रानिक मीडिया में विज्ञापन निर्गत कर प्रचार-प्रसार कराया गया है।

ऐसा कोई प्रस्ताव विचारणीय नहीं है।

सरकार की योजनाओं, कार्यक्रमों एवं उपलब्धियों के सम्बन्ध में जन सामान्य को विज्ञापनों के माध्यम से अवगत कराया जाना सरकार का अधिकार भी है तथा दायित्व भी है। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों के वर्गीकृत विज्ञापन भी प्रकाशनार्थ जारी किया जाना आवश्यक है।

प्रदेश के वित्त पोषित जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने की मांग

71-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने वित्त पोषित जूनियर हाई स्कूल ऐसे हैं जिनमें शिक्षकों के पद रिक्त हैं, को भरने की नीति क्या है ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि रेलवे सेटिलमेण्ट नोटीफाइड एरिया जू0हा0 स्कूल रौजा, शाहजहांपुर में शिक्षकों के 8 पदों में से 6 पद रिक्त होने के कारण शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्कूल में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

शासनादेश सं0-1242/79-6-2015 दिनांक 06-11-2015 द्वारा प्रदेश में अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में निर्धारित न्यूनतम मानक के अन्तर्गत रिक्त शैक्षिक पदों पर भर्ती की अनुमति दी गयी है।

उपर्युक्त मानक के अन्तर्गत रेलवे सेटिलमेन्ट नोटीफाइड एरिया जू0 हा0 स्कूल रौजा, शाहजहांपुर में न्यूनतम मानक के अन्तर्गत 02 सहायक अध्यापक के पद रिक्त थे, जिन पर नियुक्ति की कार्यवाही की गयी और बेसिक शिक्षा अधिकारी, शाहजहांपुर द्वारा दिनांक 30-07-2016 को अनुमोदन दिया जा चुका है। उक्त विद्यालय में न्यूनतम मानक के अन्तर्गत 01 प्रधानाध्यापक एवं 04 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं तथा शिक्षण कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है।

निर्धारित मानक के अनुसार शैक्षिक पदों पर नियुक्ति की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

इन्दिरा नगर लखनऊ के सेक्टर-8, 9 और कतिपय क्षेत्रों में भीषण जलभराव से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता से प्राप्त पत्र पर कृत कार्रवाई की जानकारी

72-श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इन्दिरा नगर लखनऊ के सेक्टर-8 व 9 और आस-पास का इलाका तथा पटेल नगर योजना में जलभराव की भीषण समस्या से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-314/ल0वि0पू0/2015, दिनांक 03-08-2015 तथा सेक्टर-14 इन्दिरा नगर में जलभराव की समस्या विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र-425/ल0वि0पू0/2015, दिनांक 03-02-2016 नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

इन्दिरा नगर सेक्टर-8, 9 एवं 14 उ0प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा विकसित कालोनी है तथा उसका ड्रेनेज सिस्टम भी इसी के द्वारा विकसित किया गया है। सेक्टर-8 व 9 का हिस्सा, जहां जल भराव होता है, वह अन्य क्षेत्रों से नीचा है तथा यहां पर इन्दिरानगर सेक्टर-डी व सेक्टर-12 का भी पानी आता है। सेक्टर-8 व 9 का पानी फैजाबाद रोड पर एन0एच0 की ह्यूम पाइप/कल्वर्ट के माध्यम से सड़क पार कर लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा विभूति खण्ड स्थित निर्मित नाले में जाता है, जहां से लोहिया अस्पताल के सामने से मुख्य नाले में मिलता है। सामान्य वर्षाकाल में जल निकासी सुचारु रूप से होती रहती है, किन्तु कम समय में अत्यधिक वर्षा हो जाने के फलस्वरूप सेक्टर-8 व 9 के प्रश्नगत स्थल पर जलभराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वर्षा समाप्त होने पर लगभग 2-3 घण्टे में सारा पानी निकल जाता है।

इन्दिरानगर सेक्टर-14 में पानी की जल निकासी हेतु बने नाले से ही सेक्टर-11, तकरोही, सक्सेना नगर अवंतीपुरम् का पानी निकलता है, जो सेक्टर-14 से 17 सब्जी मण्डी होते हुए जंगल से होकर कुकरैल में जाता है। सामान्य वर्षाकाल में जल भराव की समस्या नहीं होती है। अधिक वर्षा होने की स्थिति में जल भराव हो जाता है, जो सामान्यतः 2 से 3 घण्टे में निकल जाता है।

पटेलनगर प्राइवेट कालोनाइजर्स/सोसाइटी द्वारा अनियोजित रूप से बसायी गयी अनधिकृत कालोनी है, जो काफी नीचे है एवं इसका पानी सेतुआ तालाब में जाता है, जहां नगर निगम द्वारा संचालित पम्प हाउस से जल निकासी की जाती है। वर्षाकाल के पूर्व उक्त क्षेत्रों में निर्मित नालों की सुचारु रूप से सफाई का कार्य कराया गया है।

उपरोक्तानुसार।

गोमती नगर, लखनऊ स्थित कठौता जलाशय में सुरक्षा एवं पानी की सप्लाई विषयक प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र पर की गयी कार्रवाई की जानकारी

73-श्री आशुतोष टण्डन (गोपाल जी)-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोमती नगर, लखनऊ स्थित कठौता जलाशय में सुरक्षा एवं पानी की सप्लाई विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-436/ल0वि0पू0/2016, दिनांक 05-02-2016 नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ को प्राप्त हुआ हैं ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आजम़ खां-

जी हां।

प्रश्नगत कार्य हेतु उ0प्र0 जल निगम द्वारा अमृत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रस्ताव/आगणन विरचित किया गया है। वित्तीय स्वीकृति हेतु आवश्यक औपचारिकतायें पूर्ण कराकर भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-77 के कतिपय क्षेत्रों की सड़क के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्र कृत कार्रवाई की जानकारी

74-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-77 ई ब्लाक श्यामनगर में म0नं0-333 से 375 तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का आयुक्त नगर निगम, कानपुर नगर को पत्रांक-649 एवं पत्रांक-430/16, दिनांक 17-07-16 जो उक्त नगर निगम कानपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड संख्या-77 ई ब्लाक में श्यामनगर में मकान नम्बर-333 से 375 तक सड़क का निर्माण करा दिया गया है। पत्र संख्या-649 एवं 430/16, दिनांक 17-07-2016 को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम द्वारा आगणन तैयार करा लिया गया है। उक्त कार्य नगर निगम के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कतिपय वार्डों में दूषित जलापूर्ति एवं क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण कराये जाने की मांग

75-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का आयुक्त, नगर निगम कानपुर नगर को सम्बोधित पत्रांक-652, दिनांक 17-07-16 जो जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 54 बाबूपुरवा वार्ड-31 बगाही, वार्ड-75 अजीतगंज, वार्ड-96 मुंशी पुरवा एवं

वार्ड-108 बेगमपुरवा क्षेत्र में दूषित जलापूर्ति को बन्द कराकर क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराये जाने विषयक तथा वार्ड-53 की 10 सड़कें एवं वार्ड-44 की 11 सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र सं0-651 दिनांक 17-07-16 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-54 बाबूपुरवा, वार्ड-31 बगाही, वार्ड-75 अजीतगंज, वार्ड-96 मुन्शीपुरवा एवं वार्ड-108 बेगमपुरवा क्षेत्र की पाइप लाइनें अत्याधिक पुरानी हैं। इन क्षेत्रों में विभिन्न कार्यों के मध्य पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त होने के कारण तत्समय गन्दे पानी की शिकायत प्राप्त हुई थी। उल्लिखित क्षेत्रों का निरीक्षण कराकर पाइप लाइनों की मरम्मत करा दी गई है एवं शुद्ध पेयजल की आपूर्ति की जा रही है। दिनांक 17-08-2016 को पुनः उल्लिखित क्षेत्रों में पानी के नमूनों का ओ0टी0 टेस्ट किया गया, जो सही पाया गया है।

कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड सं0-53 की 10 सड़कें एवं वार्ड सं0-44 की 11 सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक पत्र सं0-651 दिनांक 17-07-2016 नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर को प्राप्त हुआ है। उक्त क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण कराया गया है। इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम, कानपुर द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड-53 की कतिपय क्षतिग्रस्त सड़कों के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के प्राप्त पत्रों पर की गयी कार्रवाई का संज्ञान

76-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का आयुक्त, नगर निगम कानपुर नगर को सम्बोधित पत्रांक-559/16, दिनांक 27-06-16 एवं पत्रांक-655 दिनांक 17-07-16 जो जनपद कानपुर नगर के छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड 53 की 61 सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक तथा पत्र सं0-660 दिनांक 17-07-16 के0डी0ए0 कालोनी डी0 ब्लाक एवं श्यामनगर में म0 नं0-177 से 151 तक व मकान नं0-59 से 110 तक की सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

वार्ड नम्बर-53 के मकान नम्बर-177 से 151 डी-ब्लाक तक रोड बनायी जा चुकी है तथा मकान नम्बर-59 से 110 तक के सम्बन्ध में पत्र संख्या-655, दिनांक 17-07-2016 एवं पत्र सं0-660 दिनांक 17-07-2016 को संज्ञान में लेते हुए नगर निगम द्वारा आगणन तैयार कराया गया है। उक्त कार्य नगर निगम के वित्तीय संसाधनों पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में संचालित ब्लाक संसाधन केन्द्र टपरियन (बबीना ग्रामीण) के विद्युतीकरण की मांग

77-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में संचालित ब्लाक संसाधन केन्द्र टपरियन (बबीना ग्रामीण) का आज तक विद्युतीकरण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस संसाधन केन्द्र का विद्युतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अहमद हसन-

जी हां।

जनपद झांसी के ब्लाक संसाधन केन्द्र बबीना, विकास खण्ड-बबीना के टपरियन गांव से लगभग 02 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है। यह क्षेत्र आर्मी के फील्ड रेंज के अन्तर्गत है, जिससे इस क्षेत्र से किसी भी प्रकार की विद्युत अथवा टेलीफोन आदि की लाइन डालने की अनुमति नहीं है।

सोलर ऊर्जा से विद्युत की वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद अलीगढ़ में रिक्त पदों पर पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की नियुक्ति की मांग

78-श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से जनपद अलीगढ़ अतिसंवेदनशील शहर है ? क्या मानक के अनुरूप पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार उक्त जनपद में रिक्त पदों पर पुलिस कर्मियों व अधिकारियों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जी नहीं।

पदनाम	स्वीकृत नियतन	उपलब्ध	रिक्ति	अधिकता
निरीक्षक ना0पु0	27	27	0	0
प्रतिसार निरीक्षक	01	01	0	0
उ0नि0 ना0पु0	135	213	0	78
उ0नि0 स0पु0	05	03	02	0
मुख्य आरक्षी ना0पु0	777	314	463	0
मुख्य आरक्षी स0पु0	111	36	75	0
आरक्षी ना0पु0	2236	2044	192	0

स्वीकृत नियतन के सापेक्ष रिक्तियों की पूर्ति हेतु उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ के स्तर पर भर्ती/प्रोन्नति की प्रक्रिया गतिमान है, जैसे-जैसे भर्ती बोर्ड द्वारा चयन/प्रोन्नति के पश्चात् मुख्य आरक्षी/आरक्षी उपलब्ध होते जायेंगे, तद्नुसार प्रशिक्षणोपरान्त उन्हें तैनात करने की कार्यवाही की जायेगी।

पुलिस विभाग के रिक्त पदों पर भर्ती एवं पदोन्नति वर्षानुवर्ष किये जाने की कार्यवाही उ0प्र0 पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा की जाती है। रिक्तियों एवं उनको भरे जाने की कार्यवाही एक सतत् प्रक्रिया है, जो निरन्तर चलती रहती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

आगरा नगर में कमलानगर की क्षतिग्रस्त सड़क व नाली का निर्माण कराये जाने की मांग

79-श्री जगन प्रसाद गर्ग-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा नगर में कमलानगर के डी0 600 से 608 तक की सड़क व नाली जर्जर है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क एवं नाली का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग का हॉटमिक्स प्लान्ट द्वारा सड़क सुधार व नाली मरम्मत कार्य का आगणन तैयार करा लिया गया है। कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के ग्राम दीनापुर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट के लिए अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा कास्तकारों को जल्द दिलाये जाने की मांग

80-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी के ग्राम दीनापुर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के लिये अधिग्रहीत साढ़े उन्चास एकड़ जमीन का मुआवजा किसानों को अभी तक नहीं मिला है ? यदि हां, तो क्या सरकार दिनांक 23-03-2015 को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

गंगा एक्शन प्लान फेज-1 के अन्तर्गत दीनापुर में 80 एम0एल0डी0 क्षमता के एस0टी0पी0 के निर्माण हेतु वर्ष 1986 में नगर निगम, वाराणसी द्वारा 49.68 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया

था। जिला प्रशासन द्वारा प्रभावित कुल 42 किसानों को तत्कालीन सर्किल रेट के आधार पर प्रतिकर रु0 31.106 लाख का भुगतान कर दिया गया था। उक्त 42 प्रभावित किसानों में से 19 किसानों द्वारा जिला न्यायालय, वाराणसी में अतिरिक्त प्रतिकर की धनराशि की मांग हेतु वाद योजित किये जाने पर 17 वादों में जिला न्यायालय वाराणसी द्वारा अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश के विरुद्ध विभाग द्वारा मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में अपील योजित की गयी।

15 वादों में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के निर्णय दिनांक 23 मार्च, 2015 के अनुपालन में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), वाराणसी द्वारा सम्बन्धित किसानों को देय अतिरिक्त प्रतिकर की गणना दिनांक 14-08-2015 को विभाग को उपलब्ध करायी गयी है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), वाराणसी की गणना के अनुसार रु0 5,30,62,539.00 (रु0 पांच करोड़ तीस लाख, बासठ हजार, पांच सौ तिरान्वे मात्र) का भुगतान किया जाना था, जिसके सापेक्ष जमा आयकर की कटौती के उपरान्त कोष धनराशि का भुगतान दिनांक 14-08-2015 को सम्बन्धित न्यायालय को कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त अपील सं0-156/2010 अमर बहादुर सिंह बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 08-08-2015 एवं वाद सं0-एल0ए0आर0 345/1989 लालमन व छोटे बनाम उ0प्र0 सरकार व अन्य में जिला न्यायालय, वाराणसी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10-11-2015 के अनुपालन में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी (सं0सं0), वाराणसी द्वारा अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है।

शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला वजीरगंज एवं ककरा में स्थित शमशान स्थलों में आवश्यक सुविधायें उपलब्ध कराये जाने की मांग

81-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहांपुर नगर के मोहल्ला वजीरगंज एवं ककरा में स्थित शमशान स्थलों में आवश्यक सुविधायें जैसे शवों को जलाने के लिये चबूतरे, टीनशेड-बाउन्ड्रीवाल तथा पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहम्मद आज़म खां-

मोहल्ला वजीरगंज स्थित अन्त्येष्टि स्थल में चबूतरे, टीनशेड व बाउण्ड्रीवाल बनी हुई है तथा पानी सुविधा हेतु एक हैण्डपम्प इण्डिया मार्का-II लगा हुआ है।

मोहल्ला ककरा स्थित अन्त्येष्टि स्थल में एक हैण्डपम्प लगा हुआ है तथा ककरा स्थित शमशान स्थल के विकास/सौन्दर्यीकरण हेतु वांछित धनराशि निकाय को वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपलब्ध करायी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

[11.28] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23-08-2016 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 48 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 15 सूचनाएं स्वीकृत की गईं।

पहली सूचना श्री सुभाष पासी की जनपद-गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आई भीषण बाढ़ से जलमग्न कतिपय ग्राम सभाओं में नाव, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है। दूसरी सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी 'दादा' की जनपद-वाराणसी में गंगा एवं वरुणा नदी में आई भीषण बाढ़ के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्री मनीष असीजा की जनपद-फिरोजाबाद में चन्द्रवार क्षेत्र में यमुना नदी पर एक बैराज/चेक डेम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। चौथी सूचना श्री अगयश रामसरन वर्मा की जनपद-पीलीभीत के अन्तर्गत गांव टेहरी के निकट बीसलपुर, बिलसण्डा में सेतु एवं मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। पांचवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद-रामपुर की तहसील बिलासपुर में मुंसिफ कोर्ट एवं ग्रामीण न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में है। छठी सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद-मथुरा, वृन्दावन में बन्दरों के आतंक से छुटकारा दिलाये जाने हेतु बन्दर जनसंख्या नियंत्रण परियोजना के तहत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। सातवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद-बलिया विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत खरीद दरौली घाट पर पक्का पुल बनाये जाने हेतु धन अवमुक्त कर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में है। आठवीं सूचना श्री गयाचरण दिनकर की जनपद-बांदा के निर्वाचन क्षेत्र नरैनी का अधिकांश भू-भाग असिंचित होने से कृषकों की उपजाऊ बंजर भूमि में सिंचाई व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में है। नवीं सूचना श्री राधेश्याम जायसवाल की जनपद-सीतापुर की सीतापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की वित्तीय स्वीकृति शासन स्तर पर न जारी होने के सम्बन्ध में है। दसवीं सूचना श्री बब्बन सिंह चौहान की जनपद-चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा के कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में है। ग्यारहवीं सूचना श्री दीपक पटेल, श्री राजबली जैसल की जनपद-इलाहाबाद, मिर्जापुर राजमार्ग पर टोंस नदी पर स्थित कटका पुल एवं पनासा पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है। बारहवीं सूचना श्री सिबगतुल्ला अंसारी की जनपद-गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड-भावरकोल के दर्जन भर गांवों में आई भीषण बाढ़ से लोगों को खाने-पीने एवं पशुओं के चारे तथा क्षतिग्रस्त लोगों को क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में है। तेरहवीं सूचना श्री जगपाल सिंह की जनपद-सहारनपुर के ग्राम मवईकला की भूमि में उ0प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा पीड़ितों को उनकी अर्जनमुक्त भूमि पर निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले अधिकारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में है। चौदहवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद-कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र के 21 वार्डों की विद्युत समस्या के सम्बन्ध में है। पन्द्रहवीं

सूचना डा0 अरुण कुमार की जनपद-बरेली के विधान सभा क्षेत्र शहर में शहरी विद्युत सप्लाई हेतु ट्रांसफार्मर एवं खम्भे लगवाये जाने के सम्बन्ध में है।

(सदन की सहमति से संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद गाजीपुर के सैदपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आई भीषण बाढ़ से जलमग्न कतिपय ग्राम सभाओं में नाव, भोजन एवं चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष पासी-

[मा0 आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र 374, सैदपुर, गाजीपुर के अन्तर्गत आज बाढ़ से लगभग 15-20 गांव जलमग्न हो गये हैं। जिसके अन्तर्गत 8-9 गांव तो ऐसे हैं जो चारों तरफ पानी से घिर चुके हैं। वर्तमान शासन के द्वारा नाव का प्रबन्ध किया गया है लेकिन वहां के लोगों को और सारी व्यवस्थाएं मुहैया नहीं हो पा रही हैं। लोगों ने अपने जानवरों को छोड़ दिया है अब उनके पास खाना बनाने एवं खाने हेतु कोई सामग्री नहीं है। किसानों की सम्पूर्ण फसल बर्बाद हो गयी है। ऐसे में किसान भुखमरी के कगार पर आ गया है। इस सदन के माध्यम से मैं यह अनुरोध करना चाहता हूं कि उक्त गांवों का दौरा कराकर जनता को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना, क्षतिपूर्ति दिलाया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के गंभीर विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए तत्काल कार्यवाही करते हुए वक्तव्य दिये जाने हेतु सरकार से पुरजोर मांग करता हूं।

जलमग्न गांव-तेतारपुर, गौरहट, गोरखा, भुजाड़ी, कुराही, खरौना, पटना, मंझरियां, दुबेठां, छपरा, फुलवारी आदि]

जनपद वाराणसी में गंगा एवं वरुणा नदी में आई भीषण बाढ़ के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

[मा0 वाराणसी के दक्षिणी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत कोनियां जो वरुणा तथा गंगा नदी के तट पर बसा हुआ आबादी जिनमें अधिकतर गरीब लोग रहते हैं। वरुणा तथा गंगा नदी के तटवर्ती इलाके लगभग दो माह से बाढ़ के पानी से घिरे हुए हैं। जिससे लोगों के समक्ष रोजी-रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी हैं अधिकांश लोगों के पास खाद्य सामग्री तथा ईंधन का अभाव व्याप्त है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की बिजली की आपूर्ति दिन और रात में बन्द कर दी गयी है जिससे पम्प वगैरह भी नहीं चल पा रहे हैं। सारे सीवेज पम्प भी बन्द पड़े हैं जिससे सीवर का पानी ओवरफ्लो होकर तटवर्ती गलियों में जमा हो रहा है जिससे भयंकर बदबू फैल रही है एवं संक्रामक रोग फैलने का खतरा उत्पन्न हो गया है।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

लगातार बाढ़ में डूबे रहने से गरीबों के कमजोर तथा पुराने मकान गिर रहे हैं और बहुत से मकान गिरने की स्थिति में हैं जिससे जनधन की हानि की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

मेरी मांग है कि बाढ़ की स्थिति एवं जनता की कठिनाइयों एवं हुए नुकसान को देखते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र को सरकार आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित करे एवं बाढ़ग्रस्त लोगों को निःशुल्क खाद्य सामग्री, ईंधन, दवाइयां वितरण की अविलम्ब व्यवस्था प्रारम्भ करने के साथ ही बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए मकानों का आंकलन कर उन्हें मुआवजा देने की लोक कल्याणकारी सरकार व्यवस्था करे।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए प्रभावी कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देश देने की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद में चन्द्रवार क्षेत्र में यमुना नदी पर एक बैराज/चेक डैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष असीजा-

[मा0 जनपद फिरोजाबाद जो कि अपनी कांच की चूड़ी एवं कांच के उत्पादों के लिये पूरे भारत वर्ष में प्रसिद्ध एक औद्योगिक नगर है। लगभग 25 लाख से अधिक के इस औद्योगिक जनपद फिरेजाबाद में जल स्तर बहुत अधिक नीचे चले जाने के कारण वर्तमान में कुल 9 ब्लाक में से 7 ब्लाक डार्क जोन घोषित किये जा चुके हैं। फिरोजाबाद में सलाइन वाटर (खारे पानी) की भी समस्या विकराल रूप धारण करती जी रही है।

फिरोजाबाद से गुजरने वाली यमुना नदी में प्रति वर्ष वर्षा ऋतु में प्रचुर मात्रा में जल प्लावन होता है तथा व्यर्थ बह जाता है।

फिरोजाबाद में तेजी से गिरते भू-गर्भ जल, खारे पानी की समस्या के निदान हेतु नगर फिरोजाबाद से गुजरने वाली यमुना नदी के चंद्रवार क्षेत्र पर एक बैराज/चेक डैम के निर्माण की महती आवश्यकता है, जिससे कि भू-गर्भ जल का स्तर बढ़ाया जा सके।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए फिरोजाबाद में चंदवार क्षेत्र में यमुना नदी पर एक बैराज/चेक डैम के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत गांव टेहरी के निकट बिल्सण्डा में सेतु एवं मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[मा0 जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत गांव टेहरी के निकट बीसलपुर बिलसण्डा-गोला मार्ग पर नदी कटना क्रासिंग पर ब्रिटिश काल का सेतु है जो कि जीर्ण-शीर्ण ही नहीं अपितु सेतु में दरार पड़ चुकी है जिससे कभी भी अप्रिय घटना होकर उक्त मार्ग अवरुद्ध हो सकता है। इस सम्बन्ध में कई बार मांग करने के बाद भी शासन स्तर पर प्रकरण लम्बित है जो अप्रिय घटना का इंतजार करने का द्योतक है।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

गांव बुहिता के निकट बरखेड़कला-दियोरियाकला मार्ग पर नदी माला क्रासिंग पर लघु सेतु के निर्माण हेतु मांग की गयी परन्तु शासन स्तर पर अभी तक कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की गयी।

नगर बीसलपुर तथा नगर बिलसण्डा में अतिथि गृह भी काफी जीर्ण-शीर्ण है तथा क्षतिग्रस्त हो चुका है। अपरिहार्यता के क्रम में प्राक्कलन शासन में प्रेषित किये जा चुके हैं।

बीसलपुर-बिलसण्डा गोला मार्ग गांव भीखमपुर से गांव पसगवां के पक्षी विहार तक का कनपरा अल्पिका पर मार्ग भी दसियों वर्षों से टूटा पड़ा है। आवागमन अवरुद्ध है जनता में भारी आक्रोश है जिसका निर्माण नितान्त आवश्यक है। समय-समय पर उक्त कार्यों की मांग भिन्न-भिन्न नियमों के अन्तर्गत की गयी है धन की उपलब्धता होने पर निर्माण के आश्वासन भी दिये जाते रहे हैं। परन्तु अभी तक कई वित्तीय वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी केवल आश्वासन ही मिल रहा है जिसके कारण जनमानस में आक्रोश है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उपरोक्त कार्यों के निर्माणार्थ कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद रामपुर की तहसील बिलासपुर में मुंसिफ कोर्ट एवं ग्रामीण न्यायालय खोले जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संजय कपूर-

[मा0, मैं आपके माध्यम सरकार का ध्यान जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर में मुन्सिफ कोर्ट/ग्रामीण न्यायालय न खोले जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं। जनपद रामपुर की तहसील विलासपुर अत्यन्त पिछड़ी तहसील है तथा यह लगभग जनपद मुख्यालय से 70 कि0मी0 दूर तक बसी हुई है। जिसके कारण पीड़ित को न्याय मिलने में समय भी अधिक लगता है तथा धन भी अधिक व्यय होता है जबकि सरकार का वायदा है कि सस्ता व सुलभ न्याय दिलायेगी। काफी लम्बे समय से तहसील विलासपुर में मुन्सिफ कोर्ट/ग्रामीण न्यायालय खोले जाने की पत्रावली चल रही है। जबकि मुन्सिफ कोर्ट/ग्रामीण न्यायालय की स्वीकृति शासन द्वारा काफी पहले दे दी गयी है। मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मेरे द्वारा विधान सभा में विभिन्न नियमों के अन्तर्गत रखे जाने के बावजूद भी इस पर कोई सार्थक कार्यवाही नहीं हुई जिससे जनता व वकीलों में भारी रोष व नाराजगी व्याप्त है तथा वकील लोग निरन्तर मुन्सिफ कोर्ट खोले जाने के सम्बन्ध में धरने, प्रदर्शन व ज्ञापन दे रहे हैं।

अतः मैं आपके माध्यम से इस लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न पर सरकार से कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा वृन्दावन में बन्दरों के आतंक से छुटकारा दिलाये जाने हेतु बन्दर जनसंख्या नियंत्रण परियोजना के तहत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[मा0, अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं अविलम्बनीय विषय की ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मथुरा-वृन्दावन धर्म, आस्था, पर्यटन एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

विश्व में प्रसिद्ध है। देश-विदेश से लाखों लोगों का यहां दर्शन-पूजन एवं भ्रमण हेतु आना-जाना लगा रहता है। बन्दरों के आतंक से स्थानीय लोगों एवं बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है तथा वह बन्दरों से भयभीत भी रहते है। बन्दरों के आतंक से मथुरा एवं वृन्दावनवासियों के व्यवसाय पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। मथुरा-वृन्दावन में बन्दरों की जनसंख्या लगभग 250 लाख हो गयी है। लगातार इनकी जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जिसके कारण यहां के वनस्पति पेड़-पौधे तथा मोर आदि पक्षी नष्ट हो रहे हैं। बन्दरों में अनेक प्रकार की बीमारियां फैल रही हैं, उनके काट लेने मात्र से मनुष्यों तथा अन्य जानवरों में भी तेजी से अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही है, जिनके कारण सैकड़ों लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है। अभी हाल ही में एक छोटे बच्चे को बन्दर ने छत से ढकेल दिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। सामान छीना-झपटी में कई श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। बन्दरों के आतंक से लोगों के जान-माल का खतरा एवं भय बना रहता है तथा आर्थिक क्षति भी हो रही है। यहां बन्दरों का गैंग अति-सक्रिय होने के कारण यहां आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटक आदि बहुत ही परेशान हो रहे हैं। यहां के बन्दर उनका कीमती सामान, चश्मा तथा मोबाइल आदि छिनकर भाग जाते हैं तथा कभी-कभी उसे तोड़ भी देते हैं। इसलिए देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों एवं दर्शनार्थियों को बन्दरों के आतंक से निजात दिलाने एवं इनकी बढ़ती हुई जनसंख्या पर अंकुश लगाया जाना जनहित में अति-आवश्यक है। इससे जहां मथुरा-वृन्दावन के स्थानीय निवासी लाभान्वित होंगे वहीं बाहर से आने वाले पर्यटक एवं दर्शनार्थी भी बंदरों के आंतक से मुक्त हो सकेंगें। 'बन्दर जनसंख्या नियंत्रण परियोजना' के तहत कार्य करने हेतु डा0 अभिषेक शर्मा, अध्यक्ष, एम0आर0सी0 वृन्दा चैरीटेबिल ट्रस्ट, गुरुकुल रोड, वृन्दावन, जिला-मथुरा इच्छुक हैं तथा उक्त कार्य हेतु इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी बनाया है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए इस प्रकरण पर शीघ्र कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद बलिया विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत खरीद दरौली घाट पर पक्का पुल बनाये जाने हेतु धन अवमुक्त कर कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[मान्यवर, बलिया जनपद के मेरी विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर के अन्तर्गत घाघरा नदी पर खरीद दरौली घाट पर पक्का पुल बनाने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने किया था। जिसका प्राक्कलन लो0नि0वि0 बलिया ने शासन को भेज दिया है। परन्तु अभी तक इस पुल के निर्माण कार्य कराने की आदेश निर्गत नहीं किया गया और न बजट में धन की व्यवस्था की गई है। घाघरा नदी पर खरीद दरौली पुल जनहित में बहुत ही उपयोगी सेतु है। यह बिहार एवं उ0प्र0 को जोड़ता है यहां से नाव से हजारों लोग प्रत्येक दिन दरौली, सिवान, मैरवा जाते है एवं अपना कारोबार भी करते हैं। इस पुल के बन जाने से दोनों प्रदेश के नौजवानों को रोजगार के अवसर बढ़ेगें।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि अविलम्ब अतिमहत्वपूर्ण सेतु खरीद दरौली घाट पर पक्का पुल बनाने हेतु धन अवमुक्त करके निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय।]

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बांदा के निर्वाचन क्षेत्र नरैनी का अधिकांश भू-भाग असिंचित होने से कृषकों की उपजाऊ बंजर भूमि में सिंचाई व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गया चरण दिनकर-

[मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा के निर्वाचन-क्षेत्र नरैनी का अधिकांश भू-भाग असिंचित होने से कृषकों की उपजाऊ भूमि बंजर पड़ी रहने से कृषक बदहाल व पलायन के लिए विवश है तथा शेष क्षेत्र म0प्र0 के छतरपुर जिले में स्थित गंगऊ व बरियार बांध से निकली केन नहरों पर निर्भर है। 20 वर्षों से नहरों की क्षमता का 20 प्रतिशत सिंचाई जल मिलने से हालत गम्भीर होती जा रही है। इन नहरों से जिले के अन्य भागों, बांदा, तिन्दवारी, बबेरू, बिसण्डा, कमासिन आदि को सिंचाई जल बिल्कुल न मिल पाने से कृषक कंगाल हो रहे हैं। नरैनी-करतल के समानान्तर केन नदी व केन नदी की मुख्य ब्रांच परस्पर 1½-2 कि0मी0 पर स्थित है। यदि ग्राम बिदुवापुरवा (बिल्हरका) से ½ कि0मी0 केन नदी की अपस्ट्रीम पर बांध बनाकर पानी लिफ्ट की केन की मुख्य ब्रांच पर पहुंचाने की लम्बित परियोजना को वित्तीय स्वीकृति दे दी जाये तो बांदा जनपद का ¾ क्षेत्र खुशहाल हो जाये। इसी प्रकार शासन में लम्बित 59 करोड़ की लागत से बनने वाले समरा बांध को धनावंटन कर दिया जाये तो पर्यटन स्थल कालिंजर के आस-पास का ग्रामीण क्षेत्र का किसान समृद्ध हो जाये। सिंचाई व्यवस्था से त्रस्त किसान भुखमरी की स्थिति में हैं, उनमें बड़ा आक्रोश है जो कभी भी बिस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर सकता है।

अतः मैं, अविलम्बीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए समस्या के निदान हेतु अविलम्ब कार्यवाही कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद सीतापुर की सीतापुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की वित्तीय स्वीकृति शासन स्तर पर न जारी होने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम जायसवाल-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र सीतापुर, जनपद सीतापुर की लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाये जाने वाली सड़कों का प्रस्ताव शासन स्तर पर काफी दिनों से लम्बित है। यही नहीं आगणन भी शासन को आ चुका है। मुख्य अभियन्ता मध्य क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ने अपने पत्र 11058 सी0जेड0का0/802-सीतापुर/16, दिनांक 03-05-2016 द्वारा मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ को रा0मा0-24 से टिकरिया चिलवारा सम्पर्क मार्ग पर विशेष मरम्मत का कार्य हेतु भेजा गया है। इसी प्रकार विशेष सचिव, लो0नि0वि0, अनुभाग-1 को लालकुर्ती से अकोइया-चिलवारा सम्पर्क मार्ग का विशेष मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु धन स्वीकृति के लिए भेजा गया है। परन्तु अभी तक स्वीकृति के अभाव में दोनों मार्ग नहीं बने। इसी प्रकार ग्राम लोधौरा से चकलापुरवा तक व जलालपुर के मजरा शाहपुर से डेढ़वहियनपुरवा तक मार्ग जर्जर स्थिति में है जिस पर चलना दूभर है।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल स्वीकृति देकर कार्य कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद चन्दौली के मुगलसराय क्षेत्र के अन्तर्गत गंगा के कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बब्बन सिंह चौहान-

[मान्यवर, आपको सादर अवगत कराना है कि जनपद चन्दौली के मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत गंगा के कटान के कारण कुण्डाकलां, कुण्डाखुर्द बहादुरपुर, सकुराबाद, मबई कलां, सहजौर, ग्राम सभाओं की पैदावार जमीन प्रतिवर्ष गंगा के कटान के कारण गंगा नदी में समाहित होता जा रहा है। जिससे कि क्षेत्रीय किसानों एवं नागरिकों को अपने जीविकोपार्जन में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हैं इस कटान को जनहित में रोकना अतिआवश्यक हैं अन्यथा इस क्षेत्र के हजारों हजार किसान भुखमरी के कगार पर आ जायेगें तथा इनका जीवन यापन करना मुश्किल होता जा रहा है। उक्त समस्या से जिला प्रशासन एवं सरकार को कई बार अवगत कराया जा चुका है। लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जिससे सरकार के प्रति गंगा के कटान को लेकर क्षेत्रीय जनता में भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद इलाहाबाद, मिर्जापुर राजमार्ग पर टोंस नदी पर स्थित कटका पुल एवं पनासा पुल का शीघ्र निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक पटेल एवं श्री राजबली जैसल-

[मान्यवर, कृपया आपको अवगत कराना है कि जनपद-इलाहाबाद के इलाहाबाद मिर्जापुर राजमार्ग पर टोंस नदी पर स्थित कटका का पुल एवं पनासा का पुल के क्षतिग्रस्त होने के फलस्वरूप पिछले 15 दिनों से इन दोनों पुलों पर आवागमन बन्द है। आपके संज्ञान में यह भी लाना है कि जनपद एक बहुत बड़ी आबादी को जनपद मुख्यालय, मण्डल मुख्यालय एवं जिला अस्पताल से जोड़ने का यही पुल एक माध्यम है। इन पुलों की क्षतिग्रस्त होने के कारण लाखों लोगों का जिला मुख्यालय से सम्पर्क टूट गया है। पुल के रख-रखाव करने वाला सम्बन्धित विभाग संज्ञानशून्य होकर बैठा है तथा कोई त्वरित कार्यवाही नहीं कर रह है जिससे स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त पुल की तत्काल मरम्मत कार्य कराते हुए, आवागमन चालू करवाने तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद गाजीपुर विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदाबाद के अन्तर्गत विकास खण्ड भावरकोल के दर्जन भर गांवों में आई भीषण बाढ़ से लोगों को खाने-पीने एवं पशुओं के चारे तथा क्षतिग्रस्त लोगों को क्षतिपूर्ति दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सिबगतुल्ला अन्सारी-

[मान्यवर, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अति अविलम्बीय लोक महत्व की सूचना ला रहा हूं।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरे गृह जनपद गाजीपुर के विधानसभा क्षेत्र मोहम्दाबाद के अन्तर्गत विकासखण्ड भावरकोल के कई दर्जन गांव गंगा की बाढ़ से चारों तरफ से घिर गये हैं जिससे पशुओं व मनुष्यों को खाने-पीने के लाले पड़ गये हैं। किसानों की खड़ी फसले जैसे-धान, ज्वार, बाजरा व सब्जियां बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूबकर बर्बाद हो गयी हैं।

अतः आपके माध्यम से उक्त गम्भीर प्रकरण को जो किसानों से सीधा जुड़ा हुआ है के सम्बन्ध में निवेदन करना है कि बाढ़ पीड़ित व बाढ़ से घिरे हुए लोगों व पशुओं के खाने-पीने व चारे की सरकार की ओर से तत्काल व्यवस्था किये जाने का निर्देश देने की कृपा करें तथा फसलों के नुकसान का आंकलन कराकर क्षतिपूर्ति दिये जाने का आदेश करने की कृपा करें।]

जनपद सहारनपुर के गांव मवई कला की भूमि में उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा पीड़ितों को उनकी अर्जन युक्त भूमि पर निर्माण कार्य में बाधा डालने वाले अधिकारियों को दण्डित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जशपाल सिंह-

[मान्यवर, जनपद सहारनपुर के ग्राम मवीं कला की भूमि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् की दिल्ली रोड भूमि विकास एवं गृह स्थान योजना-8 के अन्तर्गत अर्जन की गयी थी जिसे शासन द्वारा अधिसूचना संख्या 2125/आठ-2-2012-15 भू0सं0 2001, दिनांक 01 नवम्बर, 2012 द्वारा अर्जन मुक्त किया गया है किन्तु पीड़ितों को उनके आराजी पर कोई निर्माण या अन्य कार्य करने से रोका जा रहा है। पीड़ित परिवारों ने समय-समय पर शासन व स्थानीय स्तर पर लिखित व मौखिक रूप से निवेदन किया कि उन्हें उनकी आराजी पर निर्माण करने दिया जाये। पीड़ितों के सारे प्रयास निरर्थक हो रहे हैं। उ0प्र0 आवास विकास परिषद् के अधिकारीगण अर्जन मुक्त की गई भूमि खसरा सं0-277/1, 22/2, 278/1 एवं 278/2 कुल क्षेत्रफल 2.932 हेक्टेयर भूमि पर शासनादेश होने के उपरान्त भी निर्माण कार्य नहीं होने दे रहे हैं। यह स्थिति बड़ी भयावह है तथा पीड़ित परिवारों के समक्ष रोजी, रोटी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। शासनादेश का पालन न होने से पीड़ितों में काफी रोष व्याप्त है।

अतएव आपसे आग्रह है कि कृपया इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुये शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने व पीड़ितों को उनकी अर्जन मुक्त भूमि पर निर्माण कार्य व अन्य कार्य करने तथा बाधा डालने वाले अधिकारियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।]

जनपद कानपुर छावनी विधान सभा क्षेत्र के 21 वार्डों की विद्युत समस्या के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

[मान्यवर, हमारे विधान सभा छावनी क्षेत्र में हमने एमडी को एक पत्र दिनांक 10-03-2016 को एक पत्र 10-07-2016 को जिससे 146 चिन्हित स्थान थे उसमें विद्युत खम्भा, लाइन नई तथा पुरानी के लिये दिया था अभी तक उसमें कोई काम नहीं हो रहे हैं क्षेत्र में बड़ी समस्या हैं।

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय लोकमहत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र शहर में शहरी विद्युत सप्लाई हेतु ट्रांसफार्मर एवं खम्भा लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 अरुण कुमार-

[मान्यवर, 124-बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र में शहरी विद्युत सप्लाई क्षेत्र में जहां इस्कैडा कम्पनी विद्युत सुधार, ट्रांसफारमर, खम्भे, तार आदि लगाने का कार्य कर रही है। पिछले डेढ़ साल में काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है तथा बहुत से शहरी क्षेत्र जो अरबन फीडर से पोषित हैं में कार्य नहीं हुए हैं।

मैं सरकार से मांग करता हूं 124-बरेली शहर विधान सभा क्षेत्र के अर्बन पोषित क्षेत्रों में जहां कार्य प्रस्तावित नहीं हैं वहां की कार्य कराये जाये।

अतः लोकमहत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्यवाही की मांग करता हूं।]

श्री अध्यक्ष-

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं:-

1-श्री जय प्रकाश निषाद, 2-श्री धर्मपाल सिंह, 3-श्री सतीश महाना, 4-श्री मुकुट बिहारी वर्मा, 5-श्री कपिल देव अग्रवाल, 6-श्री रविन्द्र जायसवाल, 7-श्री राजीव गुम्बर, 8-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), 9-श्री दलवीर सिंह, 10-श्री ललितेशपति त्रिपाठी, 11-श्री दलजीत सिंह, 12-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, 13-श्री अबरार अहमद, 14-डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, 15-श्री काली चरन सुमन, 16-श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत, 17-श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, 18-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, 19-श्री शमशेर बहादुर शेरू भइया, 20-श्री हाजी मुसर्रत अली विट्टन, 21-श्री उमाशंकर, 22-श्री उमेश पाण्डेय, 23-श्रीमती रजनी तिवारी, 24-श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, 25-श्री मो0 जासमीर अंसारी, 26-श्री रामहेत भारती, 27-डा0 रमेश चन्द्र बिन्द, 28-श्री सुदेश शर्मा, 29-श्री भगवती प्रसाद, 30-श्री पूरन प्रकाश, 31-श्री भीम प्रसाद सोनकर, 32-श्री राम चन्द्र यादव एवं 33-श्री जय प्रकाश अंचल।

[11.29] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23 अगस्त, 2016 को नियम-300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 03 सूचनाएं प्राप्त हुईं:-

पहली सूचना श्री अगयश राम सरन वर्मा की गांधी सभागार, पीलीभीत में जिला योजना समिति की बैठक दिनांक 28 मई, 2016 में प्रोटोकॉल सम्बन्धी निर्देशों का उल्लंघन कर सदस्य विधान

नोटः--[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सभा को बैठने का स्थान न दिये जाने एवं सभागार से बाहर कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ये सदन में उपस्थित नहीं हैं।

दूसरी सूचना डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मा0 मुख्य मंत्री की सदन में घोषणा के अनुरूप 5 माह बीतने के उपरान्त भी नगरीय क्षेत्र के 41 विधायकों को 100 नये हैण्डपम्प तथा 100 रि-बोरिंग हैण्डपम्प अभी तक उपलब्ध न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री अनुग्रह नारायण सिंह की मा0 मुख्य मंत्री द्वारा दिनांक 8 मार्च, 2016 को शहरी क्षेत्र के मा0 सदस्यों हेतु हैण्डपम्प के साथ ही साथ उसके स्थान पर लोकहित में सबमर्सिबल लगवाने की घोषणा के बाद भी वक्तव्य की पूर्ति सम्बन्धित विभाग द्वारा न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

इन तीनों सूचनाओं को अग्राह्य किया जाता है।

आज की कार्य-सूची में 12.20 बजे के बाद अंकित अन्य मदें बजट से पूर्व लिये जाने विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक अनुदानों की मांगे 12.20 बजे प्रस्तुत होंगी उससे पहले जो लेइंग आइटम हैं, उन्हें ले लेते हैं।

(श्री अध्यक्ष द्वारा मद संख्या-3 पुकारे जाने पर)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इन मदों को बजट से पहले ले लेंगे ?

श्री अध्यक्ष-

सदन के पटल पर रखे जाने वाले जितने मद हैं, वे ले लें या सदन स्थगित कर दें क्योंकि बजट 12.20 बजे आयेगा।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, सदन से प्रस्ताव पास करा लें।

श्री अध्यक्ष-

प्रस्ताव यह है कि 12.20 बजे बजट प्रस्तुत होना है और बजट के पहले जितने मद थे वे सब समाप्त हो गये हैं तो अन्य मद ले लिये जायं और 12.20 बजे अनुपूरक अनुदान की मद रखी जाये, इससे सदन सहमत है ?

(उपरोक्त प्रस्ताव को सदन ने अपनी स्वीकृति प्रदान की)

[11-31] बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2016 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-01 सन् 2016)†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से बेनेट विश्वविद्यालय, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2016 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-01 सन् 2016) को सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापा नहीं गया।

आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2016 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-02 सन् 2016)

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश अध्यादेश, 2016 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-02 सन् 2016) को सदन के पटल पर रखता हूं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2015†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च, 2015 को समाप्त हुए वर्ष के लिए महिलाओं के सशक्तिकरण पर निष्पादन लेखा परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार को संविधान के अनुच्छेद-151(2) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2003-2004†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 2003-2004 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2004-2005†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के द्वितीय वार्षिक प्रतिवेदन 2004-2005 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन 2005-2006†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन 2005-2006 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन 2006-2007†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन 2006-2007 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापे नहीं गये।

दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन 2007-2008†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के पांचवां वार्षिक प्रतिवेदन 2007-2008 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वार्षिक लेखा 2012-2013††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 के वार्षिक लेखा 2012-2013 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की 34वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2013-2014 को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की 35वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2014-2015††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की 35वीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा 2014-2015 को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 लोकायुक्त उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-13-2016 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित)†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उप लोक आयुक्त, उत्तर प्रदेश के विशेष प्रतिवेदन संख्या-13-2016 (उप लो0आ0) (स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित) को उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त एवं उप लोक आयुक्त अधिनियिम, 1975 की धारा-12 की उपधारा(7) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

[11.35] उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 12वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1985-86†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 12वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1985-86 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं

---

†† छापी नहीं गयी।

† छापे नहीं गई।

आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 13वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1986-87†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 13वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1986-87 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 14वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1987-88†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 14वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1987-88 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 15वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1988-89†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 15वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1988-89 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 16वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1989-90†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 16वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1989-90 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 17वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1990-91†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 17वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1990-91 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 18वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1991-92[†]

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 18वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1991-92 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 19वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1992-93†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 19वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1992-93 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 20वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1993-94†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 20वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1993-94 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 21वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1994-95†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 21वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1994-95 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल आफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 22वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1995-96†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 22वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1995-96 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

[†] छापी नहीं गयी।

उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 23वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1996-97†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 23वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1996-97 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 24वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1997-98†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 24वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1997-98 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 25वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1998-99†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 25वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1998-99 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 की 26वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1999-2000†

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री कमाल अख्तर)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उ0 प्र0 राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि0 के 26वीं वार्षिक लेखा रिपोर्ट 1999-2000 को कम्पनी ऐक्ट, 1956 के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अनुच्छेद-118 (बी) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

[11.42] दिनांक 16 फरवरी, 2016 को विधान मण्डल के समक्ष श्री राज्यपाल द्वारा दिये गये अभिभाषण के प्रति स्वीकृत धन्यवाद प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल का आभार-पत्र

श्री अध्यक्ष-

माननीय राज्यपाल जी को जो यहां से धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया था और उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव प्रेषित भी किया गया था उसके उत्तर में माननीय राज्यपाल जी ने पत्र भी भेजा है मैं पढ़ देता हूं।

---

† छापी नहीं गयी।

राम नाईक **राजभवन,**
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ-226027
14 जून, 2016

माननीय अध्यक्ष जी,

आपने राजभवन आकर उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 16 फरवरी, 2016 को मेरे अभिभाषण पर पारित धन्यवाद् प्रस्ताव मुझे दिनांक 31 मई, 2016 को व्यक्तिगत रूप से हस्तगत कराया है। आपको इस सद्भावना के लिए धन्यवाद देता हूं।

भवनिष्ठ,
राम नाईक।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय,
माननीय अध्यक्ष,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

[11.43] उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 के सम्बन्ध में श्री राज्यपाल महोदय का संदेश

श्री अध्यक्ष-

माननीय राज्यपाल जी ने एक संदेश दिया है जो मैं पढ़कर सुना रहा हूं।

राम नाईक **राजभवन,**
राज्यपाल, उत्तर प्रदेश लखनऊ-226027
12 अगस्त, 2016

प्रिय श्री माता प्रसाद जी,

''उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015'' के सम्बन्ध में भारत का संविधान के अनुच्छेद-175(2) के अन्तर्गत राज्य विधान सभा के विचारार्थ मैं अपना निम्नांकित संदेश प्रेषित करता हूं :-

''उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015'' राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों से पारित होने के पश्चात मेरे द्वारा मा0 राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ दिनांक 06 अप्रैल, 2015 को आरक्षित किया गया था। तदुपरान्त उक्त विधेयक राज्य सरकार के विधायी

अनुभाग-1 के पत्र संख्या-451/79-वि-1-15-1(क)15/15 द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2015 को मा0 राष्ट्रपति के विचारार्थ/अनुमति हेतु गृह मंत्रालय,भारत सरकार को प्रेषित कर दिया गया था। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा उक्त विधेयक की संवीक्षा किये जाने के उपरान्त भारत सरकार ने राज्य सरकार को पत्र दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 प्रेषित करके राज्य सरकार से यह अपेक्षा की थी कि राज्य सरकार उक्त विधेयक को वापस लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा की गयी संवीक्षाओं को सम्मिलित करते हुए उक्त विधेयक के स्थान पर एक नया विधेयक राज्य विधान मण्डल से पारित करवाकर मा0 राष्ट्रपति की अनुमति के लिये भारत सरकार को प्रेषित करे। भारत सरकार की उक्त अपेक्षा के परिप्रेक्ष्य में मा0 राज्य मंत्रि-परिषद् द्वारा अपने निर्णय दिनांक 16 फरवरी, 2016 के द्वारा वर्ष 2015 के उक्त विधेयक को वापस लिये जाने तथा उसके स्थान पर संशोधित ''उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016'' राज्य विधान मण्डल के समक्ष पुरःस्थापित करने एवं पारित करवाने का निर्णय लिया गया। तदुपरान्त ''उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016'' वर्ष 2016 में राज्य विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा परित होने के उपरान्त मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे मेरे द्वारा मा0 राष्ट्रपति महोदय के विचारार्थ आरक्षित कर दिया गया जिस पर मा0 राष्ट्रपति ने दिनांक 21 मई, 2016 को अपनी अनुमति प्रदान कर दी। तदुपरान्त वर्ष 2016 के उक्त विधेयक को ''उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम, 2016'' (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-16 सन् 2016) के रूप में दिनांक 8 जून, 2016 को अधिसूचित कर दिया गया परन्तु उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक 2015 को वापस लिए जाने के सम्बन्ध में भारत सरकार के उपरोक्त आदेश का अनुपालन राज्य सरकार द्वारा नहीं हो सका है। उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 राज्य विधान मण्डल से तभी वापस लिया जा सकता है जब उसे राज्य विधान मण्डल के विचारार्थ सदन में पुनः लाया जाय। उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 को यदि वापस नहीं लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश की विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 की व्यवस्थानुसार 2015 का उक्त विधेयक तब तक विधान सभा की विधेयकों की पंजी में पड़ा रहेगा और मेरे समक्ष लम्बित दर्शाया जाता रहेगा जब तक कि उसे वापस लेकर विधेयकों की पंजी से हटा न दिया जाय।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में राज्य मंत्रि-परिषद् के उपरोक्त निर्णय/सुझाव के अनुसार एतद्द्वारा मैं भारत के संविधान के अनुच्छेद-175 (2) के अन्तर्गत विधान सभा, उत्तर प्रदेश को इस आशय का संदेश प्रेषित करता हूं कि विधान सभा ''उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015'' को वापस लिये जाने के प्रश्न पर विचार करे।

भवनिष्ठ,

राम नाईक।

राजभवन में लम्बित उ0 प्र0 नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2015 व उ0 प्र0 नगर पालिका विधि (संशोधन) विधेयक, 2015 के सम्बन्ध में संसदीय कार्य मंत्री के उद्‌गार

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

अध्यक्ष जी यह अच्छी परम्परा हुई है कि राजभवन से इस सदन को और इस सदन के माध्यम से इस प्रदेश को सूचित किया जाने लगा है। वरना एक लम्बे राजनैतिक कार्यकाल में हमें राजभवन का और राज्यपाल महोदय का काम करने का तरीका सीखने को नहीं मिला। आठवीं बार हम चुनकर आए हैं और यह हमारा सौभाग्य है कि अब बहुत कम शायद चुने भी जाएंगे क्योंकि अब काफी लम्बा सफर हो गया है आठवें पड़ाव पर बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। लेकिन यह जानकारी काफी नहीं है। जब हम किसी को आइना दिखाते हैं तो कभी कभी सही या गलत उस आइने को अपनी तरफ भी करना चाहिए। दूसरों की शक्ल सिर्फ देखने से और आइने में शक्ल दिखाने से काम नहीं चलता। लोकतंत्र में राष्ट्रपति हों, राज्यपाल हों, प्रधानमंत्री हों, मुख्य मंत्री हों सबकी अपनी-अपनी जिम्मेदारियां हैं और मान्यवर, सबकी अपनी-अपनी हदें भी हैं। न कोई अपनी हद से बाहर जा सकते हैं और न ही उसको लांघ सकते हैं न ही लोकतंत्र को कमजोर करने वाला कोई काम अगर करते हैं तो हो सकता है कि उनके पद की गरिमा को देखते हुए उस पर कोई उंगली न उठाए लेकिन इतिहास इसे अच्छा नहीं कहेगा आने वाला इतिहास। राजभवन में बहुत से बिल पेंडिंग हैं मान्यवर, और उसका जिक्र भी आया है ।

श्री अध्यक्ष-

देखिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि राजभवन व इसके बारे में बहुत चर्चा न करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

नहीं मान्यवर, राजभवन के बारे में चर्चा नहीं हो रही है। लेकिन मान्यवर, राजभवन ने क्योंकि बहुत सी जानकारियां दी हैं और उसमें एक सेंटेंस यह भी आया है कि पेंडिंग बिल्स का जिक्र आता रहेगा तो उन पेंडिंग बिल्स का जो जिक्र आता रहेगा उनमें बहुत से बिल्स ऐसे हैं जिन्हें आप कंट्रोवर्सियल बिल कह सकते हैं धार्मिक बिल कह सकते हैं या ऐसे कह सकते हैं जिससे समाज में कोई बुराई पैदा होती हो लेकिन कोई ऐसा बिल है जो सिर्फ समाज के लिए है करप्शन को दूर करने के लिए है विकास के लिए है और उसकी चोट अगर किसी अमुक दल के कुछ लोगों पर जाती है तो मान्यवर, यह तो लोकतंत्र को कमजोर करना है और एक नई परिपाटी आपको याद होगा जब मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का बिल साइन नहीं हुआ तो राज्यपाल महोदय ने उस बिल को भारत के राष्ट्रपति जी को भेज दिया और अब्दुल कलाम साहब उस समय राष्ट्रपति थे उनका जो जवाब आया था वह मेरे पास भी है यहां भी होगा और राजभवन में भी होगा उस जवाब के बाद राजभवन को यह मालूम हो गया कि विधान सभा से पास होने वाला बिल राजभवन तक ही जाएगा राष्ट्रपति जी के पास नहीं जाएगा लेकिन यह दूसरा बिल है जिसे महामहिम ने राष्ट्रपति जी को भेजा है। जबकि न तो वहां भेजने का कोई औचित्य बनता है, न वहां से उसकी मंजूरी हो सकती है तो इसमें आग्रह तो हम कर सकते हैं। आखिर हम कहां जाएं, किससे गुहार करें ? जमीन-आसमान के बीच जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था है उसमें आपके माध्यम से अगर हम महामहिम तक अपनी बात न पहुंचाएं तो क्या करें ? मान्यवर यह मालूम तो होना चाहिए कि उस बिल में बुराई क्या है, उस बिल में कमी क्या है, उस

बिल में खराबी क्या है, उस बिल से किसे नुकसान हो रहा है ? जब तक महामहिम या राजभवन उस बिल की बुराइयां लिखकर वापस नहीं करेगा या हमें बतायेगा नहीं हम जानेंगे कैसे ? मान्यवर, हमें मालूम होना चाहिये संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते ही नहीं, मैं क्योंकि उस विभाग का भी मंत्री हूं जिस विभाग का यह बिल है और वह समाज के लिये है। मैं बार-बार कह रहा हूं कि यह मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय का बिल नहीं है। यह पूरे उत्तर प्रदेश के विकास का बिल है। हमें यह मालूम हो कि आखिर यह बिल क्यों रुका है, उसमें हमनें कौन सी गलत बात लिख दी है ? अगर कोई गलत बात लिखी है तो हम उसे वापस लेने के लिये तैयार हैं, हम राजभवन का सुझाव मानने के लिये तैयार हैं। यह पूरा देश संविधान से चलता है। क्या मेरा बिल या इस सदन का यह बिल, मेरे विभाग का यह बिल संविधान से नहीं चलेगा ? मान्यवर, यह तो बड़ी उपेक्षा हो जायेगी। इसलिये आपके माध्यम से हमें यह आग्रह करना है, हमें यह जानकारी भी लेना है कि तकरीबन ढाई बरस से राजभवन में यह बिल पेण्डिंग है, इसके लिये हम क्या समझें ? अगर वहां से सुझाव आ जाए तो हम इस बिल को वापस ले लेंगे। मान्यवर, हम बिल को वापस लेने के लिये तैयार हैं, लेकिन फिर हम राजभवन से यह वायदा चाहेंगे कि हम जब दूसरा बिल भेजेंगे तो उसे मान लेना चाहिये।

श्री अध्यक्ष-

जहां तक बिलों के रोके जाने का सवाल है, यह संवैधानिक व्यवस्था है और राज्य की इस पर अभी कोई व्याख्या नहीं आई है। राज्यपाल महोदय को यह अधिकार है कि वह बिल रोक रखें या राष्ट्रपति को भेजें या वापस करें। आपने जो प्रश्न किया है इसके माध्यम से वहां तक पहुँच ही जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मेरा एक आग्रह है। क्योंकि बात बहुत गम्भीर है। मैं संसदीय कार्य मंत्री भी हूं, मैं अपने विभाग की तरफ से नहीं कह रहा हूं। मान्यवर, आपने यह फरमाया कि बिल रोके जाने का अधिकार है। अगर कोई महामहिम किसी सरकार का कोई बिल साईन ही न करें और सब रोक लें तो ?

श्री अध्यक्ष-

अभी सुप्रीम कोर्ट का नया डिसीजन आया है, उसको आप पढ़ेंगे तो बहुत स्पष्ट हो गया है कि जो हमारा संविधान है उसमें सारी वर्णित व्यवस्था है। अभी जो अनुच्छेद-200 है उस पर अभी बहुत व्याख्या नहीं आ पाई है, लेकिन इसमें यह है कि बिल या तो राष्ट्रपति के पास भेजा जाए या उसमें सुझावों के साथ वापस भेज दिया जाए जो आपकी बात आई है और या वह अपने पास रखें, यह तीन व्यवस्थाएं अभी तक चल रही हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, जो तीसरी व्यवस्था है कि अपने पास रखें तो अगर कोई महामहिम सारे ही बिल रख लें तो सरकार क्या करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है, बिल रोकने का कारण भी बताना पड़ता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अभी तक तो ढाई बरस में कारण आया नहीं है। यह गम्भीर बात है और सरकार को उसका बड़ा नुकसान हो रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अनुच्छेद-200 में यह व्यवस्था तो है कि बिल रोककर राष्ट्रपति को भेजें या उसे उस पर सुझावों के साथ वापस करें, लेकिन अनुच्छेद-200 की अभी तक स्पष्ट व्याख्या नहीं हो पाई है। इस पर अलग से विचार किया जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात है कि यह इसमें जो नियम है वह रोकने का कारण बतायेंगे। इसके लिये आपने पिछली बार भी बात की थी और हमें पता नहीं, जो विधेयक जायेगा, मुख्य मंत्री जी को, आपको बतायेंगे, आपको बताया कि नहीं बताया हमें पता नहीं है।

[11.55] उ0 प्र0 वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2015 जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, और जो संविधान के अनुच्छेद-175(2) के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

आई0आई0एम0टी0 विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से आई0आई0एम0टी0, विश्वविद्यालय, मेरठ, उत्तर प्रदेश विधेयक, 2016 जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, और जो संविधान के अनुच्छेद-200 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, विधेयक 2015 जो राज्य विधान मण्डल द्वारा पारित किये जाने के उपरान्त ''भारत के संविधान'' के अनुच्छेद-200 के अन्तर्गत श्री राज्यपाल की अनुमति के लिये भेजा गया था, और जो संविधान के

अनुच्छेद-200 के परन्तुक के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय के सन्देश सहित पुनर्विचार हेतु प्राप्त हुआ है, को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-169(2) के अन्तर्गत सदन के पटल पर रखता हूं।

संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (एक सौ बाईसवां संशोधन) विधेयक, 2014 द्वारा 'भारत का संविधान' में किये जाने के लिए प्रस्तावित संशोधन, जो अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (ख) और (ग) के अन्तर्गत आता है, के अनुसमर्थन के सम्बन्ध में लोक सभा सचिवालय से प्राप्त पत्र को, उक्त विधेयक की प्रतियों सहित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-182 के उपनियम (1) के अन्तर्गत, सदन के पटल पर रखता हूं।

[11.56] उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 मार्च, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधित) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 मार्च, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 मार्च, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 मार्च, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 मार्च, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 मार्च, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 मार्च, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-149 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 08 मार्च, 2016 को पारित किया गया था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी संशोधन के दिनांक 09 मार्च, 2016 को वापस प्राप्त हो गया।

[12.00] उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 15 फरवरी, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 16 फरवरी, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 09 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का तीसरा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 04 मार्च, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 08 मार्च, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 11 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का चौथा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 मार्च, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 14 मार्च, 2016 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 17 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का पांचवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2016, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 मार्च, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 मार्च, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का छठा अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2016 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 मार्च, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 मार्च, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का सातवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध (संशोधन) विधेयक, 2016 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 मार्च, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 मार्च, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का आठवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक, 2016 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 मार्च, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 मार्च, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का नवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास (संशोधन) विधेयक, 2016 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 मार्च, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 09 मार्च, 2016 को वापस प्राप्त हुआ था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 21 मार्च, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का दसवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय विधेयक, 2016 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 मार्च, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 मार्च, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की

अनुमति दिनांक 06 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का ग्यारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 2016 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 मार्च, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 मार्च, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 06 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का बारहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 मार्च, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 मार्च, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 07 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का तेरहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया-कलाप (निवारण) (संशोधन) विधेयक, 2015 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 25 मार्च, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 मार्च, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 10 अप्रैल, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का चौदहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा विधेयक, 2015 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 18 मार्च, 2015 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 मार्च, 2015 की बैठक में पारित किया था, पर राज्यपाल महोदय की

अनुमति दिनांक 02 मई, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से घोषित करता हूं कि :-

उत्तर प्रदेश वित्तीय अधिष्ठानों में जमाकर्ता हित संरक्षण विधेयक, 2016 जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 08 मार्च, 2016 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 09 मार्च, 2016 की बैठक में पारित किया था, पर राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 21 मई, 2016 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 2016 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

[12.05] उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-16) का छत्तीसवां प्रतिवेदन

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-16) का छत्तीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश चीनी निगम से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-16) का सैंतीसवां प्रतिवेदन

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-16) का सैंतीसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2009-10 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश जल निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-16) का अड़तीसवां प्रतिवेदन

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-16) का अड़तीसवां प्रतिवेदन जो समिति वर्ष (2002-2003) का पंचम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1993-1994 तथा 1994-1995 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित तथा समिति वर्ष 2007-2008 का तृतीय प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रकमहालेखापरीक्षक की

रिपोर्ट वर्ष 2002-2003 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि0 से सम्बन्धित, समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-2016) का उन्तालिसवां प्रतिवेदन

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-16) का उन्तालिसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 से सम्बन्धित प्रस्तरों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-16) का चालिसवां प्रतिवेदन

श्री शाकिर अली-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान मण्डल की सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2015-16) का चालिसवां प्रतिवेदन जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति (2005-2006) का बाइसवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 1996-1997 तथा 2002-2003 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित एवं समिति वर्ष 2010-2011 का सांतवां प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की रिपोर्ट वर्ष 2006-2007 (वाणिज्यिक) में उल्लिखित उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम लि0 के प्रस्तर पर आधारित है, में समिति की संस्तुतियों का कार्यान्वयन प्रतिवेदन है, प्रस्तुत करता हूं।

पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति वर्ष (2015-16) का पंचम प्रतिवेदन

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पंचायती राज समिति उत्तर प्रदेश सोलहवीं विधान सभा की पंचायती राज समिति वर्ष (2015-16) का पंचम प्रतिवेदन जो भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा तकनीकी निर्देशन एवं पर्यवेक्षण के निर्बन्धनों के अधीन 31 मार्च, 2005 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पंचायती राज संस्थाओं पर वार्षिक तकनीकि निरीक्षण प्रतिवेदन (सिविल आडिट) के अध्याय-1 व 2 में उल्लिखित पंचायती राज विभाग (ग्राम पंचपायतों) से सम्बन्धित आडिट आपत्तियों पर आधारित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जांच सम्बन्धी समिति के सभापति उपस्थित नहीं हैं।

[12.10] सदन से बाहर किये गये सदस्यों को पुनः सदन में बुलाये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, अपोजिशन नहीं रहता है तो मन नहीं लगता है लेकिन अन्दाजा यह है कि हो सकता है कि आपके इस कष्ट के बाद जिसकी बिना पर आपने ऐसा किया, कि उन्हें सदन से बाहर

किया। अगर माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही में शरीक होना चाहते हैं तो हम सब साथ-साथ मिलकर रहना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपोजीशन का रोल सामने रहे, कार्यवाही में हिस्सेदार हों। अगर आप चाहें तो बुला सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

सब सहमत हैं।

(सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की गयी)

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, उन्हें बुला लिया जाये।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा राष्ट्रीय लोक दल के माननीय सदस्यगण सदन मे वापस आ गये।)

श्री रामपाल यादव, सदस्य, विधान सभा द्वारा उनके भवनों को गिराये जाने विषयक निजी प्रकरण को उठाने का प्रयास

श्री रामपाल यादव-

मान्यवर, मैं कृपा पूर्वक एक मिनट अपनी बात सदन में रखना चाहता हूं मैं आपका बहुत आभारी हूं, कृपया अनुमति दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

अभी नहीं जब वह विषय आयेगा तब बोल लीजिएगा, अभी बैठिये।

श्री रामपाल यादव-

मेरे पास सारे प्रपत्र हैं, मैं आपके पास भिजवा दूंगा।

(माईक बन्द होने के कारण माननीय सदस्य की कोई भी बात स्पष्ट सुनाई नहीं दी।)

श्री अध्यक्ष-

अभी आप बैठ जांये, पहले एजेण्डा लेने दें।

श्री रामपाल यादव-

मान्यवर, मैं आपसे हाथ जोड़ कर प्रार्थना करता हूं कि मेरे प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच करा दीजिए, अगर मैं दोषी हूं तो मेरी सारी सम्पत्ति राज्य सरकार में निहित कर दी जाय। मान्यवर, इन लोगों ने मुझे इतना हाईलाइट कर दिया कि मैं जिधर निकलता हूं, वहां पर लोग मुझे गुण्डा, दबंग, बाहुबली, भू-माफिया पता नहीं क्या-क्या कहते हैं। तो मा0 अध्यक्ष जी मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं मा0 मुख्य मंत्री जी भी अब तो सदन में आ गये हैं, मैं उनका भी बहुत आभारी हूं, मा0 मुख्य मंत्री जी ने कृपा कर के जो भी कार्यवाही किया है। मान्यवर, जैसे अंग्रेज या मुगल भी फांसी से पहले एक बार अपनी बात कहने का मौका दे देते थे, तो अगर मा0 मुख्य मंत्री जी भी हमको एक बार अपनी बात कहने का मौका दे देते तो शायद यह नौबत नहीं आती। मा0 मुख्य मंत्री जी आपने जिन भवनों को अवैध कह कर गिराया है, मा0 अध्यक्ष जी मेरे पास सारे अभिलेख हैं, यह रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप रुकिये, बैठ जाइये, अब आपका कुछ नहीं लिखा जायेगा। अब मैं अगली मद लेता हूं।

[12.14] कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-47 में कुछ नहीं है। अब मद संख्या-48।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 अगस्त, 2016 की बैठक में विधन सभा के दिनांक 22 अगस्त, 2016 से 30 अगस्त, 2016 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 22 अगस्त, 2016 को निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचना ली जाये तथा प्रश्नकाल एवं अन्य कोई कार्य न हो।

2-दिनांक 26 अगस्त, 2016 को सदन की बैठक न हों तथा उक्त दिनांक को दिया गया असरकारी दिवस (आधा दिन) दिनांक 30 अगस्त, 2016 को हों।

3-सदन का दिनांक 22 अगस्त से 30 अगस्त, 2016 तक के तिथिवार कार्यक्रम को निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया जाये :-

अगस्त, 2016

22 सोमवार	निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचना।
23 मंगलवार	**1-12.20 बजे अपराह्न** वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण। 2-औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हो। 3-विधायी कार्य।
24 बुधवार	1-वित्तीय वर्ष 2016-2017 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा, मांगों पर विचार एवं मतदान तथा तत्सम्बन्धी विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन उस पर विचार एवं उसका पारण।
25 गुरुवार	जन्माष्टमी का अवकाश (बैठक नहीं होगी)।
26 शुक्रवार 27 शनिवार 28 रविवार	बैठक नहीं होगी।

<u>अगस्त, 2016</u>

29 सोमवार	1-निधन के निर्देश अर्थात निधन की सूचनायें।
	2-विधायी कार्य।
30 मंगलवार	1-विधायी कार्य।
	2-असरकारी दिवस [आधा दिन शुक्रवार दिनांक 26 अगस्त, 2016 के स्थान पर] ।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषय प्रस्ताव जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

माननीय सदस्य श्री अजय कुमार लल्लू एवं श्री बंशी सिंह पहाड़िया को बेइज्जत कर मार्शल द्वारा सदन से बाहर किये जाने सम्बन्धी प्रकरण पर पीठ से निर्णय लिये जाने की मांग

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-49 में कुछ नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के मा0 सदस्य शान्तिपूर्वक सदन के वेल में आकर अपनी बात कह रहे थे। हमारे मा0 सदस्य श्री अजय कुमार लल्लू और श्री वंशी सिंह पहाड़िया को आज जिस तरह से धक्का देकर, बेइज्जत कर के मार्शल विधान सभा द्वारा सदन से बाहर निकाला गया, वह लोकतंत्र की हत्या है। आपको इसमें निर्णय लेना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

आप तो उस समय थे ही नहीं, वह लोग उस समय क्या कर रहे थे, आपने नहीं देखा, अब आप सफाई दे रहे हैं। अब आप बैठिये।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जी आप क्या कर रहे थे यह बताएं। आप बाहर भी क्या करते हैं, बताएं।

श्री अध्यक्ष-

आप पढ़िए। उनका क्या बताएंगे उनका कोई उपनेता है ही नहीं।

*श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, एक तो हमें धक्के मार कर बाहर निकाला गया। अध्यक्ष जी, आप तो हम सब लोगों के संरक्षक हैं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(श्री प्रदीप माथुर के लगातार अपने स्थान से बोलते रहने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप ही के लोग क्या कर रहे थे आप के बंशी सिंह पहाड़िया मेरे आसन के ऊपर चढ़ आए यहां से मुझे खींचने के चक्कर में थे।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आज जिस तरह से माननीय सदस्यों को सदन से धक्के दे करके, बेइज्जती करके, निकाला गया तो लोकतंत्र में यह कोई तरीका नहीं है। आपको इसमें निर्णय लेना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष-

लोकतंत्र अब आप हमको समझाएंगे। चलिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

वैसे आपके यहां से गए हुए दो-एक सदस्यों ने आज सदन में जिस तरह का आचरण दिखाया है, शर्म आती है कि ऐसे भी सदस्य सदन में आते हैं आपके यहां से इधर गए हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, जब यह लोग यहां विपक्ष में बैठा करते थे तो हमें याद है कि क्या-क्या किया करते थे 'पर उपदेश कुशल बहुतेरे' तो यह सब बातें नहीं कही जाती है। हमें पता है कि सारी-सारी रात धरने दिए जाते थे और स्पीकर साहब को बैठने नहीं दिया जाता था। यह व्यू प्वाइंट बदल जाता है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप ही लीडरशिप किया करते थे। यह सत्तापक्ष में और विरोध में बैठने का फर्क है। यह तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम विरोध में ही बैठे रहते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह सौभाग्य आपको बहुत बरसों तक मिलता रहेगा। यह हमारी दुआ है कि जब तक यह सदन रहे यह सौभाग्य आपका रहे। आप अकेले चुनकर आते रहो, आप अकेले नेता रहो यह सौभाग्य आपको मिलता रहे।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोकतंत्र की हत्या की गयी है। अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने साढ़े चार साल में कभी ऐसा नहीं हुआ जिस तरह से आज लोकतंत्र की हत्या की गयी है। जिस तरह से धक्के दे कर सब विधायकों को निकाला गया है। हम ऐसी उम्मीद नहीं करते थे। हम लोग सोच नहीं सकते थे कि ऐसा भी हो सकता है। मान्यवर, आज जितना काला दिन है, आज जैसा हुआ है हम सोच भी नहीं सकते थे कि समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा आपके संरक्षण में इस तरह का आचरण किया गया।

श्री अध्यक्ष-

बैठिए। आप लोग भी अपने आचरण को ठीक रखिए।

(श्री पंकज कुमार मलिक और श्री प्रदीप माथुर अपने-अपने स्थान से निरन्तर बोलते रहे)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इनके साथ परेशानी यह थी कि यह सबसे पीछे थे कोई इनकी सुनने वाला नहीं था। इन्होंने ज्यादा धक्का-धुक्की नहीं की इसलिए कि इनकी बेचारों की कोई गिनती ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप बैठिए आपका कुछ लिखा नहीं जाएगा। न लिखा जाएगा न कार्यवाही का अंग होगा और न प्रकाशन के लिए होगा बैठिए अब बात हो गयी।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या हो रही है इसके विरोध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य सदन से नारे लगाते हुए बहिर्गमन कर गए)

श्री अध्यक्ष-

लोकतंत्र की हत्या किसने की है यह तो सारा देश जानता है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इनकी एक और खबर बन गयी एक तो सबके साथ गए वह खबर बनी, अब वह लोग तो बाहर हैं अब यह बहिर्गमन कर गए तो इनकी एक खबर ज्यादा नहीं बन गयी।

[12.20] उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःथापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःथापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतीकरण

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुज्ञा से वित्तीय वर्ष 2016-17 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रतियां वितरित कर दी जायें।

(प्रतियां वितरित की गयीं)

---

† दिनांक 16-9-16 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक मेडिसिन (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

† दिनांक 16-9-16 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश मदरसा (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत(संशोधन) विधेयक, 2016†

लघु सिंचाई तथा पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राज किशोर सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (संशोधन) विधेयक, 2016 को पुरःस्थापित करता हूं।

[12.25] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23-8-2016 को नियम-311 की दो सूचनाओं को नियम-56 में परिवर्तित करते हुये नियम-56 के अन्तर्गत कुल 30 सूचनायें प्राप्त हुई, जिनमें श्लाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गई। प्रथम तीन सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। इसमें नम्बर एक श्री गयाचरण दिनकर की प्रदेश में बिगड़ती कानून-व्यवस्था से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इसी में आगे और माननीय सदस्य श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया, श्री गजेन्द्र सिंह, श्री दीपक पटेल, श्री राजबली जैसल, श्री बब्बन सिंह चौहान। इसी में दूसरे नम्बर में श्री सुरेश कुमार खन्ना, श्री मनीष असीजा, श्री सुरेश राणा, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल, श्री उपेन्द्र तिवारी, श्री सतीश महाना, श्री धर्मपाल सिंह, श्री जय प्रताप सिंह, श्री जगन प्रसाद गर्ग, श्रीमती सीमा, श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री राम चन्द्र यादव, श्री सत्यदेव पचौरी, श्री लोकेन्द्र सिंह, श्री योगेन्द्र उपाध्याय, श्री रवीन्द्र भड़ाना, श्री अगयश राम सरन वर्मा, श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्री पंकज गुप्ता, श्री विक्रम सिंह, श्री राजीव गुम्बर, श्रीमती बिमला बाथम, श्री रवि शर्मा, श्री गंगा सिंह कुशवाहा। इसी में तीसरे नम्बर में श्री प्रदीप माथुर, श्री अनुग्रह नारायण सिंह, प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी, श्री अखिलेश प्रताप सिंह, श्री बंशी सिंह पहाड़िया, श्री अजय कुमार लल्लू, श्रीमती उमाकान्ती, श्री राधेश्याम, श्रीमती अराधना मिश्रा 'मोना', श्री दलजीत सिंह, श्री ललितेश पति त्रिपाठी। इसी में चौथे नम्बर में श्री दलवीर सिंह, श्री पूरन प्रकाश, श्री तेजपाल सिंह। इसी में पांचवें नम्बर में श्री सुरेश राणा, छठें में श्री उपेन्द्र तिवारी, सातवें में श्री अगयश राम सरन वर्मा और आंठवें नम्बर में श्री पंकज कुमार मलिक हैं।

---

† दिनांक 16-9-2016 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

दूसरी सूचना डॉ0 लक्ष्मी कान्त वाजपेई की प्रदेश के विभिन्न निकायों में कार्यरत संविदा सफाई कर्मियों को वर्तमान में होने वाली भर्ती में समायोजित किये जाने के संबंध में, तीसरी सूचना श्री राज नारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज की जनपद महोबा सहित सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड क्षेत्र में भारी बारिश एवं बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है और चौथी सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर की छावनी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत बाबू पुरवा में सीवर भराव की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकृत की गई।

1-श्री गया चरण दिनकर, श्री उमेश पाण्डेय, श्री इन्द्रजीत सरोज, श्री अयोध्या प्रसाद पाल, श्री जय प्रकाश निषाद, श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री सुनील कुमार सिंह यादव, श्री फेरन लाल अहिरवार,

2-श्री मनीष असीजा,

3-श्री अवस्थी बाला प्रसाद,

4-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप,

5-डा0 धर्मपाल सिंह,

6-श्री दीपक पटेल,

7-श्री रविन्द्र कुमार मोल्हू,

8-श्री जितेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी,

9-श्री कृष्ण पाल सिंह राजपूत,

10-श्री दीपक पटेल, श्री राजबली जैसल,

11-श्री गजेन्द्र सिंह,

12-श्री बब्बन सिंह चौहान,

13-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, हाजी मुसर्रत अली बिट्टन,

14-श्री सिबगतुल्ला अंसारी, श्री मुख्तार अंसारी,

15-श्री उमेश पाण्डेय,

16-श्री रामहेत भारती,

17-श्री भगवती प्रसाद, श्री सुदेश शर्मा,

18-डा0 आर0के0 वर्मा तथा

19- श्री राम चन्द्र यादव।

अब इसमें यह सब लोग हैं नहीं, पूरन प्रकाश जी हैं, दलवीर सिंह जी है, आप अगर कानून व्यवस्था पर बोलना चाहे तो बोल लें।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, गन्ना पर है।

श्री अध्यक्ष-

गन्ना वाला तो आप उस बीच कह दिये उसका कोई लिखित नहीं आया है।

श्री सुदेश शर्मा-

अध्यक्ष जी, आया है हमने 56 में डाला है।

श्री अध्यक्ष-

तब ठीक है, गन्ने पर बोलिये।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने नियम-56 के अन्तर्गत जो किसानों की ज्वलन्त समस्या हैं उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया। माननीय अध्यक्ष जी, पिछले साढ़े चार वर्षो से हमारे दल के द्वारा, हमारे द्वारा निरन्तर किसानों के भुगतान का मामला इस सदन में उठाया जा रहा है लेकिन आज तक उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई है और न ही किसानों का भुगतान पूर्णतया हुआ है। बल्कि मैं इस विषय में यह कहना चाहता हूं कि आज जो किसानों को बकाया है, किसान अपनी फसल जो गन्ना बोता है उसको देता है मिल को, कायदे से उसके भुगतान की जो जमानती है वह सरकार है और अब इतना लम्बा चौड़ा यदि बकाया नहीं है तो क्यों नहीं सरकार किसानों को सीधा भुगतान करके जो रिकवरी है वह मिलमालिकों पर डाल देती है तो इसमें कम से कम सरकार की यह नीयत भी साफ हो जायेगी कि वह वास्तव में किसानों की हितैषी है। अभी माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि माननीय सदस्यों का ध्यान मीडिया की तरफ ज्यादा था सत्ता पक्ष की तरफ नहीं था। मान्यवर, साढ़े चार वर्षो से यह विपक्ष के लोग, हम लोग सत्ता पक्ष की ओर ही देख रहे हैं सत्ता पक्ष की ओर ही इस बात को उठा रहे हैं, उनके मुख की ओर ही देख रहे हैं कि कब वह किसानों की इस मांग को पूरा करेंगे। जिस तरीके से हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि लाल किले की प्रचीर से माननीय प्रधानमंत्री ने भी सरेआम झूठ बोला कि साढ़े निन्यानवे प्रतिशत गन्ने का भुगतान हो चुका है यह बड़े शर्म की बात है। मैंने अखबारों में पढ़ा है माननीय अध्यक्ष जी, मेरे यहां मोदी नगर क्षेत्र के जो गन्ना मिल का मालिक है उमेश मोदी उस पर मुकदमा दर्ज होने के बाद वह लन्दन चला गया। मुकदमा दर्ज होने के बाद वह गया है माननीय अध्यक्ष जी। आज माननीय संसदीय कार्य मंत्री बताने की कृपा करें कि कितनी बार उनकी गिरफ्तारी करने के लिए प्रयास किया गया यह कोई भी उनके परिवार से जिनके विरुद्ध एफ0आई0आर0 है क्या कोई गिरफ्तार किया गया ? बल्कि मैं यह बताना चाहता हूं सदन को माननीय अध्यक्ष जी कि जिन किसानों का बिजली का बकाया भुगतान है उन किसानों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज करके उनकी गिरफ्तारी की जा रही है वह कहां से रिकवरी का, बिजली का भुगतान करें जब उनके गन्ने का भुगतान नहीं हुआ। हम मानते कि सरकार किसानो की हितैषी है तो जब एक ऐसा आदेश जारी क्यों नहीं किया जाता कि किसानों को जब तक गन्ने का भुगतान नहीं हो जायेगा किसानों से कोई रिकवरी या किसानों की गिरफ्तारी नहीं की जायेगी। मान्यवर, मेरी बात की तस्दीक करा ली जाये। मोदीनगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम बडायला के किसानों पर जुर्म हो रहा है, वहां पर पुलिस निरंतर छापे मार रही है और किसानों को गिरफ्तार कर रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, आप पता करा लीजिये थाना पिलखुआ के अंदर मुकदमा दर्ज है। मेरी स्वयं अधिशासी अभियन्ता से बात हुई है, मेरी

चीफ इंजीनियर से बात हुई है। मैंने उनको बताया कि निरंतर दारोगा जा रहा है किसानों को गिरफ्तार करने की बात कह रहा है। बिल भुगतान न करने की एवज में उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मैं आपके बीच में गलतबयानी नहीं कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आज किसान की जो दुर्दशा है, किसान के हालात खराब है, कैसे वह अपनी बहन और बेटियों की शादी करे, वह कैसे अपने बच्चों को लिखाये-पढ़ाये, कैसे वह अपना जीवनयापन करे। अभी संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे थे कि जमीन और आसमान के बीच में हम कहां जाये, किसको देखें। मैं भी उनसे यही प्रश्न करना चाहता हूं और मैं भी उनसे यही पूछना चाहता हूं कि आखिर किसान कहां जाये। हम उनके प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आते हैं, हम किससे गुहार लगाये, हम कहां जाये, हम किससे बात करें। साढ़े चार वर्षों में कोई सा नियम नहीं छोड़ा, कोई कायदा नहीं छोड़ा कि हमने किसानों का भुगतान कराने के लिए अपनी मांग नहीं रखी हो, हमने आंदोलन न किये हों, सड़कों पर न उतरे हो। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर हम कहां जाये, क्यों हम किसानों के प्रतिनिधि चुनकर आये हैं। अभी तो पिछले वर्ष का भी भुगतान नहीं हुआ है, बताईये कहां जायेगा किसान और अब जो मिल मालिक मिल चलायेंगे तो चीनी बेंचकर उसको पिछला भुगतान कर देंगे। मैं साथ ही साथ यह भी मांग करता हूं कि जो मिल अब चले और जो चीनी बिके उस पर वर्तमान का भुगतान हो, न कि पिछला भुगतान हो। पिछले बकाये का भुगतान चीनी मिल मालिकों की सम्पत्ति बेंचकर किया जाये न कि वर्तमान पेराई की चीनी बेंचकर किया जाये। मेरी मांग है कि उमेश मोदी या फिर जो भी मिल मालिक हैं उन पर केवल मुकदमा दर्ज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि उनको गिरफ्तार किया जाये और किसानों का भुगतान किया जाये। मान्यवर, ऐसे अविलम्बनीय और लोक महत्वपूर्ण के प्रकरण पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की मांग करता हूं।

श्री दलवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे साथी ने बड़े विस्तार से गन्ना की समस्या के संबंध में आपका और माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया। मैं केवल एक मिनट में अपनी बात कहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री जी, आपकी सरकार के द्वारा चीनी मिल जितने निगम के थे और संघ के थे उनका भुगतान ठीक कर दिया गया है और काफी हद तक किसानों का भुगतान हो गया है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है। सरकार तो सरकार होती है। पूरी शक्ति आपमें निहित है। संघ और निगमों के भुगतान के बाद प्राइवेट चीनी मिलों पर बहुत बड़ी तादाद में गन्ना का बकाया है, उनके खिलाफ कोई भी प्रभावी कार्यवाही सरकार के स्तर से नहीं हो रही है। रिकार्ड में, कागज पर दिखाने के लिए उनकी आर0सी0 तो काट दी गई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अभी हमारे साथी बता रहे थे कि जिनकी आर0सी0 कट जाती है, वारण्ट कट जाते हैं, वह लोग सरकार के सहयोग से विदेश भाग जाते हैं। जैसे माल्या जी भाग गये, उसी तरह से सभी निजी चीनी मिल मालिक जिनके ऊपर बकाया है, वह सब भागने की फिराक में है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यदि सरकार चाहे तो 24 घण्टे में किसानों के गन्ने के बकाये का भुगतान हो सकता है। मेरे पास भी यह विभाग गन्ना राज्य मंत्री के रूप में रहा है। मैंने 24 घण्टे में किसानों को भुगतान कराया है। आर0सी0 कटने के बाद और वारण्ट कटने के बाद किसी गन्ना मिल मालिक की हिम्मत नहीं है कि हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही और दरोगा जाये और मिल मालिक किसानों का

भुगतान न करे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि सरकार सख्ती से प्राइवेट मिल मालिकों से गन्ना किसानों के बकाये का भुगतान करायें और यदि पेराई सत्र से पहले यह भुगतान हो जाये तो आपकी बहुत कृपा होगी।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, शुरू में जब सुदेश शर्मा जी ने सदन में इस विषय को रखा था, मैंने तो तभी इसका जवाब दिया था और इससे कहां इंकार है कि यह बड़ी समस्या है। भारत सरकार से जिस सहयोग की बात कही गई थी, वह सहयोग बिल्कुल नहीं मिला। इतना सहयोग जरूर मिला कि किले के मैदान से बादशाह ने घोषणा कर दी कि साढ़े निन्यानवे फीसद किसानों को पैसा मिल गया है। उसी तरह जिस तरह से हर व्यक्ति को बीस लाख रुपया मिल गया है। नेता सदन यहां पर बैठे हुये हैं और एक बार हमारी बात भी नेता सदन से इस बारे में हुई थी और उनका कहना यही है कि हम पूरा दबाव बना रहे हैं मालिकों पर अदायगी का। शायद याद हो कि सदन में मैंने आपको अवगत कराया था कि मालिकान गिरफ्तारी न हो इसका आदेश हाईकोर्ट से ले आये हैं।

श्री सुदेश शर्मा-

मान्यवर, यह तो बहुत समय से चल रहा है। मान्यवर, जितना भुगतान है, अगर सरकार चाहे तो यह भुगतान हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले माननीय मंत्री जी का पूरा जवाब तो सुन लीजिये।

(श्री सुदेश शर्मा तथा श्री वीरपाल राठी द्वारा बीच में खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर-व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां-

देखिये, ये कौन तरीका है। आपकी बात जिस तरह से सुनी गई है और सुनी जाती है। अब आप अगर सुनेंगे भी नहीं, तो यह कौन सा तरीका है। आपने तो जब कपड़े उतारकर अपनी बात सुनानी चाही है तो हमने सुनी है। यह क्या बात हुई, बात सुनिये तो आप पूरी तरह। मान्यवर, मैंने माननीय उच्च न्यायालय का आदेश बताया और आप माने न माने उच्च न्यायालय के आदेशों को, लेकिन सरकार पाबन्द है इसको मानने के लिये जब तक कोई दूसरा आदेश नहीं आता। गिरफ्तारी पर रोक लगाई हुई है कि आप गिरफ्तार नहीं करेंगे। दूसरी बात, किसान के बारे में कही कि किसान के यहां बिल की अदायगी न होने की बिना पर पुलिस ने रेड दी है तो इसे दिखवा लूंगा। बिजली के बिल की अदायगी और बिजली की चोरी दो चीजें अलग- अलग हैं। अगर तार काटकर कटिया डालकर चोरी हो रही है तो वह अलग बात है। बिल अदा नहीं हुआ है और फिर उसकी गिरफ्तारी हो रही है तो वह अलग बात है। अगर बिल की अदायगी नहीं हुई है और गिरफ्तारी हो रही है तो यह गलत है और अगर चोरी की जा रही है तो हम आपसे भी सहयोग चाहेंगे। धन्यवाद।

श्री सुदेश शर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, बस एक सेकेण्ड कहना चाहूंगा कि यह किसानों का बकाया दिलवा दें। हमारी यह मांग है कि अब माना दो-ढाई हजार करोड़ रुपया बचा है और सरकार का इतना

लम्बा-चौड़ा बजट है। हम यह चाहते हैं उसको सीधे किसानों के खाते में सरकार दे दे और रिकवरी मिल मालिकों से कर ले। किसान कहां उनसे रिकवर करता फिरेगा। किसान कहां से ले लेगा। यह तो किसानों की हितैषी सरकार है तो सीधा किसानों के खाते में जमा कर दे पैसा और मिल मालिकों से रिकवरी कर ले। इस पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ कह दें। मान लिया कि वह भले ही हाईकोर्ट से स्टे ले आये वह हो नहीं सकता तो इस तरीके से तो किसान मारा जायेगा। माननीय अध्यक्ष जी, तो हमारी यह केवल छोटी सी मांग है कि किसानों को राहत पहुँचाने के लिये यह सरकार सीधा किसानों को भुगतान कर दे और उस पैसे की रिकवरी मिल मालिकों पर डाल दे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, पहले भी किसानों की अदायगी सरकार ने ही की है और अभी इस पर विचार जारी है।

श्री अध्यक्ष-

अब और कोई मद बचा नहीं है, केवल नियम-51 है। आज कोई विशेष मद नहीं है, कल है।

[12.36] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 23-08-2016 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 59 सूचनायें प्राप्त हुई। जिसमें नम्बर-1 पर श्री धर्म सिंह सैनी की जनपद शामली के थानाभवन के अन्तर्गत श्री बृजमोहन तथा उनके परिवार की सुरक्षा के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकार कर ली गई है। दूसरी सूचना श्री अखिलेश प्रताप सिंह की वार्षिक स्थानान्तरण नीति का अनुपालन न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकार है। तीसरी सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया में आयी प्रलयकारी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जो वक्तव्य हेतु स्वीकार है। चौथी सूचना श्री दलजीत सिंह की जनपद बांदा में यमुना नदी के किनारे आयी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार है। पांचवी सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद शामली नगर क्षेत्र में जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकार है। छठी सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा राप्ती नगर विस्तार आवासीय योजना में भूमि का कब्जा न दिये जाने के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। सातवीं सूचना श्री संजय कपूर की जनपद रामपुर की विलासपुर अहरो शीशगढ़ में क्षतिग्रस्त मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। आठवीं सूचना श्री मो0 कमाल यूसुफ मलिक की दिनांक 15-06-2016 को थाना कोतवाली हजरतगंज, लखनऊ में दर्ज मुकदमा अपराध सं0-0395 में प्रभावी कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत है। नवीं सूचना श्री गोमती यादव की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र बख्शी का तालाब अन्तर्गत ग्राम रायपुर में व्याप्त जलभराव की समस्या का निराकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो

केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। दसवीं सूचना श्री पूर्णमासी देहाती की जनपद महाराजगंज के विधान सभा क्षेत्र रामकोला के ब्लाक कप्तानगंज में आयी बाढ़ से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, जो केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत। ग्यारहवीं सूचना श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया की जनपद कानपुर की छावनी विधान सभा अन्तर्गत गुप्ता हास्पिटल के सामने की सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, जो ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत। शेष सूचनायें अस्वीकार की गई।

अब आज की कार्य-सूची में कोई विषय शेष नहीं है। इसलिये अब हम उठते हैं। कल 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 12 बजकर 38 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
दिनांक 23 अगस्त, 2016 ई0

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या-65 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46-47 पर)

श्री अखिलेश यादव, मा0 मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मंत्रिमण्डल के सदस्यों द्वारा मार्च, 2012 से मार्च, 2016 तक पाकेट मनी के रूप में खर्च की गयी धनराशि का विवरण

क्र0-सं0	मा0 मंत्रिगण का नाम	धनराशि
1	2	3
1	श्री शिवपाल सिंह यादव	NIL
2	श्री मोहम्मद आजम खां	22,86,620
3	श्री अहमद हसन	3,80,774
4	श्री (डा0) वकार अहमद शाह (पूर्व मंत्री)	2,56,000
5	श्री राजा महेन्द्र अरिदमन सिंह (पूर्व मंत्री)	15,89,700
6	श्री आनन्द सिंह (पूर्व मंत्री)	3,81,200
7	श्री अम्बिका चौधरी (पूर्व मंत्री)	14,69,055
8	श्री कुंवर रघुराज प्रताप सिंह	7,50,300
9	श्री बलराम यादव	14,65,340
10	श्री अवधेश प्रसाद	6,84,100
11	श्री ओम प्रकाश सिंह	20,51,200
12	श्री पारस नाथ यादव	16,40,200
13	श्री राम गोविन्द चौधरी	11,06,750
14	श्री दुर्गा प्रसाद यादव	15,08,430
15	श्री ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी	9,36,400
16	स्व0 श्री कामेश्वर उपाध्याय (पूर्व मंत्री)	67,400
17	स्व0 श्री राजा राम पाण्डेय (पूर्व मंत्री)	2,43,300
18	श्री राज किशोर सिंह	13,59,100
19	श्री शिव कुमार बेरिया (पूर्व मंत्री)	21,93,900
20	स्व0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा (पूर्व राज्य मंत्री, स्व0 प्र0)	13,92,226
21	श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप	21,87,900
22	श्री भगवत शरण गंगवार (पूर्व राज्य मंत्री, स्व0 प्र0)	18,17,800
23	श्रीमती अरुण कुमारी कोरी	22,93,800
24	श्री विजय कुमार मिश्र	12,22,900
25	श्री राजेन्द्र चौधरी	2,63,400

1	2	3
26	स्व0 श्री कैलाश यादव (पूर्व मंत्री)	7,14,000
27	श्री नारद राय	10,10,871
28	श्री (प्रो0) शिवाकान्त ओझा (पूर्व मंत्री)	7,69,500
29	श्री साहब सिंह सैनी	1,81,000
30	श्री इकबाल महमूद	16,80,000
31	श्री महबूब अली	15,10,100
32	श्री शाहिद मंजूर	21,25,400
33	श्री रियाज अहमद	14,94,900
34	श्री फरीद महफूज किदवई	20,05,587
35	श्री वसीम अहमद	14,72,400
36	श्री नरेन्द्र सिंह यादव (पूर्व राज्य मंत्री)	10,47,600
37	श्री (डा0) शिव प्रताप यादव	15,16,764
38	श्री मूल चन्द्र चौहान	14,65,150
39	श्री राजीव कुमार सिंह	14,12,000
40	श्री (प्रो0) अभिषेक मिश्र	18,94,103
41	श्री विनोद कुमार सिंह पंडित सिंह	19,74,955
42	श्री नरेन्द्र सिंह वर्मा	14,64,352
43	श्री राम मूर्ति वर्मा	20,34,600
44	श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल	18,30,400
45	स्व0 श्री चितरंजन स्वरूप (पूर्व राज्य मंत्री)	10,16,800
46	श्री मानपाल सिंह	18,86,600
47	श्री कमाल अख्तर	20,58,200
48	श्री शंखलाल मांझी	18,48,000
49	श्री कैलाश चौरसिया	22,85,900
50	श्री रामपाल राजवंशी	17,06,500
51	श्री मनोज कुमार पारस (पूर्व राज्य मंत्री)	7,73,600
52	श्री राम करन आर्य	21,08,800
53	श्री जगदीश सोनकर	21,53,000
54	श्री राम सकल गुर्जर	18,35,423
55	श्री राम मूर्ति सिंह वर्मा	16,31,200

1	2	3
56	श्री विजय बहादुर पाल	15,25,000
57	श्री आलोक कुमार शाक्य (पूर्व राज्य मंत्री)	12,78,000
58	श्री गायत्री प्रसाद प्रजापति	12,74,600
59	श्री नितिन अग्रवाल	14,88,200
60	श्री मनोज कुमार पाण्डेय (पूर्व मंत्री)	13,72,050
61	श्री तेज नारायण पाण्डेय	9,65,000
62	श्री योगेश प्रताप सिंह (पूर्व राज्य मंत्री)	9,73,124
63	श्री यासर शाह	9,75,000
64	श्री बंशीधर बौद्ध	1,92,500
65	श्री हेमराज वर्मा	2,29,500
66	श्री सुधीर कुमार रावत	1,22,500
67	श्री ओंकार सिंह यादव	1,69,500
68	श्रीमती सै0 शादाब फातिमा	72,500
69	श्री मदन चौहान	1,69,500
70	श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया	2,38,500
71	श्री शैलेन्द्र यादव, ललई	1,54,000
72	श्री राधेश्याम सिंह	1,57,500
	कुल योग :	**8,78,12,474**

(रुपया आठ करोड़ अठहत्तर लाख बारह हजार चार सौ चौहत्तर मात्र)

एन0 एस0 रवि,
प्रमुख सचिव।

पी0एस0यू0पी0-एल0 202 विधान सभा (328) 16-12-2016-813 प्रतियां (कम्प्यूटर)।